आवास भारती

वर्ष 22 | अंक 83 | अप्रैल-जून, 2022

आज़ादी का अमृत महोत्सव

हर घर तिरंगा
13-15 अगस्त, 2022

राष्ट्रीय आवास बैंक
NATIONAL HOUSING BANK

क्या आप जानते हैं?

Ministry of Culture
Government of India
Azadi Ka Amrit Mahotsav
Know your Tiranga!
वन्दे मातरम्
क्या आप जानते हैं?
वर्ष 1906 में डिज़ाइन किये गये राष्ट्रीय ध्वज में तीन रंगों को शामिल किया गया, जिसके बीच में 'वंदे मातरम्' लिखा था।
amritmahotsav.nic.in

Ministry of Culture
Government of India
क्या आप जानते हैं?
राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने चक्र में 24 तीलियां होती हैं।
amritmahotsav.nic.in

Ministry of Culture
Government of India
Azadi Ka Amrit Mahotsav
Know your Tiranga!
वन्देमातरम्
1907 में डिजाइन किया गया राष्ट्रीय ध्वज
amritmahotsav.nic.in

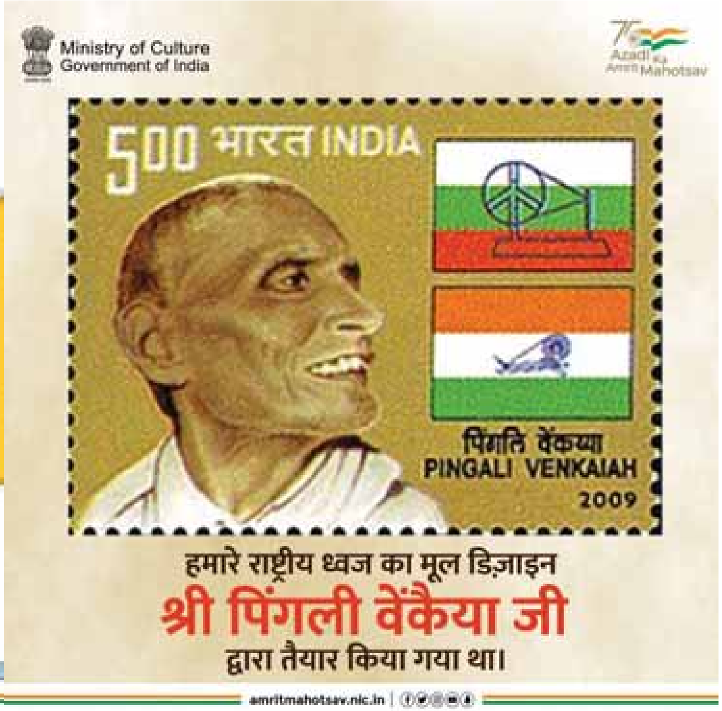
Ministry of Culture
Government of India
Azadi Ka Amrit Mahotsav
500 भारत INDIA
पिंगलि वेंकय्या
PINGALI VENKAIAH
2009
हमारे राष्ट्रीय ध्वज का मूल डिज़ाइन
श्री पिंगली वेंकैया जी
द्वारा तैयार किया गया था।
amritmahotsav.nic.in

विषय सूची

विषय	पृष्ठ

1. राष्ट्रीय आवास बैंक की व्यवसायिक व अन्य गतिविधियां 4
2. एनएचबी रेजीडेक्स 6
3. भारतीय स्वतंत्रता के 75 वर्ष 8
4. आज़ादी का अमृत महोत्सव 12
5. हर घर तिरंगा 14
6. हर घर तिरंगा 17
7. हर घर तिरंगा 20
8. जब करें डेवल्पर्स के साथ सौदा 22
9. भवनों का भूकंपीय पुनर्वास 24
10. डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी 28
11. मुद्रास्फीतिः अवधारणाएं 31
12. बैंकों में आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य का महत्व 33
13. शक्ति व समृद्धि 35
14. मंकीपॉक्स 37
15. हिंदी की सार्वभौमिकता 39
16. भारत के टाइगर रिजर्व (बाघ अभयारण्य) 41
17. बहादुर 43

कुल तकनीकी लेख	– 08
कुल सामान्य लेख	– 07
कुल योग	– 15

आवास भारती

राष्ट्रीय आवास बैंक की राजभाषा पत्रिका
(केवल आंतरिक परिचालन हेतु)

पंजी. संख्या, दिल्ली इन / 2001 / 6138

वर्ष 22, अंक 83, अप्रैल-जून, 2022

प्रधान संरक्षक
शारदा कुमार होता
प्रबंध निदेशक

संरक्षक
वी. वैदीश्वरन
कार्यपालक निदेशक

प्रधान संपादक
वै. राजन
महाप्रबंधक

संपादक
रंजन कुमार बरून
उप महाप्रबंधक

सहायक संपादक
शोभित त्रिपाठी
राजभाषा अधिकारी

संपादक मंडल
अमित सिन्हा, उप महाप्रबंधक
प्रशांत कुमार राय, सहायक महाप्रबंधक
सुकृति वाधवा, क्षेत्रीय प्रबंधक
संजीव कुमार सिंह, प्रबंधक
रौनक अग्रवाल, सहायक प्रबंधक

पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं में अभिव्यक्त विचार, मौलिकता एवं तथ्य आदि लेखकों के अपने हैं। संपादक या बैंक का इनके लिए ज़िम्मेदार अथवा सहमत होना अनिवार्य नहीं है।

राष्ट्रीय आवास बैंक
NATIONAL HOUSING BANK
(भारत सरकार के अंतर्गत सांविधिक निकाय)

कोर–5 ए, 3–5 वां तल,
भारत पर्यावास केंद्र
लोधी रोड, नई दिल्ली–110003

संपादक की कलम से...

प्रिय पाठकगण,

मुझे आवास भारती का यह अंक आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है।

पत्रिका का यह 83वां अंक है एवं समय के साथ मुझे यह लगता है कि पत्रिका अपने आप में परिपक्व होती जा रही है। हमारी हमेशा से यही कोशिश रही है कि पत्रिका में तकनीकी लेखों को तहजीह दी जाए। तकनीकी लेखों के साथ–साथ हम कुछ भाग तकनीकी/सहित्य लेख अथवा काव्य के लिए भी रखते है जिससे पत्रिका का संतुलन बना रहे। पाठकों ने यह गौर किया होगा कि बैंक द्वारा पिछले कुछ समय से लोकसंपर्क कार्यक्रम विभिन्न विषयों पर बैंक द्वारा आयोजित किये जा रहे है।

इन कार्यक्रमों से एक बड़ा फायदा जनता से जुड़ाव के साथ–साथ राष्ट्रीय आवास बैंक की पहचान बनाने के लिए हुआ है। बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय व क्षेत्रीय प्रतिनिधि कार्यालय में इन लोकसंपर्क कार्यक्रमों को सफल बनाने में बेहतर भूमिका निभाई।

बैंक द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून, 2022 को अधिकारियों हेतु प्रातः काल योग सत्र का आयोजन किया गया एवं सायः काल योग पर चर्चा करते हुए कार्यालयीन गतिविधियों के दौरान अपने को स्वस्थ रखने के लिए कैसे छोटी–छोटी योग क्रियाएं कार्यस्थल पर भी की जा सकती है, इस बारे में अभ्यास किया गया। हम सब जानते है कि योग स्वस्थ जीवन का सार है तथा योग के माध्यम से कठिन से कठिन रोगों पर काफी हद तक नियंत्रण किया जा सकता है। इस योग कार्यक्रम के माध्यम से अधिकारियों में नई ऊर्जा और स्फूर्ति का संचार हुआ है तथा बहुसंख्यक अधिकारी कार्यालय समय के दौरान छोटी–मोटी योग क्रियाएं कार्य–स्थल पर करते हुए देखे जा सकते है। योग शरीर में लचीलापन, मांसपेशियों को मजबूत करने और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ाने में भी मदद करता हैं। योग श्वसन, ऊर्जा और जीवन शक्ति में सुधार लाता हैं। योग आसन शक्ति, लचीलापन और आत्मविश्वास का निर्माण करता हैं। योग का नियमित अभ्यास करने से वजन में कमी, तनाव से राहत, प्रतिरक्षा में सुधार और एक स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखने में मदद प्राप्त हो सकती हैं। इस अंक में बैंक द्वारा जनवरी–मार्च, 2022 एनएचबी रेजीडेक्स के साथ–साथ हर घर तिरंगा, भवनों का भूकंपी पुनर्वास, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी के साथ–साथ मुद्रास्फीति, आंतरिक लेखापरीक्षा व जब करें डेवल्पर्स के साथ सौदा आदि पर सारगर्भित लेखों का संकेतन किया गया है।

मुझे उम्मीद है कि पाठकगण हमें अपनी बहुप्रतीक्षित प्रतिक्रिया पत्रिका के पठन के बाद अवश्य देंगे और हमें विश्वास है कि प्रतिक्रियाओं की सकारात्मक व अन्य प्रतिक्रियाओं के माध्यम से मिलने वाले सुझावों को अंगीकार करते हुए हम आगामी अंकों को और ज्ञानप्रद व रोचक बना पायेंगे।

(रंजन कुमार बरुन)
उप महाप्रबंधक एवं संपादक

आप की पाती

महोदय,

आपके बैंक की गृह पत्रिका "आवास भारती" का नवीनतम अंक प्राप्त हुआ। धन्यवाद। पत्रिका के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि पत्रिका को सारगर्भित, गुणवत्तापूर्ण एवं उत्कृष्ट बनाने के पूर्ण प्रयास किये गए है। पर्यावरण संचेतना संबंधित विषयों पर आधारित यह अंक ज्ञानवर्धक एवं रोचक है।

"विश्व में कार्बन उत्सर्जन में बढ़ोतरी के कारण", "हरित आवास– वर्तमान समय की आवश्यकता", "भारतीय अर्थव्यवस्था में आवास वित्त क्षेत्र की भूमिका", देश में बढ़ता शहरीकरण वरदान या अभिशाप" एवं "देश की प्रगति में वित्तीय समावेशन की भूमिका" आदि आलेखों में सारगर्भित सामग्री प्रस्तुत की गई है।

आशा करते है आप हमेशा ज्ञानवर्धक एवं सुरूचिपूर्ण पठनीय रचनाओं से हमें लाभान्वित करते रहेगें।

आगामी अंक हेतु शुभकामनाएं।

(अजय कुमार)
सहायक महाप्रबंधक (राभा)
इंडियन बैंक

महोदय,

आपके दिनांक 12 जुलाई 2022 के पत्र संख्या राआबै/राजभाषा/आवास भारती/82/आउट 04824/2022 के साथ आपके कार्यालय द्वारा प्रकाशित गृह पत्रिका "आवास भारती" के जनवरी–मार्च, 2022 के 82वें अंक की प्रति प्राप्त हुई।

पत्रिका में प्रकाशित तकनीकी प्रकृति के लेखों सहित आज़ादी के 75 वर्ष उपलब्धियां एवं चुनौतियां, ध्यान और योगासन, प्रतिभा पलायन आदि लेख विशेष रूप से ज्ञानवर्धक एवं उत्कृष्ट स्तर के हैं।

इस पत्रिका के संपादक मंडल सहित सभी रचनाकार बधाई के पात्र हैं। आशा है कि भविष्य में भी इस पत्रिका से हमें निरंतर नई जानकारियां प्राप्त होती रहेंगी।

शुभकामनाओं सहित,

(नम्रता बजाज)
प्रबंधक (राजभाषा)
केंद्रीय भंडारण निगम

राष्ट्रीय आवास बैंक की व्यवसायिक व अन्य गतिविधियां

सनरेफ इंडिया – हरित आवास पर लोकसंपर्क कार्यक्रम एएफडी एवं यूरोपीय संघ द्वारा देश में हरित किफायती आवास की आवश्यकता को बढ़ावा देने के संबंध में–

चेन्नई, 26 मई, 2022

सनरेफ (प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग एवं ऊर्जा वित्त) हाउसिंग इंडिया कार्यक्रम ने इस आयोजन में प्रमुख हितधारकों हेतु हरित किफायती आवास के महत्व को उजागर करने हेतु चेन्नई, तमिलनाडु में अपना चौथा क्षेत्रीय प्रचार कार्यक्रम आयोजित किया है। राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक) के साथ साझेदारी में फ्रांसीसी विकास एजेंसी (एएफडी) द्वारा सनरेफ हाउसिंग इंडिया कार्यक्रम को जुलाई 2017 में आरंभ किया गया था एवं यह परियोजना यूरोपीय संघ (ईयू) द्वारा सह–वित्त पोषित है। चेन्नई में आयोजित इस कार्यक्रम में दक्षिणी राज्यों के बैंकों, आवास वित्त कंपनियों (आ.वि.कं.), रियल एस्टेट विकासकों, सरकारी एजेंसियों, हरित निर्माण विशेषज्ञ, आर्किटेक्ट्स और हरित सामग्री उत्पादकों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

रा.आ.बैंक के प्रबंध निदेशक, श्री एस.के. होता ने अपने संबोधन में कहा, "राष्ट्रीय आवास बैंक, अपने स्थापना काल से, विभिन्न पुनर्वित्त एवं प्रत्यक्ष वित्त गतिविधियों के माध्यम से किफायती आवास वित्त की आपूर्ति को सुविधाजनक बनाने हेतु कार्य कर रहा है। चूंकि किफायती वित्त की उपलब्धता वित्तीय प्रणाली की पहुँच को प्रदर्शित करती है, रा.आ.बैंक ने अपनी विविध तथा सुलभ वित्तीय सेवाओं के माध्यम से हमेशा आवास क्षेत्र के विकास का समर्थन किया है। ईयू और एएफडी द्वारा समर्थित और बैंक द्वारा कार्यान्वित सनरेफ भारत कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जो सार्वजनिक एवं निजी प्रवर्तकों की लघु तथा मध्यम आकार की परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु उन्हें सशक्त बनाने के लिए स्थानीय वित्तीय संस्थानों का समर्थन करके देश में हरित किफायती आवास को बढ़ावा देता है। यह कार्यक्रम हरित आवास के संबंध में जागरूकता का सृजन करने पर भी केंद्रित है। उन्होंने आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी धरा को एक बेहतर स्थान बनाने हेतु हरित आवास की ओर बढ़ने की आवश्यकता पर बल दिया है।"

"कार्बन उत्सर्जन को कम करने और सततता को प्राप्त करने में हरित भवन के महत्व के संबंध में बात करते हुए, **सुश्री कमिला क्रिस्टेंसन राय, काउंसलर, भारत में यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल** ने कहा, "यूरोपीय संघ, एएफडी एवं रा.आ.बैंक ने आवास उद्योग में नवाचार को बढ़ावा देने हेतु भागीदारी की है। सनरेफ सतत और किफायती आवास पर ध्यान केंद्रित करके एवं देश में हरित आवास अवधारणा को बढ़ावा देकर साझेदारी में योगदान दे रहा है। इस विचार का उद्देश्य यह है कि स्थानीय संदर्भ में एक बेहतर एवं उपयुक्त समाधान की तलाश की जा सके।"

श्री ब्रूनो बोस्ले, कंट्री डायरेक्टर, एएफडी ने कहा, "एएफडी किफायती 'हरित' आवास के विकास का समर्थन करता है जो भारत में पर्यावरण तथा सामाजिक चुनौतियों का समाधान करता है। उन्होंने आवास के लिए किए गए बड़े पैमाने पर निर्माण के कारण जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर ध्यान केंद्रित किया"

श्री विनीत सिंघल, महाप्रबंधक– पुनर्वित्त परिचालन विभाग (रा.आ.बैंक) के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस

राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रबंध निदेशक श्री एस. के. होता के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भारत पर्यावास केंद्र, नई दिल्ली में 21 जून, 2022 को अधिकारियों हेतु प्रातः योग सत्र का आयोजन किया गया।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस-21 जून, 2022

प्रातः योग सत्र

बैंक द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सुश्री तान्या गुप्ता, योग प्रशिक्षक के नेतृत्व में योगाभ्यास करते हुए अधिकारीगण

सायंः योग पर चर्चा सत्र

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के द्वितीय सत्र में श्री एस.एम. शर्मा, सीसीआरवाईएन, आयुष मंत्रालय द्वारा डेस्क पर योगाभ्यास के तरीके बताये गये

एनएचबी रेजीडेक्स – रिहायशी आवास मूल्य सूचकांक

जनवरी–मार्च, 2022 तिमाही हेतु अद्यतन

एनएचबी रेजीडेक्स, भारत का पहला आधिकारिक आवास मूल्य सूचकांक (एचपीआई), का जुलाई, 2007 को शुभारंभ किया गया था। यह वर्ष 2007 को आधार वर्ष मानते हुए तिमाही आधार पर चयनित शहरों में रिहायशी संपत्तियों के मूल्यों में उतार–चढ़ाव का पता लगाता है। वर्तमान व्यष्टि अर्थव्यवस्था परिदृश्य को दर्शाने के लिए एनएचबी रेजीडेक्स को अद्यतित आधार वर्ष, संशोधित कार्यप्रणाली एवं स्वचालित प्रक्रियाओं के साथ सूचकांकों के कलस्टर सहित नया रूप प्रदान किया गया है। नए रूप में तैयार एनएचबी रेजीडेक्स अपने भौगोलिक कवरेज में वृहत है और दो आवास मूल्य सूचकांक अर्थात 50 शहरों हेतु एचपीआई@आकलन मूल्य तथा 50 शहरों के लिए निर्माणाधीन संपत्तियों हेतु एचपीआई@बाजार मूल्य, को शामिल करता है। यह कवरेज भारत में 21 राज्यों तक फैला है जिसमें 18 राज्य/केंद्र शासित राजधानियां और 33 स्मार्ट शहर शामिल हैं। एनएचबी रेजीडेक्स ने प्रत्येक 50 शहरों के लिए संयुक्त एचपीआई@आकलन मूल्य और निर्माणाधीन संपत्तियों हेतु संयुक्त एचपीआई@बाजार मूल्य भी शामिल किए हैं।

मार्च, 2018 तक, उपरोक्त एचपीआई वित्तीय वर्ष 2012–13 को आधार वर्ष के तौर पर मानते हुए तिमाही आधार पर रिहायशी संपत्तियों के मूल्यों में उतार–चढ़ाव का पता लगाते हैं। अप्रैल–जून, 2018 तिमाही से आधार वर्ष को वित्त वर्ष 2017–18 में स्थानांतरित कर दिया गया है। तीन उत्पाद श्रेणी स्तर नामतः < = 60 वर्ग मी., > 60 तथा < = 110 वर्ग मी. और > 110 वर्ग मी. के अंतर्गत इकाईयों हेतु शहर स्तर (भारतीय रूपए/वर्ग फीट) पर कारपेट क्षेत्र आकार के आधार पर आवास मूल्यों को वर्गीकृत किया गया है। सूचकांकों की गणना लासपियर्स प्रणाली के उपयोग से की गई है, जिसके बाद नए आधार वर्ष से शुरू करते हुए सभी तिमाहियों में चार तिमाही भारित गतिशील औसत की गणना, भारित गतिशील औसत उत्पाद श्रेणी स्तर के मूल्यों पर उत्पाद श्रेणी स्तर पर गतिशील भार के अनुप्रयोग और स्थिर आधार वर्ष भार के साथ की जाती है।

एचपीआई@आकलन मूल्य

- समग्र 50 शहरों में वार्षिक वृद्धि (वर्ष–दर–वर्ष) मार्च–2021 में 2.7% की तुलना में मार्च–2022 में 5.3% रही। वार्षिक वृद्धि 13.8% (अहमदाबाद और भुवनेश्वर) से नवी मुंबई में (–)5.9% तक थी।

चार्ट: एचपीआई@आकलन मूल्य का उतार-चढ़ाव

	Jun-18	Sep-18	Dec-18	Mar-19	Jun-19	Sep-19	Dec-19	Mar-20	Jun-20	Sep-20	Dec-20	Mar-21	Jun-21	Sep-21	Dec-21	Mar-22
Composite 50 City	101	103	105	106	107	109	110	111	112	112	112	114	114	115	117	120
Y-o-Y Growth	2.0%	5.1%	6.1%	6.0%	5.9%	5.8%	4.8%	4.7%	4.7%	2.8%	1.8%	2.7%	1.8%	2.7%	4.5%	5.3%

Composite 50 City   Y-o-Y Growth

- सभी टियर I शहरों में वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। टियर 2 शहरों में से 26 शहरों में वर्ष–दर–वर्ष वृद्धि दर्ज की गई, कोच्चि और विजयवाड़ा में स्थिरता दर्ज किया गया, जबकि नोएडा में गिरावट दर्ज की गई। भुवनेश्वर, गुवाहाटी, कोयंबटूर, रायपुर, तिरुवनंतपुरम एवं वडोदरा में प्रमुख वृद्धि दर्ज की गई। टियर 3 शहरों में 7 शहरों में वृद्धि दर्ज की गई, 2 शहर (अर्थात भिवाड़ी एवं कल्याण डोंबिवली) स्थिर रहे तथा वर्ष–दर–वर्ष सूचकांकों में 4 शहरों (जैसे नवी मुंबई, चाकन, पिंपरी चिंचवाड़ एवं हावड़ा) में गिरावट दर्ज की गई।
- समग्र 50 शहर एचपीआई में दिसंबर–2021 में 1.7% की तुलना में मार्च–2022 में क्रमिक आधार (तिमाही–दर–तिमाही) पर 2.6% की वृद्धि हुई।

निर्माणाधीन संपत्तियों हेतु एचपीआई@बाजार मूल्यः

- समग्र 50 शहरों में वार्षिक वृद्धि (वर्ष–दर–वर्ष) मार्च–2021 में 1.0% की तुलना में मार्च–2022 में 4.8% रही। वार्षिक वृद्धि (भुवनेश्वर) में 23.9% से इंदौर में (–)10.8% तक रही।

टियर 1 शहरों में, कोलकाता, दिल्ली, हैदराबाद, अहमदाबाद, बेंगलुरु एवं पुणे ने वार्षिक वृद्धि दर्ज की, जबकि चेन्नई में मामूली गिरावट दर्ज की गई। मुंबई अपने पिछले वर्ष के मूल्य के आसपास रहा। टियर 2 शहरों में पटना, भुवनेश्वर, गाजियाबाद एवं नोएडा ने एचपीआई में उच्च वार्षिक वृद्धि दर्ज की, जबकि इंदौर, कोयंबटूर, लखनऊ और नागपुर में गिरावट दर्ज की गई। टियर III शहरों में, 11 शहरों में वृद्धि दर्ज की गई एवं 2 शहरों (अर्थात चाकन एवं कल्याण डोंबिवली) में गिरावट दर्ज की गई।

- समग्र 50 शहर एचपीआई में दिसंबर–2021 में 0.9% की तुलना में मार्च–2022 में क्रमिक आधार (तिमाही–दर–तिमाही) पर 1.9% की वृद्धि हुई।

चार्ट: एचपीआई @ बाजार मूल्य का उतार-चढ़ाव
(निर्माणाधीन संपत्तियां के तहत - प्राथमिक बाजार)

	Jun-18	Sep-18	Dec-18	Mar-19	Jun-19	Sep-19	Dec-19	Mar-20	Jun-20	Sep-20	Dec-20	Mar-21	Jun-21	Sep-21	Dec-21	Mar-22
Composite 50 City	101	102	103	103	104	104	104	104	104	104	105	105	106	107	108	110
Y-o-Y Growth	3.1%	4.1%	4.0%	3.0%	3.0%	2.0%	1.0%	1.0%	0.0%	0.0%	1.0%	1.0%	1.9%	2.9%	2.9%	4.8%

Composite 50 City   Y-o-Y Growth

अतिरिक्त जानकारी हेतु जून, 2013 से मार्च, 2022 की अवधि के दौरान एचपीआई@आकलन मूल्य एवं निर्माणाधीन संपत्तियों हेतु एचपीआई@बाजार मूल्य के माध्यम से शहर–वार और उत्पाद–वार मूल्य प्रवृत्ति https://residex.nhbonline.org.in पर देखी जा सकती है।

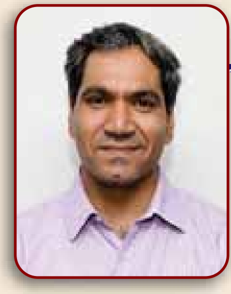

भारतीय स्वतंत्रता के 75 वर्ष

– पकंज चड्ढा,
सहायक महाप्रबंधक

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक लंबा इतिहास है। 1857 में आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत हुई और भारतीय राष्ट्रवाद का उदय भी। स्वतन्त्रता आन्दोलन राष्ट्रीय एवम् क्षेत्रीय आह्वानों, उत्तेजनाओं एवम् प्रयत्नों से प्रेरित, राजनैतिक संगठनों द्वारा संचालित अहिंसावादी आन्दोलन था, जिसका एक समान उद्देश्य, अंग्रेजी शासन से भारत को मुक्त करना था।

3 जून 1947 को, वाइसकाउंट लुइस माउंटबैटन (आख़री ब्रिटिश गवर्नर–जनरल ऑफ़ इण्डिया), ने ब्रिटिश भारत का भारत और पाकिस्तान में विभाजन घोषित किया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 (Indian Independence Act 1947) युनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट द्वारा पारित होने के साथ, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक भिन्न राष्ट्र घोषित हुआ, और मध्यरात्रि के तुरन्त बाद 15 अगस्त 1947 को 12:02 बजे भारत भी एक सम्प्रभु और लोकतान्त्रिक राष्ट्र बन गया। अन्ततः भारत ने 200 वर्ष से चल रहे ब्रिटिश शासन से मुक्ति प्राप्त की और 15 अगस्त 1947, भारत का स्वतन्त्रता दिवस बन गया।

सर रेडक्लिफ की अध्यक्षता में दो आयोगों का ब्रिटिश सरकार ने गठन किया जिनका कार्य विभाजन की देख–रेख और नए गठित होने वाले राष्ट्रों की अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं को निर्धारित करना था। सरदार वल्लभभाई पटेल ने, "मख़मली दस्ताने में लोह मुट्ठी" की अपनी नीतियों से, 565 रियासतों को भारतीय संघ में एकीकृत करने का उत्तरदायित्व लिया। दूसरी ओर, पंडित नेहरू जी ने कश्मीर का मुद्दा अपने हाथों में रखा। संविधान सभा ने संविधान के प्रारूपीकरण का कार्य 26 नवम्बर 1949 को पूरा किया; 26 जनवरी 1950 को भारत गणतन्त्र आधिकारिक रूप से उद्घोषित हुआ।

सभी भारतीय, आज़ादी के 75 वर्ष पर, महात्मा गाँधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चन्द्रशेखर आजाद, बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान जैसे महान क्रांतिवीर, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, कित्तूर की रानी चेन्नम्मा, असम में मातंगिनी हाजरा, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा साहब अम्बेडकर आदि सभी महापुरुषों का ऋणी है और हमेशा रहेंगे।

1947 से 2021 के बीच बहुत कुछ बदल गया है:

15 अगस्त 1947 से लेकर अब तक सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य, खेल एवं तकनीकी क्षेत्र की विकास यात्रा में देश ने अपनी एक पहचान बनाई है। 75 वर्षों की इस विकास यात्रा में नए कीर्तिमान बने हैं। आज भारत की पहचान एक सशक्त राष्ट्र के रूप में है। आज विश्व भारत को अग्रणी राष्ट्र एक संभावित महाशक्ति के रूप में देखता है। भारत वैश्विक आर्थिक परिदृश्य पर अग्रसर है और एक उभरती हुई वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में खुद को स्थापित करने के लिए हर दिन कड़ी मेहनत कर रहा है।

भारत की स्वतंत्रता उसके आर्थिक इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ था। अंग्रेजों द्वारा किए गए विभिन्न हमलों और विमुद्रीकरण के कारण, देश बुरी तरह से गरीब और आर्थिक रूप से ध्वस्त हो गया था। ऐसी परिस्थिति में, भारत ने आर्थिक स्वतंत्रता को अपनाया और निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करने के साथ–साथ आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में काम किया। पंचवर्षीय योजनाएं राष्ट्रीय, आर्थिक और सामाजिक विकास की पहल थी।

1951 में शुरू की गई भारत की पहली पंचवर्षीय योजना, मुख्य रूप से कृषि, मूल्य स्थिरता, बिजली और परिवहन पर केंद्रित थी। यह हैरोड–डोमर मॉडल पर आधारित था जिसने बचत और निवेश में वृद्धि के माध्यम से भारत की आर्थिक वृद्धि को गति दी। हरित क्रांति के परिणामस्वरूप 1978/79 में रिकॉर्ड अनाज उत्पादन हुआ। इसने भारत को दुनिया के सबसे बड़े कृषि उत्पादकों में से एक के रूप में स्थापित किया था। 1960 का दशक भारत के लिए विभिन्न आर्थिक चुनौतियों का एक दशक था। रुपये के अवमूल्यन ने सामान्य रूप से कीमतें बढ़ाई थीं। 19 जुलाई, 1969 को तत्कालीन प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री

श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश के 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का फैसला किया, जिसका मुख्य उद्देश्य अकेले बड़े व्यवसायों के विपरीत बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र को दिए गए ऋण को बढ़ाना था। जब पी.वी. नरसिम्हा राव ने 1991 में प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला तब उन्होंने एक नई औद्योगिक नीति की घोषणा की जिसने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण पर जोर दिया, जिससे भारत की विकास दर, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई। श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देश की आधारभूत संरचना पर ध्यान दिया व स्वर्णिम चतुर्भुज योजना ने चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली और मुंबई को हाईवे नेटवर्क से जोड़ा वहीं गावों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से शहर व ग्रामीण अर्थव्यस्था को मजबूत किया। अटल जी के प्रधानमंत्रित्व काल के दौरान देश में निजीकरण को उस रफ़्तार तक बढ़ाया गया जहां से वापसी की कोई गुंजाइश नहीं बची। अटल जी ने 1999 में अपनी सरकार में विनिवेश मंत्रालय के तौर पर एक अनोखा मंत्रालय का गठन किया व प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया। आर्थिक प्रगति के एक नए युग की शुरुआत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग की जगह नीति आयोग (नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया) का गठन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की शुरुवात की।

उदारीकरण के दौर के बाद भारत तेजी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा है। आर्थिक, सैन्य एवं अंतरिक्ष क्षेत्र में इसने सफलता की बड़ी छलांग लगाई है। चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ी है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बना हुआ है। सैन्य क्षेत्र में भारत एक महाशक्ति बनकर उभरा है। परमाणु हथियारों से संपन्न भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना है। मिसाइल तकनीकी में दुनिया भारत का लोहा मान रही है। अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत ने नए–नए कीर्तमान गढ़े हैं। मंगल मिशन की सफलता एवं रॉकेट प्रक्षेपण की अपनी क्षमता के बदौलत भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में महारथ रखने वाले चुनिंदा देशों में शामिल है। आईटी सेक्टर में देश अग्रणी बना हुआ है। इन उपलब्धियों ने देश को सुपरपावर बनने के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया है।

सिंहावलोकन जरूरी है:

एक देश और व्यक्ति के रूप में आज हम कहां खड़े हैं, इसका सिंहावलोकन करना जरूरी है। आज़ादी के इन सालों में हमने क्या खोया और क्या पाया है, आज इसकी भी बात करनी जरूरी है। संविधान में एक आदर्श देश की जो परिकल्पना की गई है उसे हम कितना साकार कर पाए हैं। नागरिकों से समाज और समाज से देश बनता है। एक सजग समाज देश को उन्नति के रास्ते पर ले जाने का मार्ग प्रशस्त करता है। बीते 75 सालों में अपनी अंदरूनी समस्याओं, चुनौतियों के बीच देश ने ऐसा कुछ जरूर हासिल किया है, जिसकी तरफ दुनिया आकर्षित हो रही है। देश के पास गर्व करने के लिए उपलब्धियां हैं तो अफसोस जताने के लिए वजहें भी हैं। आंतरिक चुनौतियों एवं सांप्रदायिक सौहार्द्र बिगाड़ने की कुटिल चालों को नाकाम करते हुए भारत ने अपनी अनेकता में एकता की खासियत एवं धर्मनिरपेक्षता की भावना बरकरार रखी है।

भारत जीवंत लोकतंत्र का एक जीता–जागता उदाहरण है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के रूप में भारत ने एक परिपक्व देश के रूप में अपनी पहचान बनाई है। आम आदमी को सशक्त बनाने के लिए बीते दशकों में सरकारें जनकल्याणकारी नीतियां और योजनाएं लेकर आईं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, मनरेगा जैसे कार्यक्रमों एवं योजनाओं ने आम आदमी को सशक्त बनाया है। इन महात्वाकांक्षी योजनाओं से विकास की गति तेज हुई। लेकिन यह भी सच है कि सरकार की इन योजनाओं को पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सका। इन विकास योजनाओं के बावजूद देश में गरीबी, पिछड़ापन दूर नहीं हुआ है। विकास से जुड़ी समस्याएं अभी भी मौजूद हैं।

जाहिर है कि आज भारत के पास दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ है लेकिन इन सफलताओं एवं उपलब्धियों के बावजूद सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों में ह्रास हुआ है। व्यक्ति से लेकर समाज, राजनीति सभी क्षेत्रों में मूल्यों का पतन देखने को मिला है। सत्ता, पावर, पैसे की चाह ने लोगों को भ्रष्ट एवं नैतिक रूप से कमजोर बनाया है। मूल्यों में पतन समाज के सभी क्षेत्रों में आया है। इसके लिए किसी एक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। बेहतर समाज एवं राष्ट्र बनाने की जिम्मेदारी हम सभी की है।

स्वतंत्रता के 75 वर्ष की गौरवशाली यात्रा यह उम्मीद जगाती है कि आने वाले समय में हम और अधिक तेज गति से आगे बढ़ेंगे और इस क्रम में उन सपनों को भी साकार करेंगे, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान निर्माताओं ने भी देखे और हमारी आज की पीढ़ी भी देख रही है। ये सपने हैं सक्षम, आत्मनिर्भर और समरस भारत के–एक ऐसे भारत के, जिसमें सभी सुखी और समृद्ध हों और सबके बीच सद्भाव हो। भविष्य के भारत का निर्माण करने के लक्ष्य की ओर बढ़ते समय हम इसको अनदेखा नहीं कर सकते कि हम केवल 75 साल पुराने राष्ट्र नहीं हैं। हमारी संस्कृति और उसकी समृद्ध परंपराओं ने हमें विशिष्ट रूप में गढ़ा है, इसलिए हमें उनका स्मरण भी करते रहना है और खुद को एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में ढालना भी है, क्योंकि यही समय की मांग है।

COVID–19 के प्रसार को रोकने के लिए प्रतिबंधों के बावजूद, 'नए भारत' ने आकार लेना शुरू कर दिया है, क्योंकि राष्ट्र हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक मजबूत प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहा है। यह उल्लेख करना उचित है कि आत्मनिर्भर भारत का मतलब दुनिया के बाकी हिस्सों से कट जाना और दूर होना नहीं है। बल्कि आत्मनिर्भरता का अर्थ है अपने सर्वोत्तम कार्यों को समृद्ध करना, अपने क्षितिज का विस्तार करना और फिर दुनिया को हासिल किए गए कार्य को दिखाना । आज़ादी के 75 साल बाद भी हम ब्रिटिश विभाजन की प्रथा का पालन कर रहे हैं और इसने लंबे समय में हमारे समाज को नुकसान पहुंचाया है। लेकिन सुधार लगातार किए जा रहे हैं और लोग जो सही है उसके लिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि शिक्षित लोगों की संख्या बढ़ रही है।

यद्यपि भारत एक विश्व, एक सूर्य और एक ग्रिड के अपने दृष्टिकोण से पूरी दुनिया को प्रेरित कर रहा है, फिर भी कुछ चुनौतियां हैं और साथ ही आत्मनिर्भर बनने के अवसर भी उपलब्ध हैं जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

आत्मनिर्भर बनने में अंतर्निहित मुद्दे:

- बाजार विकृतिः भारत ने 1991 में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण सुधारों के माध्यम से वैश्विक बाजार के लिए खुद को खोल दिया, लेकिन बाजार मॉडल को पूर्ण स्वतंत्रता देने में संकोच बना रहा।
- कमजोर विनिर्माणः भारत सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र के योगदान को प्राप्त करने के अपने लक्ष्य से बहुत पीछे है।
- अन्य देशों पर निर्भरताः भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, सौर उपकरण, सक्रिय दवा सामग्री और पूंजीगत वस्तुओं से संबंधित आयात के लिए अन्य देशों पर विशेष रूप से चीन पर निर्भर है। इन क्षेत्रों में विनिर्माण के लिए घरेलू क्षमता विकसित किए बिना अन्य देशों पर निर्भरता से अलग होना आसान नहीं होगा।

उपलब्ध अवसरः

- वैश्विक विनिर्माण चीन से दूर जा रहा हैः अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियां पहले से कहीं अधिक चीन में व्यवसायों के एकाग्रता जोखिम के बारे में चिंतित हैं। इसलिए, सोर्सिंग को चीन से दूर ले जाने की प्रवृत्ति जारी रहेगी। भारत इन निवेशों को आकर्षित कर सकता है और अगला वैश्विक विनिर्माण केंद्र बन सकता है
- वैश्विक जनसंख्या का बुढ़ापाः जनसांख्यिकी को ध्यान में रखते हुए, अधिकांश विकसित देशों के पास अपने देशों में अपनी जरूरत की सभी चीजें पैदा करने के लिए कार्यबल की कमी है। भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश विश्व के लिए एक युवा मानव संसाधन की आवश्यकता को पर्याप्त रूप से पूरा कर सकता है।
- विशाल घरेलू मांगः भारत में प्राकृतिक संसाधनों की एक विशाल श्रृंखला, एक विशाल जनसांख्यिकीय लाभ, एक बड़ा कृषि समुदाय, गतिशील औद्योगिक सेटअप (ऑटोमोबाइल और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्र) और उद्यमशीलता पथ–तोड़ने वालों का एक समूह है। इस संदर्भ में, भारत में लगभग सभी इनपुट के साथ–साथ आउटपुट (मांग और आपूर्ति) कारक हैं, जो आत्मनिर्भर और उत्तेजक मांग बनने के लिए आवश्यक हैं।

आगे का रास्ताः

- स्थानीय को बढ़ावा देनाः "स्थानीय" के लिए मुखर होना आत्म–निर्भर भारत अभियान का एक प्रमुख पूरक है। इस संदर्भ में, लोगों को स्थानीय उत्पादों और कलाकृतियों को महत्व देने और उन्हें बढ़ावा देने की अवधारणा को आत्मसात करना चाहिए। इसके बाद ही "स्थानीय" भारत को "वैश्विक" भारत में बदलने का सपना साकार होगा।
- अनुकूल नीतिः सामान्य तौर पर, प्रतिस्पर्धा नवाचार और दक्षता को बढ़ाती है। हालांकि, क्रोनी कैपिटलिज्म स्थानीय प्रतिस्पर्धा को कमजोर करता है और अक्सर संसाधनों को अधिक कुशल और तकनीकी रूप से नवीन कंपनियों से दूर कर देता है। इस प्रकार, नीतियों को घरेलू प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना चाहिए और क्रोनी कैपिटलिज्म से बचना चाहिए।
- महत्वपूर्ण मूल्य श्रृंखलाओं का समर्थन नियंत्रणः भारत तब तक आत्मनिर्भर नहीं बन सकता जब तक कि उसका घरेलू और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर नियंत्रण न हो। इस प्रकार, विशेष रूप से स्वास्थ्य सेवा, कृषि और रक्षा में रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए वैश्विक मूल्य श्रृंखला के कुछ हिस्सों पर अधिक नियंत्रण सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।
- सार्वजनिक खरीद को मजबूत बनानाः अनिवार्य ई–निविदा और सरकारी इलेक्ट्रॉनिक मार्केटप्लेस के निर्माण जैसे कुछ कदमों ने आपूर्तिकर्ताओं के लिए पहले से ही एक अधिक स्तर का खेल मैदान तैयार किया है। सार्वजनिक खरीद के "कोट टू कैश" चक्र को पूरा करने के लिए चक्र समय को तेज करके इन प्रक्रियाओं को और मजबूत किया जाना चाहिए।

- तुलनात्मक लाभ पर ध्यान केंद्रित करना: भारत एक ऐसे क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित कर सकता है जहां वह अंतर कर सकता है और वैश्विक और घरेलू निवेशकों को आकर्षित कर सकता है और एक नेता बन सकता है। भारत के लिए अगली बड़ी चीज 3डी मैन्युफैक्चरिंग, रोबोटिक्स और ऑटोमेशन हो सकती है। चूंकि ये प्रौद्योगिकियां विनिर्माण और आईटी का संगम हैं, आईटी पर भारत की अग्रणी बढ़त, विश्व स्तर पर इस स्थान में अग्रणी बनने के लिए एक मंच प्रदान करती है।

उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सत्यनिष्ठा पर अधिक बल देने की आवश्यकता है। हमारे देश में भ्रष्टाचार, कालाबाजारी, धोखाधड़ी मौजूद है, जो भारत को आत्मनिर्भर बनने में बाधक है। आज की अत्यधिक प्रतिस्पर्धी दुनिया में, नैतिक रूप से और सत्यनिष्ठा के साथ जीना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पहले था। जब ऐसा लगता है कि सारी दुनिया झूठ और छल में लिप्त है, तो ईमानदारी को थामे रखना मुश्किल हो सकता है। हालांकि किसी भी लाभ और हानि विवरण पर सत्यनिष्ठा प्रकट नहीं होती है, लेखाकार किसी भी बैलेंस शीट पर अखंडता की गणना नहीं करता है, लेकिन इस आंतरिक गुण को अनदेखा करना महंगा है। इस संबंध में ड्वाइट डी आइजनहावर (Dwight D Eisenhower) ने कहा कि "नेतृत्व के लिए सर्वोच्च गुण निर्विवाद सत्यनिष्ठा है। इसके बिना कोई वास्तविक सफलता संभव नहीं है।" आर. बकमिन्स्टर फुलर (R. Buckminster Fuller) ने भी इस बात पर प्रकाश डाला कि "ईमानदारी हर चीज का सार है।"

यह सब सुनने और पढ़ने में काफी आसान लग सकता है। हालांकि, ईमानदारी के साथ जीना हमेशा आसान नहीं होता है। कभी–कभी, हर कोई आसान रास्ता निकालने, अपने विश्वासों से समझौता करने, अपने मूल्यों को झूठ बोलने के लिए लुभाता है। यदि हम अपने जीवन के हिस्से के रूप में ईमानदारी चाहते हैं, तो हम डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन (W. Clement Stone) के शब्दों से प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं जिन्होंने कहा था कि "सच का सामना करने की हिम्मत रखो। सही काम करो क्योंकि यह सही है। ये आपके जीवन को सत्यनिष्ठा के साथ जीने की जादुई कुंजी हैं।"

अगर हम वास्तव में पूरे भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, तो हमें खुद से शुरुआत करनी होगी। आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति को संकल्प लेना चाहिए कि वह न तो भ्रष्टाचार करेगा और न ही भ्रष्टाचार का समर्थन करेगा।

सितंबर 1893 में, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो, यूएसए में अपने प्रतिष्ठित संबोधन में कहा था कि "मुझे गर्व है कि मैं उस देश से हूं जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ़ सार्वभौमिक सहिष्णुता पर ही विश्वास नहीं करते बल्कि, हम सभी धर्मों को सच के रूप में स्वीकार करते हैं।" ये वो भाषण है जिसने पूरी दुनिया के सामने भारत को एक मजबूत छवि के साथ पेश किया।

स्वामी विवेकानंद के विचार और आदर्श करोड़ों भारतीयों, खासकर हमारे युवाओं को प्रेरित कर सकते हैं। उन्हीं से हमें एक ऐसे भारत के निर्माण की प्रेरणा मिलती है जो आत्मनिर्भर, मजबूत, जीवंत, समावेशी और एक ऐसा भारत है जो कई क्षेत्रों में वैश्विक नेतृत्व लेता है।

आइए आशा करते हैं कि एक दिन जल्द ही आएगा जब महान भारतीय कवि रवींद्रनाथ टैगोर का एक समृद्ध भारत का सपना सच हो जाएगा। ऐसा भारत:

जहाँ मन निर्भय हो और मस्तक ऊँचा हो
जहां ज्ञान मुक्त है
जहाँ दुनिया टुकड़े–टुकड़े नहीं हुई है
संकरी घरेलू दीवारों से
जहां शब्द सत्य की गहराई से निकलते हैं
जहाँ अथक प्रयास अपनी भुजाओं को पूर्णता की ओर फैलाता है
जहां कारण की स्पष्ट धारा ने अपना रास्ता नहीं खोया है
मृत आदत की सुनसान रेगिस्तानी रेत में
जहाँ मन तेरे द्वारा आगे ले जाया जाता है
हमेशा व्यापक विचार और कार्य में
उस स्वतंत्रता के स्वर्ग में, मेरे पिता, मेरे देश को जाने दो

पीएम मोदी ने भी कहा कि "हमारा मिशन एक समृद्ध भारत का निर्माण करना है। एक ऐसा भारत जहां किसान सक्षम हों; कार्यकर्ता संतुष्ट; महिला सशक्त और युवा आत्मनिर्भर। शत–प्रतिशत गांवों में सड़के हों, शत–प्रतिशत परिवारों के बैंक अकाउंट हो, शत–प्रतिशत लाभार्थियों को आयुष्मान भारत का कार्ड हो, शत–प्रतिशत पात्र व्यक्तियों को उज्ज्वला योजना और गैस कनेक्शन हों। पटरी और फुटपाथ पर बैठकर सामान बेचने वाले, ठेला चलाने वाले साथियों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा हो। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास हर लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये बहुत महत्वपूर्ण है। साथ में जरूरी है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार संघर्ष किया जाए।

हमें हमेशा याद रखना चाहिए:

"एक राष्ट्र की ताकत घर की अखंडता से प्राप्त होती है"

आज़ादी का अमृत महोत्सव

– दीपक राठी,
उप प्रबंधक

आओ, हम सब देश के लिए जीना सीखें। जैसा कि हम सब जानते है कि पर्व व्यक्ति के जीवन को एकरसता से बचाकर उसमें आनन्द एवं उत्साह भरते हैं। खुशियां मनाने के साथ–साथ पर्वों पर समाज को अपनी प्रगति के मूल्यांकन का भी अवसर मिलता है ताकि हम अपने विगत की समीक्षा कर आने वाले कल को सुन्दर, मनमोहक एवं सफल बनाने का प्रयास कर सकें।

भारत का राष्ट्र ध्वज

इस विश्व में हर एक देश का अपना एक राष्ट्र ध्वज होता है जो कि उस देश में रहने वाले हर नागरिक को गौरान्वित महसूस कराता है। इसी तरह भारत देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, जो तीन रंगो– केसरिया, सफेद, और हरे रंग से बना है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी है जो देश की अपार शक्ति को दर्शाता है। इसके मध्य में सफेद रंग की पट्टी है जो कि शांति का प्रतीक है तथा सबसे निचले भाग में हरे रंग की पट्टी है जो कि हमारे खुशहाली को दर्शाती है। इसके केंद्र में नीले रंग से बना अशोक चक्र है जिसमें 24 धुरियां है जो कि चक्र की तरह निरंतरता की प्रतीक है। तीन रंगो से बने होने के कारण इस ध्वज को हम तिरंगा कहते हैं जो हमारे देश के स्वतंत्र देश होने का संकेत है।

तिरंगे का वर्तमान स्वरूप को 22 जुलाई, 1947 को आयोजित भारतीय संविधान की बैठक के दौरान अपनाया गया था। इस बैठक में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के बारे में यह निर्धारित किया गया कि तीनों रंग (केसरिया, सफेद व हरा) की क्षैतिज पट्टियां समान आकार में होनी चाहिए तथा ध्वज की लम्बाई और चौड़ाई का उचित अनुपात 2 और 3 का है। राष्ट्रध्वज हस्त निर्मित खादी कपड़े से ही बनाया जाना चाहिए।

हमारे राष्ट्रध्वज की शान, प्रतिष्ठा, मान तथा गौरव सदा बनी रहे, इसलिए भारतीय कानून के अनुसार ध्वज को सदैव सम्मान की नज़र से देखना चाहिए, तथा झण्डे का स्पर्श कभी भी पानी और ज़मीन से नहीं होना चाहिए। मेज़पोश के रूप में, मंच, किसी आधारशिला या किसी मूर्ति को ढकने के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। 2005 से पूर्व तक इसका उपयोग किसी पोशाक तथा वर्दी के रूप में नहीं किया जा सकता था, पर 5 जुलाई 2005 के संशोधन के पश्चात से इसकी अनुमति दी गई। इसमें भी कमर के नीचे के कपड़े व रूमाल तथा तकिये के रूप में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। झण्डा डुबाया नहीं जा सकता है, तथा जान–बूझकर उल्टा नहीं रखा जा सकता है। राष्ट्रध्वज को फहराना एक पूर्ण अधिकार है, पर इसका पालन संविधान के अनुच्छेद 51क के अनुसार हर भारतीय नागरिक को करना अनिवार्य है।

आज़ादी का अमृत महोत्सव

इस साल हमारा भारत देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है लेकिन प्रश्न ये है कि इस आज़ादी के मायने क्या है? इसे इतनी आसानी से नहीं समझा जा सकता है। आज़ादी के महत्व को जानने के लिए हमें इतिहास की उन अंधेरी सुरंगों में उतरना पड़ता है जहां हजारों लाखों देशभक्तों ने अपने घर परिवार का त्याग करके एवं तुच्छ स्वार्थों को ताक पर रखकर अपने पूरे जीवन को देश के हित में समर्पित कर दिया। उन लोगों ने कितने कष्ट एवं यातनाएं झेली। उन्होनें अपनी जिंदगी के ना जाने कितने दिन, महीने और साल जेलों में काटे। अंग्रेजों (जिनके लिए मैं विदेशी आक्रांता शब्द प्रयोग करूंगा) की गलत एवं पक्षपाती नीतियों के चलते अकल्पनीय अत्याचारों को सहा। इस भारत देश की माटी के ना जाने कितने सपूतों एवं देश भक्तों ने अपने प्राणों को मातृभूमि के लिए कुर्बान कर दिया। उन वीरों की गाथाओं को पढ़ते समझते हुए हम यह जान सकते हैं कि आज़ादी हमारे लिए कितनी अनमोल है। आज जब हमारा भारत देश अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूरे कर रहा है तो हमें अमृत महोत्सव के इस अवसर पर आज़ादी के महत्व के साथ समकालीन परिस्थितियों में देश के प्रति हमारे कर्तव्य का बोध भी होना चाहिए। हमारे शुद्ध सात्विक भावों से और देश के प्रति निष्ठा से तिरंगा अपनी शान और चमक के साथ दुनिया भर में लहराएगा और पूरे विश्व में भारत देश की जय जयकार होगी।

यह सुखद है कि विगत 75 सालों में हमारे देश और समाज में शिक्षा का व्यापक प्रचार–प्रसार हुआ है। महानगरों ही नहीं सुदूर ग्रामीण अंचलो से प्रतिभाएं निकल कर सामने आ रही हैं आज के इस संचार क्रान्ति के युग में विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों व उपाधियों के आधार पर रोजगार के नवीन क्षेत्र सामने आए हैं जिनमें भारी–भरकम वेतन तथा विभिन्न प्रकार की मिलने वाली सुविधाएं उम्मीदों को बढ़ाने वाली हैं। मगर यह सिक्के का एक पहलू है।

यह विडम्बना नहीं तो भला और क्या है कि बड़ी–बड़ी शैक्षणिक डिग्रियों के बावजूद संस्कारों की जमीन खिसकती जा रही है। स्वार्थ अवलम्बित जीवन शैली ने नैतिकता के तमाम मापदण्डों को ताक पर रख दिया है। पारम्परिक विश्वासों व आस्थाओं को ठोकर मारना 'आधुनिकता' की अघोषित शर्त बन गया है। यह मूल्यहीनता का दौर है। प्राचीन मूल्य अपनी आब खो रहे हैं वहीं नवीन मूल्यों के प्रति संशय की स्थिति बनी हुई है।

देश के पराधीन होने की वजह से हम विदेशी संस्कृति और सभ्यता से बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित हैं। आज हम स्वतंत्र होने के बाद भी अपनी संस्कृति और सभ्यता को पूरी तरह से भूल चुके हैं। हमें स्वाधीनता का सही मतलब पता न होने की वजह से आज तक मानसिक पराधीनता के लिए स्वतंत्र होने का झूठा अनुभव और गर्व करते हैं। आज के समय में हमारी यह स्थिति हो गई है कि हम आज तक स्वाधीनता के मतलब को गलत समझ रहे हैं। आज हम स्वाधीनता के गलत अर्थ को स्वतंत्रता से लगा कर सबको अपनी उद्रण्डता का परिचय दे रहे हैं।

व्यावसायिक रवैये ने शाश्वत जीवन मूल्यों के प्रति निष्ठा कम कर दी है जिससे सच्चे, अच्छे लोग व्यवस्था में हाशिए पर आ गए हैं। अवैधानिक व अनैतिक कामों में लिप्त लोग धन बल और राजनैतिक गठजोड़ के कारण प्रतिष्ठा अर्जित कर रहे हैं। कला–साहित्य संस्कृति के प्रति श्रद्धा कम हुई है। बाजारीकरण ने जीवन के हरेक क्षेत्र को प्रभावित किया है। यहां हर चीज बिकाऊ है। आदमी का मतलब केवल उपभोक्ता है। टीवी–मोबाइल–कम्प्यूटर में उलझे आज के युवा के पास इतना वक्त भला कहां है कि वह अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की सुध ले सके। मोबाइल, ई–मेल जैसे साधनों से सम्पर्कों में तो इजाफा हुआ है मगर संवेदना की रसधारा सूख रही है। इस संवेदनहीन समय में रिश्तों में अपनत्व की गरमाहट नहीं है बल्कि निकट के पारिवारिक रिश्ते भी औपचारिकता से निभाएं जा रहे है।

कैरियर के दबाव तथ टीवी चैनलों के आंतक ने दादी–नानी की सरस कहानियां की समृद्ध परम्परा को बीते जमानों की बात बना डाली है। अब तो उल्टा सास बहु और ननद भाभी के रिश्तों में भी झूठी दरारों को दिखा कर गलत संस्कार परोसे जा रहे हैं। हो–हल्ला और कानफोडु ध्वनि में संगीत की परिभाषा ही बदल दी है और लोक गीतों की सरिता भी सूखने लगी है। महानगरों की तरह कस्बों–शहरों में गुरबत–हथाई की परम्परा पर संकट के बादल मंडरा रहे है। रही–सही कसर चौबीस घंटों चलने वाले बुद्धू –बक्से ने पूरी कर दी है। मनोरंजन के नाम पर भौंडा प्रदर्शन बेरोकटोक जारी है तथा बड़े ही नहीं बच्चे भी चटखारे लेकर अशिष्ठ–अश्लील कार्यक्रमों को देख रहे हैं।

आज के जमाने में लोगों में पढ़ने की आदत छूट रही है। एक वक्त था, जब हरेक घर के ड्रांइग रूम में किताबों की मौजूदगी प्रतिष्ठा का विषय माना जाता था वहीं साहित्य से दूर होने से नई पीढ़ी का सांवेगिक विस्तार समुचित रूप से नहीं हो पा रहा है। यद्यपि संचार माध्यमों के सकारात्मक पक्ष भी है मगर उनका नकारात्मक प्रयोग चिंताजनक है। ऐसे समय में समाज के प्रबुद्ध वर्ग का दायित्व बढ़ जाता है। क्या ही अच्छा हो कि प्रगति के शिखरों की ओर बढ़ते हुए भी हमारी नई पीढ़ी अपनी जमीन से जुड़ी रहे। अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की सुध लेने तथा रचनात्मक –सकारात्मक माहौल तैयार करने के लिए सकारात्मक रूप से विचार करने की आवश्यकता है।

आज़ादी का अमृत महोत्सव मानने का उद्देश्य

आज भारत का अपना अलग मुकाम है और निरंतर नई–नई उपलब्धियों को पार कर रहा है। आज हर क्षेत्र में भारत आगे है पर जब भारत गुलामी की बेड़ियों से जकड़ा था तब इस देश को स्वतंत्र करने के लिए बहुत से सुपूतों ने बलिदान दिया और बहुत कष्ट सहे। परंतु अभी भी बहुत से लोग है जो आज़ादी के संघर्ष को नहीं जानते और उनके बलिदान की कहानी नहीं पता है इसलिए आज़ादी के अमृत महोत्सव के माध्यम से उन सभी लोगों को आज़ादी के सही मायने बताने बहुत जरूरी है। इस अमृत महोत्सव में उन वीर सुपूतों को याद करना है, जिन्होंने अपने परिवार और अपना समस्त जीवन केवल देश को समर्पित कर दिया।

उपसंहार

'आज़ादी का अमृत महोत्सव' उत्सव पिछले 75 वर्षों में भारत द्वारा की गई तीव्र प्रगति एवं उन्नति के अनुभूति का एक त्योहार है। यह त्यौहार हमें अपनी छिपी शक्तियों को फिर से खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है और हमें राष्ट्रों के समूह में अपना सही स्थान हासिल करने के लिए ईमानदार, सहक्रियात्मक कार्रवाई करने के लिए मन में एक उमंग जागृत करता है एवं देश हित में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है।

आइए आज़ादी के इस अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा फहराएं और देश समाज के प्रति अपने दायित्वों को पूरी लगन से निभाएं।

हर घर तिरंगा

(पुरस्कार प्राप्त लेख) – आशीष जैन,
क्षेत्रीय प्रबंधक

किसी भी देश का ध्वज उस देश का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक होता है। इसी तरह, भारत का राष्ट्रीय ध्वज भी भारत के लिए सर्वोपरि महत्व का प्रतीक है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज सम्मान, देशभक्ति, पूरे देश के लिए राष्ट्रीय गौरव और देश की स्वतंत्रता का प्रतीक है। यह भाषा, संस्कृति, धर्म, वर्ग आदि में अंतर के बावजूद भारत के लोगों की एकता का प्रतिनिधित्व करता है। सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि भारतीय ध्वज एक क्षैतिज आयताकार तिरंगा है। इसके अलावा, भारत के झंडे में केसरिया, सफेद और हरा रंग है।

भारत के राष्ट्रीय ध्वज का इतिहास

1921 में महात्मा गांधी द्वारा पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को इस ध्वज का प्रस्ताव दिया गया था। इसके अलावा, ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकय्या द्वारा तैयार किया गया था। झंडे के केंद्र में एक पारंपरिक चरखा था। फिर ध्वज के केंद्र में एक सफेद पट्टी को शामिल करने के लिए डिजाइन में संशोधन किया गया। यह संशोधन अन्य धार्मिक समुदायों के लिए और चरखा के लिए एक पृष्ठभूमि बनाने के लिए भी किया गया था।

किसी खास या कुछ खास संप्रदाय से जुड़ाव से बचने के लिए रंग योजना में, विशेषज्ञों ने तीन रंगों को चुना। ये तीन रंग हैं केसरिया, सफेद और हरा। केसरिया रंग जहां साहस और बलिदान का प्रतिनिधित्व करता है। वहीं, सफेद रंग शांति और सच्चाई को दर्शाता है। इसके अलावा, हरा रंग विश्वास और शौर्य का प्रतीक है।

आज़ादी से कुछ दिन पहले संविधान सभा ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। इसमें यह निर्णय लिया गया कि भारतीय ध्वज सभी समुदायों और पक्षों को स्वीकार्य होना चाहिए। हालांकि, इसके कारण भारत के झंडे के रंगों में कोई बदलाव नहीं किया गया। हालाँकि, चरखे की जगह अशोक चक्र ने ले लिया। यह अशोक चक्र कानून के शाश्वत चक्र का प्रतिनिधित्व करता है।

तिरंगे को कैसे रखना चाहिए

नियम के अनुसार किसी पोडियम के पीछे दीवार पर अगर दो ध्वज क्षैतिज रूप से लगे हुए हों तो दोनों का चेहरा आमने–सामने फहराता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, केसरिया पट्टी सबसे ऊपर होनी चाहिए। यदि ध्वज को एक छोटे झंडे पर प्रदर्शित किया जाता है, तो इसे दीवार पर एक कोण पर लगाया जाना चाहिए, जिसमें ध्वज को आकर्षक ढंग से लपेटा गया हो।

झंडे को कभी भी टेबल, लेक्चर, पोडियम या इमारतों को ढंकने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। जब भी सार्वजनिक सभाओं या किसी भी प्रकार की सभाओं में हॉल में ध्वज को अंदर प्रदर्शित किया जाता है, तो यह हमेशा दाईं ओर (पर्यवेक्षकों के बाएं) होना चाहिए, क्योंकि यह प्राधिकरण की स्थिति है। इसलिए जब हॉल या अन्य सभा स्थल में एक स्पीकर के बगल में ध्वज प्रदर्शित किया जाता है, तो उसे स्पीकर के दाहिने हाथ पर रखा जाना चाहिए। जब इसे हॉल में कहीं और प्रदर्शित किया जाता है, तो यह दर्शकों के दाईं ओर होना चाहिए। ध्वज को पूरी तरह से फैलाकर और ऊपर भगवा पट्टी के साथ प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

अन्य बिंदु

भारत के संशोधित ध्वज संहिता के अनुसार अब भारतीय राष्ट्रीय ध्वज या तिरंगा पॉलिएस्टर और मशीनों की मदद से बनाया जा सकता है। केंद्र सरकार ने दिसंबर 2021 में ध्वज संहिता में संशोधन करते हुए कहा कि पॉलिएस्टर या मशीन से भी राष्ट्रीय ध्वज बनाया जा सकता है। इससे पहले, केवल कपास, रेशम, ऊन या खादी से बने हाथ से काते और बुने हुए झंडों की ही अनुमति थी। ध्वजारोहण, उपयोग और प्रदर्शन भारतीय झंडा संहिता, 2002 और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 द्वारा नियंत्रित है।

आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत माननीय गृह मंत्री ने हमारे ध्वज को और सम्मानित करने के लिए 'हर घर तिरंगा' (हर दरवाजे पर तिरंगा) के कार्यक्रम को मंजूरी दी है। यह हर जगह भारतीयों को अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित करने की परिकल्पना है।

तिरंगे के साथ हमारा संबंध हमेशा से व्यक्तिगत से कहीं अधिक औपचारिक और संस्थागत रहा है। स्वतंत्रता के 75 वें वर्ष में एक राष्ट्र के रूप में ध्वज को सामूहिक रूप से घर लाना न केवल तिरंगे से व्यक्तिगत संबंध का प्रतीक बन जाता है, बल्कि राष्ट्र–निर्माण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक भी बन जाता है, इस पहल के पीछे का विचार लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना

जगाने और अपने राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने की भावना से प्रेरित है।

तिरंगे का विकास:

यह जानना अत्यंत रोचक है कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज अपने आरंभ से किन–किन बदलावों से गुजरा। इसे हमारे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान खोजा गया या मान्यता दी गई। आज हम जिस रूप में अपने तिरंगे को देख रहे हैं वहां तक पहुंचने में वह अनेक दौरों से गुजरा है। सबसे पहले 1906 में भारत का गैर आधिकारिक ध्वज फहराया गया। इसे पारसी बागान चौक (ग्रीन पार्क) कलकत्ता में फहराया गया था। उसके बाद 1907 में भीकाजीकामा द्वारा बर्लिन समिट का ध्वज सामने आया। फिर 1917 में आंतरिक शासन आंदोलन के दौरान एक नए प्रकार का झंडा अपनाया गया। आज जो हम तिरंगा देख रहे हैं उसे 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया।

भारत के राष्ट्रीय ध्वज के संबंध में संवैधानिक और वैधानिक प्रावधान:

अनुच्छेद 51क(क) – संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना।

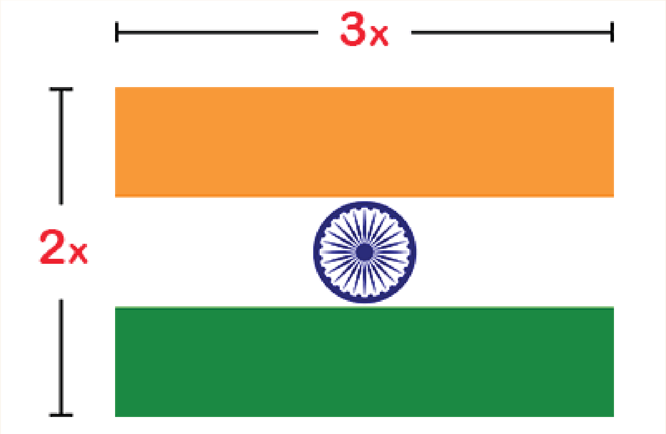

सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने राष्ट्रीय ध्वज के महत्व को इस प्रकार बताया:

1. "अशोक चक्र" धर्म के नियम का चक्र है। यह चक्र बतलाता है कि गति में ही जीवन है और ठहराव में मृत्यु है।
2. केसरिया रंग वैराग्य के त्याग को दर्शाता है।
3. बीच का सफेद रंग हमारे आचरण का मार्गदर्शन करने हेतु प्रकाश और सत्य के मार्ग का प्रतिनिधित्व करता है।
4. हरा मिट्टी से हमारे संबंध, यहां के पौधे के जीवन से हमारे संबंध को दर्शाता है, जिस पर अन्य सभी जीवन निर्भर करता है।

भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के बारे में कुछ रोचक तथ्य

क्या राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग, प्रदर्शन और उसे फहराने का तरीका किसी व्यापक निर्देश द्वारा निर्देशित है?

हाँ – 'भारत का ध्वज संहिता 2002'

भारत का ध्वज संहिता क्या है?

भारतीय ध्वज संहिता में राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन पर लागू सभी कानून, परंपरा, प्रथा और निर्देश एक जगह पाई जा सकती है। यह निजी, सार्वजनिक और सरकारी संस्थानों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन को नियंत्रित करता है। भारतीय ध्वज संहिता 26 जनवरी 2002 को प्रभावी हुई।

राष्ट्रीय ध्वज किन सामग्रियों का उपयोग कर बनाया जा सकता है?

30 दिसंबर, 2021 के आदेश द्वारा भारतीय ध्वज संहिता, 2002 को संशोधित किया गया है और अब पॉलिएस्टर या मशीन से भी राष्ट्रीय ध्वज तैयार किया जा सकता है। अब, राष्ट्रीय ध्वज हाथ से काते और हाथ से बुने या मशीन से बने, सूती/पॉलिएस्टर/ऊन/रेशम/खादी के कपड़े से बनाया जा सकता है।

राष्ट्रीय ध्वज का उचित आकार और अनुपात?

भारतीय ध्वज संहिता के खंड 1.3 और 1.4 के अनुसार, राष्ट्रीय ध्वज आकार में आयताकार होगा। झंडा किसी भी आकार का हो सकता है लेकिन राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और ऊंचाई (चौड़ाई) का अनुपात 3:2 होगा।

अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन?

भारतीय ध्वज संहिता के खंड 2.1 के अनुसार, राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा और

सम्मान को बनाए रखते हुए आम जनता, निजी संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों आदि के सदस्य राष्ट्रीय ध्वज फहरा/प्रदर्शित कर सकते हैं।

अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज को प्रदर्शित करते समय मुझे क्या ध्यान रखना चाहिए?

भारतीय ध्वज संहिता के खंड 2.2 के अनुसार, सार्वजनिक, निजी संगठन या शैक्षणिक संस्थान का कोई सदस्य राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा और सम्मान को बनाए रखकर किसी भी दिन या अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा/प्रदर्शित कर सकता है। जब भी राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किया जाता है, तो उसे सम्मान की स्थिति में रखा जाना चाहिए। फटा हुआ या मैला–कुचैला राष्ट्रीय ध्वज को प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय ध्वज के गलत प्रदर्शन से बचने के लिए मुझे क्या ध्यान रखना चाहिए?

राष्ट्रीय ध्वज को उल्टा प्रदर्शित नहीं करना चाहिए; अर्थात केसरिया पट्टी नीचे की ओर नहीं होनी चाहिए। फटा हुआ या मैला–कुचैला राष्ट्रीय ध्वज को प्रदर्शित/फहराना नहीं चाहिए। किसी व्यक्ति या वस्तु को सलामी देने के लिए राष्ट्रीय ध्वज को झुकाया नहीं जाएगा। किसी दूसरे झंडे या ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचा या उससे ऊपर या उसके बराबर में नहीं लगाया जाए और न ही पुष्प, माला, प्रतीक या अन्य कोई वस्तु ध्वज–डंड के ऊपर नहीं रखनी चाहिए।

फूलों का गुच्छा या झंडियां या बंदनवार बनाने या किसी दूसरे प्रकार की सजावट के लिए झंडे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज को जमीन, या फर्श छूने या पानी में डूबने नहीं दिया जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन इस प्रकार बांधकर नहीं किया जाएगा जिससे कि वह फट जाए। राष्ट्रीय ध्वज को किसी अन्य झंडे अथवा झंडों के साथ एक ही ध्वज दंड में नहीं फहराया जाना चाहिए। झंडे का प्रयोग न तो वक्ता की मेज को ढकने और न ही वक्ता के मंच को सजाने के लिए किया जाएगा।

राष्ट्रीय ध्वज के अपमान की रोकथाम के लिए कोई नियम है?

हाँ। "राष्ट्रीय गौरव के अपमान की रोकथाम अधिनियम, 1971" के अनुसार, निम्नलिखित का पालन किया जाना चाहिए:

निजी अंत्येष्टि सहित किसी भी रूप में राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग किसी भी रूप में लपेटने के लिए में नहीं किया जाएगा। किसी प्रकार की पोशाक या वर्दी के भाग के रूप में झंडे का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसे गद्दियों, रूमालों, बक्सों अथवा नेपकीनों पर काढ़ा या छापा नहीं जाएगा। झंडे पर किसी प्रकार के अक्षर नहीं लिखे जाएंगे। झंडे को किसी वस्तु को लपेटने, प्राप्त करने या ले जाने वाली वस्तु के रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा। किसी भी वाहन के पिछले, किनारे या ऊपरी हिस्से को ढकने के लिए राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।

खुले क्षेत्र/सार्वजनिक भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने/प्रदर्शित करने का सही तरीका क्या है?

भारतीय ध्वज संहिता के खंड III की धारा III के अनुसार, यदि राष्ट्रीय ध्वज सार्वजनिक भवनों पर फहराया जाता है, तो इसे सूर्योदय से सूर्यास्त तक सभी दिनों में फहराया जाना चाहिए, चाहे मौसम कुछ भी हो। इसे स्फूर्ति से फहराया जाना चाहिए और धीरे–धीरे नीचे उतारा जाना चाहिए। जब झंडा का प्रदर्शन किसी दीवार के सहारे आड़ा और चौड़ाई में किया जाता है तो केसरी पट्टी सबसे ऊपर होनी चाहिए और जब वह लंबाई में फहराया जाए तो केसरी पट्टी झंडे के हिसाब से दाईं ओर होगी अर्थात् वह झंडे को सामने से देखने वाले व्यक्ति के बाईं ओर होगी। जब झंडा किसी भवन की खिड़की, बॉलकनी या आगे के हिस्से से आड़ा या तिरछा फहराया जाए तो झंडे की केसरी पट्टी सबसे दूर वाले सिरे पर होनी चाहिए।

राष्ट्रीय ध्वज को खुले में फहराने का समय क्या है?

खंड 2.2 (i) के अनुसार, जहां झंडा खुले में फहराया जाता है, जहां तक संभव हो, मौसम जैसा भी हो उसके बावजूद, इसे सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय ध्वज का निपटान कैसे किया जाना चाहिए?

भारतीय ध्वज संहिता के खंड 2.2 के अनुसार, अगर झंडा फट जाए या मैला हो जाए तो यह बेहतर होगा कि उसके सम्मान को बनाए रखकर उसे एकांत में जलाकर या अन्य किसी मर्यादित तरीके से पूरा नष्ट कर दिया जाए। अगर कागज का बना झंडा आम जनता द्वारा हाथ से फहराया जाता है तो इन्हें जमीन पर नहीं फेंका जाना चाहिए। जहां तक संभव हो, ऐसे झंडों का निपटान उनकी मर्यादा के अनुरूप एकान्त में किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

इस पहल (हर घर तिरंगा – हर दरवाजे पर तिरंगा) के पीछे का विचार नागरिकों के दिलों में देशभक्ति की भावना को जगाना और हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है।

हर घर तिरंगा

(पुरस्कार प्राप्त लेख) – सुश्री राधिका मूना,
क्षेत्रीय प्रबंधक

"आन देश की शान देश की, देश की हम संतान है,
तीन रंगो से रंगा तिरंगा, अपनी ये पहचान है।"

दुनिया में किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके देश से की जाती है। इस संदर्भ में हम भारतीय बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हम उस देश के नागरिक है जिसे विश्वगुरू का दर्जा दिया गया है। इस महान देश की नागरिकता के गर्व का अनुभव प्रत्येक भारतीय के मन मे होना चाहिए। इस राष्ट्रीय गर्व की भावना को हर भारतीय के मन में उद्धृत कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने 15 अगस्त को "हर घर तिरंगा" अभियान शुरू करने का फैसला किया है, जिसके अंतर्गत स्वतंत्रता दिवस पर लोगो को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। यह पहल आज़ादी का अमृत महोत्सव के 75 वर्ष पूरे होने के जश्न में मनाया जाएगा।

किसी भी देश का राष्ट्रीय ध्वज उस देश की स्वतंत्रता, गरिमा, अखंडता व अस्मिता का प्रतीक होता है। अतरू हमारा राष्ट्रीय ध्वज "तिरंगा" भी हमारे देश की अखण्डता, समृद्धि व एकता का प्रतीक है। तिरंगे को देखते ही हर भारतीय के मन में देश प्रेम की भावना जागृत हो जाती है। अत: अपने इस राष्ट्रीय गर्व के प्रतीक को प्रत्येक भारतीय द्वारा सम्मान देना सच्चे अर्थ में आज़ादी के इस अमृत महोत्सव को मनाना होगा क्योंकि इस तिरंगे के लिये न जाने कितने अनगिनत देशभक्तों ने अपनी जान न्यौछावर कर दी। उन वीर शहीदों की भावना को किसी ने सही व्यक्त किया है

"ना हूर चाहिए ना हीर चाहिए,
मां भारत का बेटा हूं,
तिरंगा मिले कफन में बस
मुझे ऐसी तकदीर चाहिए"।

'तिरंगे का महत्व' – प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र का अपना एक ध्वज होता है, जो उस देश के स्वतंत्र देश होने का संकेत है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, जो तीन रंगो– केसरिया, सफेद, और हरे से बना है और इसके केंद्र में नीले रंग से बना अशोक चक्र है । तीन रंगों से बने होने के कारण इसे तिरंगा कहा जाता है।

भारत के राष्ट्रीय ध्वज की उपरी पट्टी में केसरिया रंग है जो देश की "शक्ति और साहस" को दर्शाता है। मध्य में स्थित सफेद पट्टी "शांति और सत्य" का प्रतीक है। निचली हरी पट्टी समृद्धि का प्रतीक है । मध्य में स्थित धर्म चक्र गतिशीलता को दर्शाता है।

'तिरंगे का इतिहास व विकास' – हमारा राष्ट्रीय ध्वज "तिरंगा" अपने इस वर्तमान स्वरूप में आने के लिए कई परिवर्तन व पड़ावों से गुजरा है। जिसका ऐतिहासिक विवरण निम्न प्रकार है–

- प्रथम राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान चौक (ग्रीन पार्क) कलकत्ता में फहराया गया था। इस ध्वज को लाल, पीले और हरे रंग की क्षैतीज पट्टियों से बनाया गया था।
- द्वितीय ध्वज को पेरिस में मैडम कामा और 1907 में उनके साथ निर्वाचित के गए कुछ क्रांतिकारियों द्वारा फहराया गया था। यह भी पहले ध्वज के समान ही था परंतु सबसे उपर की पट्टी पर केवल एक कमल था।
- तृतीय ध्वज 1917 में एनी बेसेंट लोकमान्य तिलक ने एक घरेलू शासन आंदोलन के दौरान फहराया। इस ध्वज में 5 लाल और 4 हरी क्षैतिज पट्टियां एक के बाद एक और सप्तऋषि के अभिविन्यास में इस पर बने सात सितारे थे।
- तत्पश्चात 1921 में लाल और हरा रंग जो दो प्रमुख समुदायों अर्थात

हिन्दू और मुस्लिम का प्रतिनिधित्व करता है, से बना दो रंग का झंडा एक युवक ने गांधी जी को दिया। गांधी जी ने भारत के शेष समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए सफेद पट्टी व प्रगति का संकेत देने के लिए चरखे को सम्मिलित करने का सुझाव दिया।

- वर्ष 1931 में तिरंगे को हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने इसे मुक्त भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। स्वतंत्रता मिलने के बाद इसके रंग और उनका महत्व बना रहा। केवल ध्वज में चलते हुए चरखे के स्थान पर सम्राट अशोक के धर्म चक्र को स्थान दिया गया।

अंततः तिरंगा स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय ध्वज बना।

तिरंगे का वर्तमान स्वरूप – भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अभिकल्पना श्री पिंगली वैंकेयानंद ने की थी और इसे वर्तमान स्वरूप में 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान की बैठक के दौरान अपनाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में तीन रंग (केसरिया, सफेद व हरा) की क्षैतीज पट्टियां है, जो समानुपात में है। ध्वज की चौड़ाई का अनुपात इसकी लंबाई के साथ 2 और 3 का है। सफेद पट्टी के मध्य में गहरे नीले रंग का एक चक्र है। यह चक्र सम्राट अशोक की राजधानी के सारनाथ के शेर के स्तंभ पर बना हुआ है। इसमें 24 तिल्लियां है। जो समय की गतिशिलता को दर्शाती है।

राष्ट्रीय झंडा निर्दिष्टीकरण के अनुसार राष्ट्रध्वज हस्त निर्मित खादी कपड़े से ही बनाया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय ध्वज के नियम –

स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया था और इस ध्वज के निर्माण, उसके आकार और रंग सभी निश्चित है।

- फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के तहत राष्ट्रीय ध्वज को कभी भी जमीन पर नहीं रखा जाएगा इसके साथ ही पानी में नहीं डुबोया जाएगा और किसी भी तरह नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। यह नियम भारतीय संविधान के लिए भी लागू होता है।
- प्रेवेंशन ऑफ इन्सल्ट टु नैशनल ऑनर ऐक्ट– 1971 की धारा–2 के मुताबिक, फ्लैग और संविधान का अपमान करने वालों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने का नियम है।
- यदि कोई शख्स राष्ट्रीय ध्वज को किसी के आगे झुका देता है, उसे मूर्ति में लपेट देता हो या किसी मृत व्यक्ति (शहीद हुए आर्म्ड फोर्सेज के जवानों के अतिरिक्त) के शव पर डाल देता है, तो इसे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान माना जाएगा।
- किसी भी स्थिति में इसका इस्तेमाल कार, हवाई जहाज, ट्रेन, बोट आदि के ऊपर, नीचे या किनारों को ढ़कने के लिए नहीं होना चाहिए।
- तिरंगे की यूनिफार्म बनाकर पहनना भी गलत है।
- यदि कोई शख्स कमर के नीचे तिरंगा बनाकर कोई कपड़ा पहनता है तो यह भी तिरंगे का अपमान है।
- तिरंगे को अंडरगार्मेंट्स, रूमाल या कुशन आदि बनाकर भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
- राष्ट्रीय ध्वज को सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच ही फहराया जा सकता है।
- फ्लैग कोड के अंतर्गत आम नागरिकों को सिर्फ 'स्वतंत्रता दिवस' और 'गणतंत्र दिवस' पर तिरंगा फहराने की छूट थी, परन्तु 26 जनवरी, 2002 को सरकार ने इंडियन फ्लैग कोड में संशोधन किया गया, जिसके पश्चात कोई भी नागरिक किसी भी दिन झंडा फहरा सकता है, परन्तु फ्लैग कोड का पालन करना होगा।

"हर घर तिरंगा" अभियान का महत्व–

वक्त आ गया है अब, दुनिया से साफ–साफ कहना होगा,
देश प्रेम की प्रबलधार में, हर मन को बहना होगा,
जिसे तिरंगा लगे पराया, मेरा देश छोड जाए,
हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी बनकर ही रहना होगा।

"जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी"– जननी और जन्मभूमि दोनो स्वर्ग से बढ़कर है। यह कथन वास्तव में बड़ा ही सारगर्भित है। किसी कवि ने भी सही कहा है–

"जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं,
वह हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं"।

हमारे देश का इतिहास देशभक्तों की अमर गाथाओं से भरा पड़ा है और उन देशभक्तों के बलिदानों के कारण ही हम आज अपनी आज़ादी के इस अमृत महोत्सव को मना पा रहे हैं। अगर हम चिंतन करें कि हमारे पूर्वज अपनी देशभक्ति की भावना को अपने व्यक्तिगत हित के ऊपर नहीं रखते तो क्या हम इस स्वतंत्र वायु में साँस ले पाते। अतः यह देशभक्ति की भावना ही किसी भी देश के विकास की आधारशिला है व देश के विकास की गाड़ी को चलाने के लिए ऊर्जा का कार्य करती है।

अगर देश का प्रत्येक नागरिक देशभक्ति की भावना को हृदय में रखकर अपने कार्य को देश को समर्पित करके करेगा तब देश के विकास की गति हमारी परिकल्पना से कहीं तेज होगी।

इस देशभक्ति की भावना को विकसित करने व फैलाने के लिए देशभक्ति व राष्ट्रीय गर्व के प्रतीक "तिरंगा" ही सबसे उत्कृष्ठ माध्यम है। इसका जीवंत उदाहरण हम अपने सेना के जवानों के माध्यम से देख सकते हैं। हमारे इतिहास में ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जब हमारे जवानों ने तिरंगे के लिए अपनी जान की परवाह भी नही की। उन्होंनें अपनी जीवनलीला समाप्त कर दी परंतु तिरंगे पर आँच नहीं आने दी। कई स्थानों पर तो हमारे जवानों ने तिरंगा फहराने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए ऐसे दुर्गम स्थानों पर दुश्मन को मुहतोड़ जवाब दिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। तिरंगे को देखते ही जैसे उनमें एक आलौकिक शक्ति का संचालन होने लगता है। क्योंकि यह तिरंगा उनके लिए केवल एक ध्वज नहीं अपितु हमारे राष्ट्र के सम्मान का प्रतीक है जिसे वह किसी भी परिस्थिति में संकट में नहीं डाल सकते।

तिरंगे और देशभक्ति की भावना को संबंध को हम केवल सेना में ही नही बल्कि हर आम क्षेत्र में भी देख सकते हैं। हर आम नागरिक की आँखों में तिरंगे को देखकर देशभक्ति की जो भावना जागृत होती है, उसे देखा जा सकता है। इस भावना को हम अपने प्रवासी भारतीयों में भी महसूस कर सकते है।

15 अगस्त के पावन पर्व पर हर भारतीय द्वारा तिरंगा का सम्मान उनके द्वारा अपनी देशभक्ति को प्रदर्शित करने का एक अंश होगा जो हमारे देश की अखण्डता व एकता को प्रदर्शित कर विश्व के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करेगा।

"सजा दो तिरंगा हर घर में प्यारे।
मना लो आज़ादी के त्यौहार सारे।।

उपसंहार –

जब 130 करोड़ की आबादी वाले हमारे इस राष्ट्र में प्रत्येक भारतीय अपने घर पर तिरंगा लहराएंगे, इस परिकल्पना से ही मन को एक विशेष आनंद व गर्व की अनुभूति होती है। जो विश्व में हमारे देश द्वारा एक नया कीर्तिमान स्थापित होगा। हमारी वर्तमान सरकार और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की इस पहल आज़ादी के अमृत महोत्सव को सफल बनाने का उत्तरदायित्व हम प्रत्येक भारतीय का है क्योंकि इन प्रयासों के द्वारा ही हम विश्व में अपनी सशक्त पहचान को सुदृढ बना सकते हैं। हर घर पर लहराता हुआ तिरंगा विश्व को हमारी अखण्डता, सशक्तता, शान्ति व समृद्धि से परिचित करवायेगा। यह न केवल वर्तमान अपितु आगे आने वाली कई पीढियों के मन में देशभक्ति की भावना को सुदृढ़ करेगा । जो देश के विकास के लिए उर्जा का कार्य करती है। यह मुहिम हमारे ओर से न केवल उन देशभक्तों को श्रद्धांजलि होगी अपितु भारत की एक सशक्त राष्ट्र की इमारत के लिए मजबूत नींव का कार्य करेगी। अंत में राष्ट्रकवि श्री मैथिलीशरण गुप्त जी की इन पंक्तियों के माध्यम से समस्त देशवासी को अपने राष्ट्र कर्तव्य को पूर्ण करने की प्रेरणा मिल सकती है।

"जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है।
वह नर नही, नर पशु निरा है और मृतक समान है"।

अंततः हम सब देशवासियों को कवि **श्री श्याम लाल गुप्ता** द्वारा रचित इस गीत को साकार करने के लिए अपने तन, मन, धन से प्रयासरत होने का प्रण लेना चाहिए–

"विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झण्डा ऊंचा रहे हमारा सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेमसुधा सरसाने वाला वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन–मन सारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झण्डा ऊंचा रहे हमारा। शान न इसकी जाने पावे, चाहे जान भले ही जावे विश्व विजय करके दिखलावे, तब होवे प्रण पूर्ण हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झण्डा ऊंचा रहे हमारा।"

हर घर तिरंगा

(पुरस्कार प्राप्त लेख) – राज कुमार नेगी,
प्रबंधक

स्वतंत्रता दिवस आ रहा है; हमारे चारों ओर देशभक्ति की भावना प्रवृत्त होना आरंभ हो जाएगी। गणतंत्र दिवस के लिए भी देशभक्ति की भावना प्रवृत्त होगी। हम सभी देशभक्ति के गीत सुनते हैं, विभिन्न चैनलों द्वारा प्रसारित देशभक्ति की फिल्में देखते हैं, झंडे खरीदते हैं और अपने वाहनों, घर, कार्यालयों आदि पर लगाते हैं।

भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पूरे राष्ट्र के लिए राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत सभी प्रयासों की देखरेख करने वाले माननीय गृह मंत्री जी ने हमारे ध्वज को सम्मानित करने के लिए आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में "हर घर तिरंगा" के कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान की है। यह हर जगह भारतीयों को अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित करने की परिकल्पना करता है। पहल के पीछे का विचार नागरिकों के दिलों में देशभक्ति की भावना को जगाना, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना और स्वतंत्रता के प्रतीकों के लिए सम्मान की भावना को बढ़ावा देना है।

किसी भी देश का राष्ट्रीय ध्वज न केवल उस राष्ट्र का प्रतीक होता है बल्कि उसकी जनसंख्या की एकता का भी प्रतीक होता है। राष्ट्रध्वज एक कपड़े के टुकड़े से बढ़कर है। यह किसी देश का सबसे गंभीर एवं संवैधानिक या पारंपरिक रूप से प्राधिकृत प्रतीक है। यह पूरे देश, इसके आदर्शों, आशाओं, आकांक्षाओं और गौरव का प्रतिनिधित्व करता है। मानव जाति के पूरे इतिहास में लोगों ने अपने राष्ट्रीय–ध्वज हेतु प्राणों की आहुति दी है, क्योंकि यह सबसे दृढ़ देशभक्ति का प्रतीक है।

भारतीय ध्वज एक ऐसा प्रतीक है जिसे हम सभी देखते हैं, और किसी न किसी रूप में सेवा करने के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं; ध्वज की उपस्थिति सभी जाति एवं धार्मिक सीमाओं को अनदेखा कर देती है।

हम अपने झंडे को प्यार से तिरंगा कहते हैं, जिसका अर्थ है तीन रंग। उपनाम, हालांकि, एक मिथ्या नाम है क्योंकि ध्वज में वास्तव में चार रंग होते हैं, तीन नहीं, जैसा कि आमतौर पर समझा जाता है। चक्र का रंग नीला है। अक्सर ध्वज में द्वितीयक रंग होने का उल्लेख नहीं किया जाता है।

15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा के बाद, भारतीय नेताओं को स्वतंत्र भारत के लिए राष्ट्रीय ध्वज की आवश्यकता का एहसास हुआ। तदनुसार, ध्वज को अंतिम रूप देने के लिए एक तदर्थ ध्वज समिति का गठन किया गया था। इसकी अनुशंसा पर दिनांक 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने तिरंगे को स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया।

भारत देश के पास अपने राष्ट्रीय ध्वज के विकास के संबंध में काफी दिलचस्प कहानी है। दशक दर दशक, विभिन्न बाहरी एवं आंतरिक प्रभावों के कारण, मानचित्र के डिजाइन में कई परिवर्तन हुए हैं।

झंडे का डिजाइन, जहां एक समय में औपनिवेशिक स्थिति को दर्शाता था, वहीं बाद के समय में, यह स्पष्ट रूप से स्वतंत्रता संग्राम को दर्शाता था। स्वतंत्रता संग्राम के कालक्रम की दृष्टि से भी ध्वज के स्वरूप में परिवर्तन होता रहा। अलग–अलग समूहों ने अलग–अलग समय पर तत्कालीन भारत के लिए एक ध्वज तैयार करने में स्वयं का योगदान भी दिया तथा हर बार जब उन्होंने स्वतंत्रता के लिए भारतीय संघर्ष के दृश्य में सामने आए नए आयामों पर विचार किया।

श्रीमती सुरैया बद्र–उद–दीन तैयबी द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को अंततः दिनांक 17 जुलाई 1947 को ध्वज समिति द्वारा अनुमोदित किया गया एवं उसको स्वीकार किया गया था। वर्तमान ध्वज स्वराज ध्वज पर आधारित है, जो पिंगली वैंकेय्या द्वारा डिजाइन किए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज है। कई बदलावों से गुजरने के बाद, 1931 में कराची में कांग्रेस कमेटी की बैठक में तिरंगे को हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था।

भावात्मक मूल्यः चूंकि, भारत भाषा, धर्म, जाति आदि के मामले में विशाल विविधता वाला देश है। ये राष्ट्रीय पहचान तत्व भारतीयों के बीच एकता की भावना को बढ़ावा देते हैं। जैसे समान हितों वाले व्यक्ति आसानी से एकता की भावना पैदा कर सकते हैं, वैसे ही राष्ट्रीय पहचान तत्वों के साथ भी है।

राष्ट्रीय पहचान तत्व राष्ट्र के मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, विशेष राष्ट्र के लिए क्या महत्वपूर्ण हैं, और उन्हें किस पर गर्व है। कमल, भारतीय राष्ट्रीय पहचान तत्व के रूप में एक संदेश देता है कि लोगों को सांसारिक आसक्तियों से ऊपर उठना चाहिए, जैसे कमल कभी भी मिट्टी के संपर्क में नहीं आता है, यहां तक कि पूरे जीवन काल को बिताने के बाद भी। इसी प्रकार, तिरंगा का केसरिया रंग साहस एवं बलिदान, सफेद रंग तिरंगा शांति एवं सच्चाई तथा हरा रंग तिरंगा आस्था और शौर्य का प्रतीक था।

सांस्कृतिक मूल्यः राष्ट्रीय पहचान तत्व देश के इतिहास और संस्कृति के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। अशोक चक्र युक्त भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की तरह, लाल एवं हरे रंग जो भारत में विविधता का प्रतिनिधित्व करते हैं।

नैतिक महत्वः राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश का प्रतीक है, यह हमें वही देशभक्ति की भावना देता है जैसे की हम कहीं भी जाते हैं और अपने देश को गौरवान्वित करते हैं। वर्तमान में मनोरंजन क्षेत्रों में भी, चाहे आप कोई भी फिल्म देखें, हमारे देश के प्रति सम्मान दिखाने के लिए राष्ट्रगान के लिए खड़ा होना अनिवार्य है, स्कूलों में बच्चे प्रत्येक दिन राष्ट्रगान गाते हैं, उसके बाद उनकी नियमित प्रार्थना, संगठन के किसी भी सरकारी और निजी क्षेत्र में होती है। कई विशेष अवसरों पर झंडा भी फहराते हैं और श्रद्धांजलि देते हैं। जब भी राष्ट्र कठिन समय से गुजरता है, ये राष्ट्रीय पहचान तत्व नागरिकों को प्रोत्साहित करते हैं और उन्हें इतिहास की याद दिलाते हैं कि वे लोग कितनी बहादुरी से समस्याओं के सामने खड़े हुए एवं सफल हुए।

आर्थिक महत्वः प्रति ध्वज दर निर्धारित की गई थी ₹25–₹30। आजीविका मिशन को अधिकतम 4 लाख झंडे और आगा खान फाउंडेशन को 200 झंडों का न्यूनतम लक्ष्य मिला है। झंडों के निर्माण एवं वितरण की जिम्मेदारी महिला समूहों, पंचायत सचिव, आशा वर्कर्स, आंगनबाडी वर्कर्स आदि को मिली है।

पर्यावरण/पारिस्थितिकीः महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और खेल आयोजनों के अवसरों पर कागज से बने राष्ट्रीय ध्वज के स्थान पर प्लास्टिक से बने राष्ट्रीय ध्वज का भी उपयोग किया जा रहा है। चूंकि, प्लास्टिक के झंडे कागज के झंडे की तरह बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं, ये लंबे समय तक विघटित नहीं होते हैं और झंडे की गरिमा के अनुरूप प्लास्टिक से बने राष्ट्रीय ध्वज का उचित निपटान सुनिश्चित करना एक व्यावहारिक समस्या है।

क्या हम वास्तव में अपने राष्ट्रीय ध्वज की परवाह करते हैं : भारतीय राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश के लोगों की आशाओं एवं आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। हमारे हृदय में राष्ट्रीय ध्वज के लिए सार्वभौमिक स्नेह और सम्मान और निष्ठा है।

भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को राष्ट्र के प्रति निष्ठा का प्रतीक माना जाता है और यह एक भावना है। इसे देश के प्रत्येक व्यक्ति द्वारा सम्मानित किया जाना है। पहले भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के गौरव की रक्षा के संबंध में कई नियम एवं परंपराएं थीं, लेकिन विभिन्न संस्थानों और संगठनों में राष्ट्रीय ध्वज के उचित प्रदर्शन के संबंध में कोई कोड प्रचलित नहीं था जो कि नियमों को बनाएगा एवं भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा को बनाए रखने के लिए यह कैसे किया जाना चाहिए।

भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कई शहीदों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है जिन्होंने आज हम जहां हैं वहां पहुंचने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान हर कोई करता है फिर भी, जागरूकता की एक स्पष्ट कमी अक्सर लोगों के साथ–साथ संगठनों में भी देखी जाती है और कभी–कभी हम अनजाने या जानबूझकर अपने कार्यों या इशारों से इसकी प्रतिष्ठा को कम कर सकते हैं क्योंकि हम उस कोड और आचरण से अच्छी तरह से वाकिफ नहीं हैं। राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के उल्लंघन की कई घटनाएं हुई हैं जैसे कि 2007 में क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को एक नोटिस भेजा गया था, जो एक वीडियो में तिरंगे वाले राष्ट्रीय ध्वज के रूप में केक काटते हुए दिखाई दे रहे थे। एक अन्य घटना में जहां उन्हें राष्ट्रीय ध्वज को प्रदर्शित करने वाली साड़ी पहनने के लिए नोटिस भेजा गया था। एक अन्य घटना में, एक अभिनेता को विश्व कप मैच के दौरान उल्टा झंडा पकड़े देखा गया था।

पहले हमारे घर/भवन आदि पर झंडा लगाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन फ्लैग कोड के कारण यह संभव हो गया जो ऐसा करने की अनुमति देता है। इससे हममें से कई लोगों को अपने प्रिय राष्ट्र के प्रति देशभक्ति प्रदर्शित करने में मदद मिली। हम जानते हैं कि किसी भी कार्य के पक्ष और विपक्ष हैं। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर, गणतंत्र दिवस और उत्सव के दिन, हम सड़क के दोनों ओर विक्रेताओं को झंडे और अलग–अलग सामान बेचते हुए देख सकते हैं, हम सभी उत्साह से इसे खरीदते हैं। यह परिदृश्य बहुत उत्साहजनक है लेकिन शाम या अगले दिन तक क्या स्थिति है, झंडे सड़कों/मैदानों पर, सीवर में कटे–फटे पड़े हैं और शायद ही हममें से कोई उन्हें उठाता है। इस स्थिति के लिए हमने वह झंडा खरीदा जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज का पूर्ण अनादर दर्शाता है जो हमारे राष्ट्र का गौरव है? एक अन्य परिदृश्य में कुछ लोग आंदोलन में राष्ट्रीय ध्वज जलाते हैं, विरोध के दौरान और मीडिया रिपोर्टिंग भी की जाती है लेकिन अंतिम कार्रवाई, हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। झंडे के सम्मान के लिए बहुत से लोग मारे गए और हमें इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। कई देशप्रेमी व्यक्ति झण्डे उठाते हैं और उसे उचित स्थान पर रखते हैं या उचित ढंग से उसका निपटान करते हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि उक्त मामलें के संबंध में हमारे पास कानून, नियम हैं लेकिन इसे कैसे लागू किया जा रहा है यह हम सभी नहीं जानते हैं।

इस महान देश के नागरिक के रूप में, हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करने का संकल्प लेना चाहिए तथा इसके सभी निर्धारित सिद्धांतों का दृढ़ता के साथ पालन करना चाहिए। यह हम ही नागरिक हैं जो भारत को उसकी वास्तविक क्षमता तक ला सकते हैं और विश्व मंच पर अपना स्थान सुरक्षित कर सकते हैं। यह हम पर निर्भर है कि हम अपनी विरासत को साझा करें, एवं हम इसे केवल तभी कर सकते हैं जब हम स्वयं इसके बारे में जागरूक हों।

जब करें डेवल्पर्स के साथ सौदा

– रंजन कुमार बरून,
उप महाप्रबंधक

भारत की अर्थव्यवस्था में आवासीय क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है एवं साल–दर–साल सकल घरेलु उत्पाद में इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। हर व्यक्ति का सपना एक सुन्दर घर का होता है ऐसे में यह आवश्यक है कि घर का चुनाव एवं गृह प्रक्रिया सही एवं पारदर्शी तथा विधिवत होनी चाहिए।

अगर आप पिछले 10 सालों पर गौर करें तो आप पाएंगे कि देश के टीयर 2 और टीयर 3 क्षेत्र में भूसंपदा का बाजार काफी तेजी से बढ़ रहा है। कई बड़े व्यवसायिक घराने इस क्षेत्र में पैसा लगा कर मुनाफा बना रहे हैं। यह भी देखा जा सकता है कि टीयर 1 और टीयर 2 में काफी नई आवासीय परियोजनाएं आ रही है उदाहरण के तौर पर यमुना एक्सप्रेस–वे के आस–पास के क्षेत्र में शुरू हुए कई आवासीय परियोजनाएं जो कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित है। आज लोगों में प्राइम लोकेशन में जमीन या फ्लैट खरीदने की इच्छा घर कर गई है। पिछले कुछ समय में यह भी देखा गया है कि लोग सोने की तरह जमीन, फ्लैट आदि में निवेश कर रहे है। इसके लिए उन्हें डेवल्पर्स से संपर्क करना पढ़ता है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि आम आदमी का मकसद भू–संपदा में निवेश कर मुनाफा कमाना है। इसके लिए यह जरूरी है कि आवासीय संपत्ति निवेश से पहले डेवल्पर्स का ट्रेक रिकार्ड देखा जाए। क्योंकि हाल के वर्षों मे कई ऐसे मामलें सामने आए हैं जहां लोग डेवल्पर की चिकनी

चुपड़ी बातों में आ गए और मुनाफा कमाने के चक्कर में पैसे तो लगा दिया लेकिन उन्हें अपनी गलतियों के कारण लाखों रूपये गवाने पड़े।

वैसे देखा जाए तो किसी नए डेवल्पर से संपत्ति खरीदना उतना ही सुरक्षित हो सकता है जितना किसी प्रतिष्ठित व पुराने डेवल्पर से सौदा करना। कुछ जानकारों के अनुसार ऐसे सौदे में कुछ अतिरिक्त फायदे भी मिल सकते हैं। इसका यह मतलब कतई नहीं है कि आप आंख बंद करते किसी नए डेवल्पर से सौदा करके मुनाफा कमा सकते हैं। अपनी रकम की सुरक्षा सुनिश्चित बनाने की जिम्मेदारी आप पर ही होती है। इसके लिए जरूरी है कि कुछ बातों का ध्यान रखा जाए। क्योंकि पैसा जब आपका है तो ध्यान भी आपको ही रखना पड़ेगा।

- कोई भी संपत्ति खरीदने से पहले डेवल्पर के बैकग्राउंड और उनके कामकाज की पूरी जानकारी प्राप्त करें। इसकी जरूरत तब और ज्यादा होती है जब डेवल्पर की परियोजना प्री–लांच स्टेज में हो या कंस्ट्रक्शन में बिल्कुल शुरूआती दौर में।
- खरीद के वक्त किए गए करार के मुताबिक तय वक्त में संपत्ति का कब्जा लेने के लिए खरीदारों को ऐसी परियोजनाओं में निवेश करना चाहिए जिनके पूरा होने में कोई दिक्कत न दिख रही हो।
- अगर संभव हो तो पूरी तरह या लगभग तैयार हो चुकी परियोजनाओं में निवेश करें। इससे आपके पैसे के डूबने की संभावना न के बराबर होगी और कम समय में आप लाभ भी कमा सकते हैं।

यदि किसी आवासीय परियोजना को किसी बैंक या वित्तीय संगठन (प्राथमिक ऋणदाता संस्थान) से वित्तीय सहायता मिल रही होती है तो आप को मालूम होना चाहिए कि इसके लिए पहले ही अनुमोदन मिलता है और ऐसे मामलों में खरीदारों के लिए जोखिम कम हो जाता है। हमें पहले से प्रतिष्ठित डेवल्पर से ही भू–संपत्ति खरीदनी चाहिए क्योंकि पहली बार परियोजना तैयार कर रहे डेवल्पर्स अप्रत्याशित समस्याओं से निपटने में उतने सक्षम नहीं होते है जितने पुराने डेवल्पर्स। क्योंकि कई बार देखा गया है परियोजना में लगने वाली लागत का सही आकलन नहीं होने से परियोजना रूक जाती है। हालांकि अगर डेवलपर द्वारा बैंक से ऋण चरणबद्ध तरीके से ली जा रही है तो इसकी संभावना कम होती है जिसमें एक आवासीय परियोजना का पैसा दूसरी परियोजना में लगा दिया गया इसलिए इन बिन्दुओं को ध्यान में रखना जरूरी है।

संपत्ति खरीददार को यह भी पता कर लेना चाहिए कि वह जो जमीन खरीद रहा है वह अनाधिकृत तो नहीं है। भूखंड की वैधता की जानकारी के लिए कलैक्टर या अंचल कार्यालय से पता कर लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त डेवल्पर

के पास परियोजना के निर्माण के लिए अलग–अलग विभागों से मंजूरी जरूरी है। किसी भी परियोजना के लिए डेवल्पर्स को करीब 40 से 50 तरह की मंजूरियों की जरूरत पड़ती है। इनमें अग्निशमन से लेकर पर्यावरण विभाग तक से स्वीकृति शामिल है। परियोजना की ड्राइंग, इंटीमेशन ऑफ डिस्अप्रूवल जैसे अन्य दस्तावेज भी जांच लेने चाहिए। सुनिश्चित कर लें कि संपत्ति को लेकर कोई कानूनी विवाद नहीं है और उसके आधार पर कोई कर्ज तो नहीं लिया गया है क्योंकि देखा गया है कि कई बार डेवल्पर्स इन चीजों को छिपाने की कोशिश करता है ऐसे में यह हमारा दायित्व हो जाता है कि हम ऐसे मामलों की जांच पड़ताल कर लें। वरना ऐसे विवादास्पद संपत्ति पर पैसा लगाना कई बार घाटे का सौदा भी साबित हो सकता है।

परियोजना के हर पहलू से संतुष्ट होने के बाद ऑक्यूपैंसी सर्टिफिकेट (ओ.सी) जारी करता है इसलिए इस दस्तावेज की मांग करना सबसे अधिक जरूरी है। विभिन्न दस्तावेजों के लिए संबंधित अधिकारियों से मिलकर या सूचना के अधिकार की सहायता से जानकारी ली जा सकती है। इसके अलावा टाइटल ऑफ प्रूफ ऑफ राइट के दस्तावेज, सरकार से मंजूर बिल्डिंग प्लान, अदा किए गए प्रॉपर्टी टैक्स की रसीदें, सिविक अथॉरिटी की ओर से जारी कम्लीशन सर्टीफिकेट, प्रोपर्टी के गिरवी न रखे होने की जानकारी देने वाला संबंधित सब–रजिस्ट्रार की ओर जारी सर्टिफिकेट और ओक्यूपैंसी सर्टिफिकेट जैसे कुछ अन्य जरूरी दस्तावेज भी खरीदार को जांच लेने चाहिए।

संपत्ति का निवेशक या उपभोक्ता होने के नाते आपको देखना चाहिए कि करार आपके हिसाब से तैयार किया जाए। कई बार डेवल्पर इस करार में 'एक्सकेलेशन क्लॉज' डाल देते है। डेवल्पर से इसे हटाने को कहें। अगर यह रहेगा तो डेवल्पर बाद में कोई भी वजह बताकर संपत्ति का मूल्य बढ़ा या अन्य शुल्क लगा सकता है। डेवल्पर से परियोजना पूरी होने की निश्चित तारीख भी करार में लिखें। देरी होने पर डेवल्पर की ओर से मिलने वाली सभी सुवधाओं के जिक्र के अलावा अदायगी के तरीके, ऑक्यूपेसी सर्टिफिकेट का विवरण तथा इमारत के बीमे की जानकारी भी शामिल होनी चाहिए।

यहां यह भी आगाह किया जाता है कि जब करार पर निवेशक द्वारा हस्ताक्षर किए जाएं तो उससे पहले उसकी एक प्रति लेकर किसी अच्छे वकील से उसको जंचवाना भी अपेक्षित है क्योंकि बहुधा इस विषय में भी धोखाधड़ी के मामले भी सामने आते रहते है। जो लोग डेवल्पर्स के साथ सीधे सौदा करने में हिचक रहे हों वे होम लोन का विकल्प चुन सकते हैं। होम लोन आपको दोहरी सुरक्षा प्रदान कर सकता है। एक तो बैंक पहले ही अपने पैसे की हिफाजत के लिए जांच–पड़ताल पूरी कर चुका होता है। दूसरी तरफ जब वह आपको होम लोन देता है तो वह उससे पहले आपके रिकार्ड के परियोजना के बारे में भी पूरी जांच पड़ताल कर लेता है। जिससे धोखे की संभावना समाप्त हो जाती है और आपका पैसा डूबने के बच जाता है। इसके अलावा वे निर्माण के चरणों में देरी होने या परीयोजना पूरी होने में देरी होने पर उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा होती है और उन्हें बेवजह या डेवल्पर्स की कमियों की वजह से नुकसान नहीं उठाना पड़ता है। इसलिए सौदा करने से पहले इस प्रक्रिया की सभी बारीकियों पर ध्यान दें और अपने निवेश की रक्षा करें।

उक्त बिन्दुओं पर गौर करेंगे और चुनाव की जाने वाली संपत्ति का सावधानीपूर्वक चुनाव कर अपने मकान का सपना पूरा करेगें।

"हिंदी चिरकाल से ऐसी भाषा रही है, जिसने मात्र विदेशी होने के कारण किसी शब्द का बहिष्कार नहीं किया।"

— **डॉ. राजेन्द्र प्रसाद**

भवनों का भूकंपीय पुनर्वास

– शोभित त्रिपाठी,
राजभाषा अधिकारी

सारांश –

भूकंप के दौरान मानव निर्मित अभियांत्रिक एवं गैर अभियांत्रिक भवनों के ढहने से सर्वाधिक जान–माल की क्षति एवं चोटें आदि होती हैं। भारत की नाजुकता (सुकुमारता) मानचित्र के अनुसार भूकंप जोन–V में लगभग 11 मिलियन मकान आते हैं जोकि भूकंपीय रूप से नाजुक हैं, जब कि भूकंप जोन– IV में यह संख्या 50 मिलियन भवनों से ऊपर है। कुल मिलाकर भारत में लगभग 80 मिलियन भवन इकाइयां ऐसी हैं, जो कि भूकंप हेतु नाजुक है, और यदि भूकंप आता है तो अवांछित जोखिम के दायरे में हैं। इसलिए, सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इन नाजुक भवनों का पुनर्वास (पुनर्स्थापन) किया जाए ताकि महत्वपूर्ण रूप से जान–माल की क्षति को कम किया जा सके।

संरचना (स्ट्रक्चर) अभियांत्रिकी बंधुओं के सामने एक सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण कार्य विद्यमान भूकंप सुकुमार (नाजुक) भवनों के पुनर्वास का है। जैसा कि भवनों की संहिताओं को अद्यतित किया जाता है तो इनमें से विद्यमान बहुत सारी इमारतें वर्तमान मानकों को पूरा कर पाने में पीछे रह सकती हैं यद्यपि हो सकता है इन्हें पूर्ववर्ती संहिताओं के मापदंड के अनुसार डिजाइन एवं निर्मित किया गया हो। बहुत सारी संरचनाएं (विनिर्माण), संभवतः अपर्याप्त हो सकती है और भविष्य के भूकंपों के लिए गंभीर खतरा साबित हो सकती हैं पुनर्वास उपायों से

इन इमारतों की क्षमता को उन्नत निष्पादित किया जा सकता है और इस लेख का यह मुख्य विषय है।

यह सर्वविदित है कि प्रारंभ में ही भूकंप अवरोधन को समाहित कर भवन बनाना अपेक्षाकृत अधिक सस्ता होता है (अपेक्षाकृत बाद में मरम्मत और सुदृढ़ीकरण कार्य करने के।) भूकंप अवरोधन की विशिष्टताओं को समाहित करके बनाई जाने वाली इमारत में लगभग 2–5% की अधिक लागत आती है, अपेक्षाकृत बिना उपायों को शामिल किए जाने वाली इमारत के। हालांकि बाद में इमारत में किए जाने वाले मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य में, शुरूआती लागत से 4 से 8 गुना तक लागत आती है। इन तथ्यों के बावजूद, भवनों का निर्माण भूकंप–रोधन विशिष्टताओं के साथ नहीं किया जाता। पूर्व में आने वाले भूकंपों के दौरान इन आरसीसी संरचनाओं की असफलता एक प्रमाण के रूप में सामने हैं।

भूकंपीय पुनर्वास

'भूकंपीय पुनर्वास' एक व्यापक शब्द के रूप में प्रयुक्त होता है जिसके अंतर्गत मरम्मत, उन्नयन, रेट्रोफिटिंग (सज्जीकरण) एवं सुदृढ़ीकरण की अवधारणा सम्मिलित होती है जोकि भवन की भूकंपी नाजुकता को कम करने का काम करती है। विश्व भर में भूकंप प्रभावित क्षेत्र में विद्यमान भारी संख्या में इमारतों को अनेक कारणों एवं प्रेरकताओं से भूकंपीय पुनर्वास की जरूरत है जैसे कि कोडल नवीनीकरण या भूकंप क्षति। भूकंप से क्षतिग्रस्त इमारत को पुनः इस्तेमाल के लिए सुदृढ़ीकरण के साथ–साथ क्षति ग्रस्त भागों की मरम्मत (भूकंप पश्चात पुनर्वास) की आवश्यकता हो सकती है। सामान्यतः इनका पुनर्वास किया जाता है ताकि भविष्य में धरातलीय गति से उनकी बेहतर भूकंपी निष्पादकता प्राप्त की जा सके। प्रायः विद्यमान बहुमंजिला इमारतों की रेट्रोफिटिंग इसलिए अनिवार्य बन जाती है जब ऐसी इमारतों की अपेक्षित क्षमता वर्तमान भूकंपी संहिताओं (कोड्स) की अपेक्षाओं को पूरा करने में संरचनात्मक (बनाकर) रूप कम ही पाई जाती हैं। भूकंपीय कमजोर इमारतों, जिनकी डिजाइन वर्तमान कोडल (संहिता) प्रावधान को पूरा नहीं करतीं, को भी पुनर्वास (भूकंप से पूर्व पुनर्वास) की आवश्यकता हो सकती है। भूकंप के पश्चात विद्यमान इमारतों की रेट्रोफिटिंग करना संरचना (स्ट्रक्चरल) इंजीनियरों के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती वाला काम होता है। यह कार्य उन स्ट्रक्चरल इंजीनियरों के लिए अक्सर चुनौतियां एवं बाधाएं खड़ी करता है जो अवधारणात्मक रेट्रो फिट योजना का इस्तेमाल करते हुए एक इमारत की रेट्रो फिट करते है।

पुनर्वास रणनीति

किसी भी भूकंपी पुनर्वास का उद्देश्य होता है (क) कि मूल संरचनात्मक निष्पादन को प्राप्त किया जाए (ख) भूकंपी प्रतिक्रिया को कम किया जाए, ताकि इमारत की भूकंपी नाजुकता को घटाया जाए। मूल संरचनात्मक निष्पादकता की प्राप्ति हेतु, एक इमारत के क्षतिग्रस्त या नष्ट प्राय हिस्से को औचित्यपूर्ण (निर्माण) सामग्री से मरम्मत करनी पड़ सकती है या फिर नई सामग्री या घटक (एलीमेंट) को स्थानापन्न करना पड़ सकता है। संरचनात्मक निष्पादकता के उन्नयन हेतु संरचना की स्टिफनिंग सामान्य उपागम है ताकि ड्रिफ्ट को नियंत्रित किया जाए और नए संरचनात्मक तत्वों को जोड़कर संरचना (स्ट्रक्चर) को सुदृढ़ीकृत किया जाए। इसके साथ ही, यह भी आवश्यकता होती है कि स्टिफनेस की अनियमितता या असंगति/अनिरंतरता को या सुदृढ़ता वितरण को बेहतर बनाया जाए, अन्यथा यह बातें एक इमारत के उस विशेष हिस्से के लिए असफलता या वृहद विध्वंस की परिणिति बन सकती हैं। इसे संरचनात्मक विन्यास (आकृति) को बदलकर पाया जाता है। यह सपलीमेंट इनर्जी डिसीपैटिंग डिवाइस के स्ट्रक्चर में लगाने से प्रभावी होता है जो भूकंप ऊर्जा को छितराने की सक्षमता को बढ़ा देती है और इसके परिणाम स्वरूप भूकंपी प्रतिक्रिया में कमी आती है। भूकंपी प्रतिक्रिया को कम करने की एक अन्य अवधारणा है विद्यमान संरचना को धरातल से अलग करने के साथ–साथ इमारत के भार में कमी लाना। महत्वपूर्ण भवनों हेतु, जिन्हें भूकंप के बाद भी निश्चित रूप से इस्तेमाल किया जाना है या फिर जो बहुत ही मंहगी एवं महत्वपूर्ण वस्तुओं को संरक्षित किए हैं, वस्तुतः इनके लिए यह प्रभावशाली उपागम है।

मजबूती या सुदृढ़ीकरण तकनीकें

विद्यमान संरचनाओं (स्ट्रक्चर्स) को सुदृढ़ीकृत करने के लिए व्यवहार में लाए जा रहे एवं विश्व भर में जिनका अध्ययन किया गया, ऐसा साहित्य उपागमों एवं तकनीकों से परिपूर्ण है। इनमें से कुछ विद्यमान संरचनाओं को स्टिफिन सहित तथा या फिर मकान की स्टिफनेस को या मजबूती के वितरण की अनियमितता या असंगति को बेहतर बनाना शामिल है। भूकंपी सुदृढ़ीकरण की अवधारणा को यहां संक्षेप में वर्णित किया गया है।

भूकंपी रेट्रोफिट

यह सर्व विदित एवं स्वीकृत है कि भवन पार्श्विक (क्षैतिज) सुदृढ़ता (मजबूती) तथा तन्यता (डकटिल्टी) अत्यंत अनिवार्य घटक हैं जो एक इमारत की भूकंपी निष्पादकता को विनियंत्रित करते हैं। इसलिए खराब या कमजोर भूकंपी क्षमता वाली इमारतों के लिए भूकंपी स्ट्रोफिटिंग की तीन अवधारणाएं संस्तुत की गई हैं।

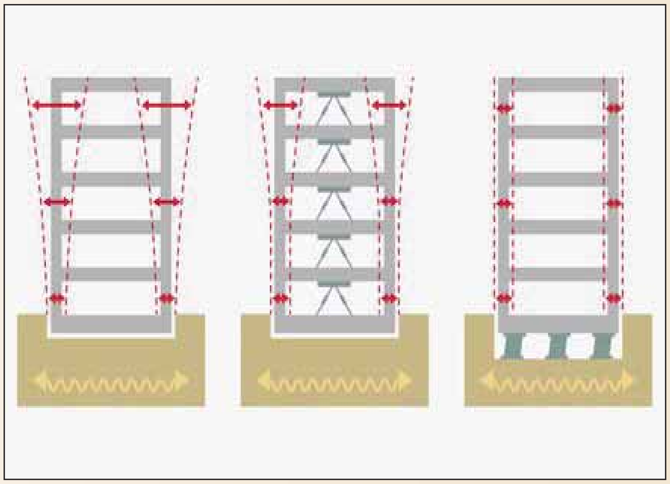

(क) संपूर्ण स्ट्रक्चर की मूल भूत सुदृढ़ता को बढ़ाना

(ख) विकृत (डिफोर्मेशन) क्षमता, जैसे कि तन्यता को बेहतर बनाना

(ग) (क) एवं (ख) का समन्वयन

योजना (क) मूल की अपेक्षा अधिक सुदृढ़ता प्रदान करती है और चूंकि भूकंपी प्रतिक्रिया उसकी विरूपित या विकृत क्षमता से छोटी हो सकती है उदाहरणार्थ नई आरसी दीवार या एक विद्यमान फ्रेम में स्ट्रील विनिमित बंधनी (ब्रास)।

मजबूती/तन्यता

योजना (क) व्यापक विरूपण क्षमता (तन्यता) प्रदान करती है और चूंकि विरूपण क्षमता से संरचनात्मक प्रतिक्रिया छोटी हो सकती है। स्टील खंडों या संपूरक रेनफोर्स क्रंकीट खंडों से कॉलम को जैकेटिंग (कवच) करना। योजना (ख) के लिए एक प्राथमिक तकनीक हो सकती है। योजना (ग) उपरोक्त दोनों योजनाओं (क और ख) का समन्वित रूप है। दोनों से उच्चतर सुदृढ़ता एवं विरूपण क्षमता अपेक्षित होती है।

अपेक्षित निष्पादकता को सुदृढ़ता (मजबूती) एवं/अथवा तन्यता के रूप में मूल्यांकित किया जाता है। सुदृढ़ता एवं तन्यता का समन्वित या संपाक स्वरूप में सुदृढ़ता एवं स्टिफनेस के बीच उचित संतुलन समाहित होता है।

यह साधारण से मध्यम ऊंचाई की इमारतों को बढ़ी हुई मजबूती प्रदान करने वाली सर्वाधिक विश्वसनीय उपागम है।

फ्रेम (चौखट) सुदृढ़ीकरण तकनीकें

सामान्यतया, विद्यमान चौखटों (फ्रेम) की बढ़ी हुई मजबूती जैसे कि दीवारें साइड वाल्स, पुश्तों या बांधनी (टेक) आदि के लिए नए विन्यासों को जोड़ा जाता है। विद्यमान फ्रेमिंग विन्यासों को लोचपूर्ण क्षमता वृद्धि और/अथवा तन्यता को बेहतर बनाने हेतु प्रबलित भी किया जाता है। भराऊ दीवारें एवं साइड की दीवारों को यथा स्थान का ढाला या फिर फ्रेम (चौखटे) या बीम में पूर्व निर्मित दीवार विन्यास जोड़ा जाता है। सामान्यतः दीवारों को यथा स्थान पर विद्यमान खाली फ्रेम में कंक्रीट भर कर निर्मित किया जाता है। यह आवश्यक है संपूर्ण परिधि को परस्पर संयोजन (जोड़) प्रदान किया जाए, जहां पर मोनोलिथिक दीवारों की यथापेक्षित सुदृढ़ता जरूरी हो। प्रायः मेख/गुटका (डॉबेल) संयोजन का उपयोग इनफिल दीवारों एवं साइड वाल्स के लिए किया जाता है। गुजरात में आए भूकंप के पश्चात अपेक्षित भूकंपी निष्पादकता पाने के लिए सॉफ्ट स्टोरी में शीयर वॉल का जोड़ना एक सामान्य प्रविधि हो गई।

शीयर वाल्स (अपरूपण/कैंचा दीवार)

विद्यमान इमारत की सुदृढ़ता एवं कसावट के लिए शीयर वाल्स की शुरूआत एक अत्यंत प्रभावी प्रविधि है। शीयर वाल प्रणाली प्रायः सस्ती एवं अधिकतर विद्यमान कंक्रीट ढांचों के लिए जल्द उपलब्धता की क्षमता वाला है। हालांकि विद्यमान ढांचे में शीयर वाल का जोड़ना कुछ विपरीत प्रभाव डाल सकता है। जैसे कि भारी मात्रा की शीयर वाल जोड़ने के परिणाम स्वरूप इमारत की राशि (आयतन) में वृद्धि हो सकती है और इस प्रकार भूकंपी बल एवं सुदृढ़ता की आवश्यकता में वृद्धि हो सकती है। अक्सर शीयर वाल्स के परिणाम स्वरूप महत्वपूर्ण रूप से वास्तुशिल्पीय प्रभाव दिख सकता है क्योंकि खिड़कियों का खत्म होना एवं भूतल में बाधाओं का पैदा होना तथा उनके आधार पर व्यापक प्रतिवलित बलों का उत्पन्न होना, जिसके लिए अतिरिक्त संपूरक नींव/आधार कार्य की जरूरत हो सकती है जोकि प्रायः काफी खर्चीला होता है। अधिकतर भूतल में खुले आरसी फ्रेम की इमारतों को भुज, गुजरात के भूकंप के पश्चात आरसी शीयर वाल्स के साथ चयनित पैनल लगाकर खुले भूतल में पार्किंग या सेवाओं को बिना बाधित किए सुदृढ़ीकृत किया गया।

बंधनी (ब्रास) फ्रेम या ढांचे

एक विद्यमान इमारत की पार्श्विक (क्षैतिज) स्टिफनेस एवं सुदृढ़ता को संवर्धित करने के लिए बंधनीयुक्त स्टीफ फ्रेम (ढांचे) एक आम प्रविधि है। हालांकि, भारत में यह लोकप्रिय नहीं है चूंकि विद्यमान आरसी फ्रेम/ढांचों में बंधनीकृत फ्रेमों को प्रभावी ढंग से जोड़ना बहुत मुश्किल है। विशिष्ट रूप से, ब्रास्ड फ्रेम निचले स्तर की कसावट एवं सुदृढ़ता प्रदान करते हैं जिससे शीयर वाल को जोड़ा जा सकता है और ये कम आयतन लेते है। इनसे प्रकाश में कम अवरोध होता है और भवन के परिसर में आवागमन को भी कम प्रभावित करते हैं।

मेंबर रेनफोर्सिंग तकनीकें

नवीन अनुलंबीय एवं संपार्श्विक (क्षैतिज) प्रबलीकरण के साथ कंक्रीट या स्टील कवच (जैकेटिंग) प्रदान करके फ्रेमों (ढांचों) की क्षमता को संवर्धित किया जा सकता है। स्टिफनेस की प्राप्ति हेतु यह महत्वपूर्ण है कि पर्याप्त रूप से संपार्श्विक प्रबलीकरण व्यवस्थित किया जाए। स्टील घटक के साथ बीम से कॉलम के लिए परिरोधन हेतु संयोजन की जरूरत हो सकती है, यद्यपि निर्माण आसान नहीं होता है।

परिरोधन (कन्फाइनमेंट) जोड़ना

गैर–तन्य कंक्रीट कॉलम की विरूपण क्षमता को बाहरी परिरोधन कवच (जैकेटिंग) के प्रावधान के माध्यम से संवर्धित किया जा सकता है। कॉलम को कवचपूर्ण (जैकेटिंग) का सरलतम तरीका है, विद्यमान कॉलम के सबसे कमजोर हिस्से को प्रबलीकरण हेतु विलोपित करके परिरोधित प्रबलीकरण प्रदान करना तथा नवीन एवं विद्यमान प्रबलीकरण के बीच पर्याप्त बॉण्ड (बंधनीयता) प्रदान करना। ठीक इसी दौरान, नवीन अनुलंबीय प्रबलीकरण बीम कॉलम जोड़ को पर्याप्त रूप से जोड़ा जाना चाहिए और विशेष रूप से कॉलम के शीर्ष पर मधुमक्खी जैसे छत्ते के विनिर्माण से बचे जाने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। बीम और कॉलम के संयोजन को सुदृढ़ीकृत करने के लिए आवश्यक है कि भूकंप के दौरान व्यापक गतिविधि (हलचल) के पैदा होने को अवरोधित किया

जाए। अनुलंबीय प्रबलीकरण को आगामी स्तर तक जारी रखा जाए और विद्यमान एवं नवीन कंक्रीट के बीच पर्याप्त संरचनात्मक समिश्रीकरण फुटिंग के दायरे तक कवचपूर्ण किया जाना चाहिए। चूंकि निर्माण के नजरिए से बीम को कवचित करना एक मुश्किल भरा काम है अतः यह अधिमान्य है कि अतिरिक्त आरसी बीम/स्टील खंड उपलब्ध कराया जाए। जहां भी अपेक्षित हो या अनुकूल स्थानों पर अतिरिक्त कॉलम प्रदान किया जाए ताकि लंबे स्पैन विस्तारीय वृहद कांटीलीवरेज (प्रास) हट जाए।

भूकंपी पुनर्वास हेतु हाल ही में किए गए नए उपागम

भूकंप के तुरंत बाद, परम्परागत मरम्मत बनाम सुदृढ़ीकरण योजनाओं – जैसे कि भूतलीय कॉलमों का कवचीकरण (जैकेटिंग), शीयर वाल्स को संयोजित करने आदि के द्वारा इमारतों के सर्वाधिक नाजुक जगहों पर रेट्रो फिटिंग की ओर ध्यान केन्द्रित हुआ जोकि मुख्यतः समाज आर्थिक विचारों से विनियंत्रित थी। हालांकि, इन भूकंपी रेट्रोफिट योजनाओं को इसलिए नहीं प्रयुक्त किया जा सकता, चूंकि निम्नलिखित परिस्थितियों में उपलब्ध रेट्रोफिट योजनाओं में अमूमन उच्च प्राथमिकताएं निर्णायक हो सकती हैं।

- निर्माण स्थल, अवधि एवं समय की सीमितता
- काम के साथ शोर, कंपन एवं धूल आदि
- वास्तु शिल्पी एवं/अथवा संरचनात्मक डिजाइन का संरक्षण
- संरचनात्मक निष्पादकता के साथ–साथ क्रियात्मक निष्पादकता
- निर्माण के दौरान सेवा देयता

अनेक नई प्रौद्योगिकीय विकल्पों जैसे कि भूकंपी विलगाव, संपूरक ऊर्जा छितराव, सक्रिय नियंत्रण, रेट्रोफिटिंग के लिए उपलब्ध उच्च निष्पादक सामग्री तथा भारतीय संदर्भ में लागत सातत्यता इन प्रौद्योगिकियों के उपयोग को विनियंत्रित करती है।

भुज में आए भूकंप के पश्चात, मंहगी लागत को ध्यान में रखने के बावजूद अनेक बहुमंजिला इमारतों में सफलतापूर्वक कार्बन फाइबर रैपिंग आफ स्ट्रक्चरल मेंबर (सरंचनात्मक मेंवर (पट्टा) का कार्बन फाइबर (रेशम) आवेश्टन) क्रियान्वित किये गये। इसकी कार्यान्वयन एवं टिकाऊपन की गति परम्परागत मरम्मत तकनीक से बेहतरी एवं अच्छेपन में आगे रहती है। यह प्रौद्योगिकता के साथ–साथ विश्लेषणात्मक रूप से सत्यापित हुआ है कि कमजोर कॉलम एवं बीम के आस–पास कार्बन की रैपिंग (आवेष्टन) कन्फाइवमेंट को बढ़ाती है और इस तरह से फिक्सर, शीमर एवं स्टिफनेस के प्रति मजबूती को बेहतर बनाता है।

आरसी कॉलम को कार्बन फाइबर कवच लगाना (जैकेटिंग)

फाइबर रैपिंग प्रणाली अत्यंत मजबूत समिश्र (हाईब्रिड) बुना हुआ कपड़ा/इपोक्सी है जो इपोक्सी रेजिन में सांद कर ई–ग्लास तथा केलवार/अरामाइड फाइवर्स से संघटित होता है। यह योजना मूलतः विद्यमान आरसी कॉलमों की तन्यता को बेहतर बनाती है जो भूकंप के दौरान टूट कर गिर सकते हैं। कार्बन फाइबर कवच के उपयोग का लाभ अपेक्षाकृत आसानी से उपयोग में लाना तथा त्वरित गति से क्रियान्वयन, भार की तुलना उच्च मजबूती, पर्यावरण निम्नीकरण तथा क्षरण से अच्छा प्रतिरोधन, किसी भी आकार में कंक्रीट तत्वों के साथ रूपाकृति पाने की उपादेयता होती है। यद्यपि, सामान्य प्रविधि में, डिजाइन सिद्धांतों तथा फाइबर रैप के उपयोग हेतु कुछ जांच परिणामों के बारे में साहित्य उपलब्ध है।

आधार प्रथक्करण (बेस आइसोलेशन)

इस उपागम में, एकल स्तरीय भवनों में वर्टिकल भार वहन प्रणाली, विशिष्ट रूप से आधार के पास कंप्लाइंट बियरिंग प्रविष्ट कराने की जरूरत होती है। इन बियरिंग को इस तरह विन्यासित किया जाता है जिनमें अपेक्षाकृत निम्न स्टिफनेस, विस्तीर्ण संपार्श्विक विरूपण क्षमता और सर्वोत्तम ऊर्जा विस्तारण विशिष्टताएं भी हो सकती हैं। एक आइसोलेशन सिस्टम के अधिष्ठापन के परिणाम स्वरूप भवन के आधारभूत प्रतिक्रिया अवधि में तात्विक वृद्धि तथा आद्रता हेतु सक्षमता से प्रतिरोध प्रभावी होता है। चूंकि संरचना के स्व संपार्श्विक अनुपालनीयता से आइसोलेशन बियरिंग में अपेक्षाकृत आधिक्य होता है फलतः भूकंप के दौरान बियरिंग का कंक्रीट स्वतः ही संपार्श्विक विरूपण की मांग को प्रोद्भूत करता है। इन दोनों के एक साथ मिलने के परिणाम स्वरूप आइसोलेशन बियरिंग के ऊपर स्थित भवन के हिस्से की संपार्श्विक मांग व्यापक रूप से घट जाती है। हालांकि, भारत में भूकंप के पश्चात भूकंप पुनर्वास में इस तकनीक को उपयोग में नहीं लाया गया है।

निष्कर्ष

यह लेख उन विभिन्न रेट्रोफिटिंग योजनाओं को प्रस्तुत करता है जिन्हें पुनर्वास के दौरान अपनाया गया है। संक्षेप में, किसी भी पुनर्वास तकनीकी का प्रभावीपन/निष्पादकता विद्यमान मेंबर्स (पट्टा या स्तंभादि) हेतु रेट्रोफिट तत्व की सहज संवितरण प्रक्रिया पर निर्भर करता है और यह इस महत्व को उजागर करता है कि भूकंप के दौरान ठोस भूकंपी निष्पादकता हेतु अनुकूल कारीगरी (शिल्प) के माध्यम से संरचनात्मक उपयुक्त डिजाइन के जोड़ ब्यौरे तथा निर्माण कार्य की महत्ता क्या है।

डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी

– मनोज कुमार,
प्रबंधक

डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी क्या है?

- डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी एक ऐसा नवाचार है जो उपभोक्ताओं, उद्योगों या व्यवसायों के संचालन के तरीके को महत्त्वपूर्ण रूप से बदल देता है। यह एक अच्छी तरह से स्थापित उत्पाद या प्रौद्योगिकी को विस्थापित करता है, एक नया उद्योग या बाज़ार का निर्माण करता है।

डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी के उदाहरण:

ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी:

- ब्लॉकचेन का नाम डिजिटल डेटाबेस या लेज़र से लिया गया है जहाँ जानकारी "ब्लॉक" के रूप में संग्रहीत की जाती है जो "चेन" बनाने के लिये एक साथ मिलती हैं।
- यह स्थायी और छेड़छाड़–स्पष्ट रिकॉर्ड–कीपिंग, रीयल–टाइम लेन–देन पारदर्शिता और ऑडिटेबिलिटी का एक विलक्षण संयोजन प्रदान करता है।
- ब्लॉकचेन की एक प्रति कई उन कंप्यूटरों या उपयोगकर्त्ताओं में से प्रत्येक के लिये उपलब्ध है जो किसी नेटवर्क में एक साथ जुड़े हुए हैं।
- नए ब्लॉक के माध्यम से जोड़ी या बदली गई किसी भी नई जानकारी की कुल उपयोगकर्त्ताओं के आधे से अधिक द्वारा जाँच और अनुमोदन किया जाता है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI):

- एआई के बारे में:
  - यह उन कार्यों को करने वाली मशीनों की कार्रवाई का वर्णन करता है जिनके लिये मानव बुद्धि की आवश्यकता होती है।
  - इसमें मशीन लर्निंग, पैटर्न रिकग्निशन, बिग डेटा, न्यूरल नेटवर्क्स, सेल्फ एल्गोरिदम आदि जैसी प्रौद्योगिकियाँ शामिल हैं।
  - यह मूल रूप से सेल्फ–लर्निंग पैटर्न बनाने के बारे में है जहाँ मशीन कभी जवाब न देने वाले सवालों के भी जवाब दे सकती है जैसे कि एक इंसान कर सकता है।

5जी प्रौद्योगिकी:

- 5G, 5वीं पीढ़ी का मोबाइल नेटवर्क है। यह 1G, 2G, 3G और 4G नेटवर्क के बाद एक नया वैश्विक वायरलेस मानक है।
- यह एक नए प्रकार के नेटवर्क को सक्षम बनाता है जिसे मशीनों, वस्तुओं और उपकरणों सहित लगभग सभी को और सब कुछ एक साथ जोड़ने के लिये डिज़ाइन किया गया है।
- 5G के हाई–बैंड स्पेक्ट्रम में इंटरनेट की गति का परीक्षण 20 Gbps (गीगाबिट प्रति सेकंड) के रूप में किया गया है, जबकि अधिकांश मामलों में, 4G में अधिकतम इंटरनेट डेटा गति 1 Gbps दर्ज की गई है।

महत्त्व:

- 5G तकनीक देश के शासन, जीवन में आसानी और व्यापार करने में आसानी में भी सकारात्मक बदलाव लाएगी।
- इससे कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचे और रसद जैसे हर क्षेत्र में विकास को बढ़ावा मिलेगा।
- इससे सुविधा भी बढ़ेगी और रोजगार के कई अवसर पैदा होंगे।

ड्रोन प्रौद्योगिकी:

- **ड्रोन प्रौद्योगिकी के बारे में:**
  - यह मानव रहित विमान (UA) वाहन के लिये एक आम शब्दावली है।

  - मूल रूप से सैन्य और एयरोस्पेस उद्योगों के लिये विकसित, ड्रोन ने सुरक्षा और दक्षता के उन्नत स्तरों के कारण मुख्यधारा में अपना स्थान बना लिया है।
- **महत्त्व:**
  - रक्षा: ड्रोन सिस्टम को आतंकवादी हमलों के खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
  - कृषि: कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म पोषक तत्वों को ड्रोन की मदद से फैलाया जा सकता है।

3डी प्रिंटिग:

- **3डी प्रिंटिग के बारे में:**
  - इसे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के रूप में भी जाना जाता है जो प्लास्टिक और धातुओं जैसी सामग्रियों का उपयोग करके कंप्यूटर–एडेड डिज़ाइन पर परिकल्पित उत्पादों को वास्तविक त्रि–आयामी वस्तुओं में परिवर्तित करता है।
  - परंपरागत रूप से 3डी प्रिंटिंग का उपयोग प्रोटोटाइप के लिये किया जाता रहा है। 3डी प्रिंटिंग में कृत्रिम अंग, स्टेंट, डेंटल क्राउन, ऑटोमोबाइल के पुर्जे और उपभोक्ता सामान आदि बनाने की बहुत गुंजाइश है।

डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी के क्या लाभ हैं?

- **नियमित गतिविधियों में नवाचार:** डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी की प्रमुख विशेषताओं में से एक उपभोक्ताओं को नए और उल्लेखनीय लाभ प्रदान करने की क्षमता है। जब इस प्रकार की तकनीक बाजार में प्रवेश करती है, तो यह पूरे उद्योग को बदल देती है।
  - डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी को अपनाने से व्यक्ति और व्यवसाय समान रूप से उन लाभों का आनंद ले सकते हैं जो प्रौद्योगिकी उनकी नियमित गतिविधियों को प्रदान करती है।
- **स्टार्टअप कंपनियों का विकास:** डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी स्टार्टअप कंपनियों को मौजूदा उद्योगों में एक महत्त्वपूर्ण मुकाम हासिल करने के अवसर प्रदान करती है।
  - यह छोटे स्टार्टअप को तेज़ी से विकास का अनुभव करने और संभावित रूप से बड़ी, अधिक अच्छी तरह से स्थापित कंपनियों से बेहतर प्रदर्शन करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है।
- **व्यापार विस्तार:** जब एक स्थापित व्यवसाय स्वेच्छा से डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी को अपनाता है तो उसे अपने वर्तमान उद्योग के भीतर या प्रौद्योगिकी द्वारा बनाए गए एक नए उद्योग के विकास के प्रमुख अवसर प्राप्त होते हैं। इससे देश का आर्थिक विकास भी होता है।

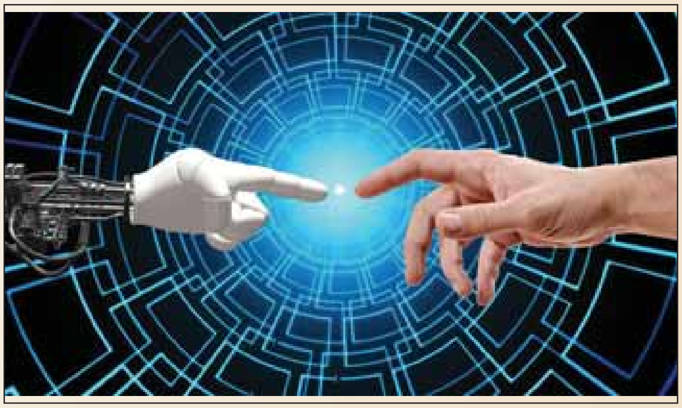

  - कंपनियां जो अपने मौजूदा उत्पादों और सेवाओं में डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी को सुचारू रूप से शामिल कर सकती हैं, मौजूदा ग्राहकों को डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी का उपयोग करने में मदद

कर सकती हैं, साथ ही नए खरीदारों को नए बाज़ार में प्रवेश के साथ कैप्चर कर सकती हैं।

- **भारत की आईटी शक्ति का लाभ उठाना:** भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग अच्छी तरह से स्थापित है, और कनेक्टिविटी बढ़ाने की योजना 'डिजिटल इंडिया' के हिस्से के रूप में अच्छी तरह से चल रही है।
  - यह छोटे शहरों में एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सुविधाओं के निर्माण और प्रमुख शहरों के बाहर औद्योगिक विकास को बढ़ावा देगा।

डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी के संबंध में चुनौतियां क्या हैं?

- **वर्तमान चुनौतियां:**
  - विश्वास और नैतिक प्रश्न: डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी स्वयं समस्या नहीं है, लेकिन गोपनीयता, स्वामित्व और पारदर्शिता के आसपास नैतिक मुद्दे हैं जो इन प्रौद्योगिकियों से संबंधित हैं जो चिंता का कारण बन सकते हैं।
  - अनुकूलन क्षमता में चुनौतियां: जटिल बाज़ार स्थितियों में नवाचारों को साबित करने में समय लगता है और बाजार में प्रवेश करने में एक महत्त्वपूर्ण समय अवधि भी खर्च होती है।
  - इस क्षेत्र में परीक्षण नहीं किया गया और इसमें समय लगता है: नई तकनीक आमतौर पर अपने शुरुआती चरणों के दौरान अप्रयुक्त और अपरिष्कृत होती है और विकास वर्षों तक जारी रह सकता है।
- इसकी उपयोगिता और बाज़ार की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता के आधार पर किसी भी नवीन विचार को लंबी प्रक्रिया से गुज़रना पड़ता है। किसी भी नवीन विचार या उत्पाद या सेवा को बाज़ार में स्थापित होने में एक महत्वपूर्ण अवधि लगती है।

आगे की राह

- **अनुकूल पर्यावरण:** प्रौद्योगिकी और नवाचार की अगली पीढ़ी के लिये एक नीतिगत ढाँचा अर्थव्यवस्था, समाज और पर्यावरण को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने और असमानताओं को कम करने के लिये इन प्रौद्योगिकियों के लिये एक सक्षम वातावरण बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
- **समग्र दृष्टिकोण:** संपूर्ण अर्थव्यवस्था या समाज के अधिकांश दृष्टिकोण का पालन किया जाना चाहिए, सिर्फ तकनीक सफलता की गारंटी नहीं देगी। नीति निर्माताओं को स्थानीय संदर्भों और परिस्थितियों पर भी ध्यान देना चाहिये ताकि वे सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पारिस्थितिकी तंत्र बना सकें जिसमें प्रौद्योगिकी रोजगार पैदा करती है और समावेशी विकास को आगे बढ़ाती है।

- **अनुसंधान एवं विकास क्षेत्र को बढ़ावा देना:** उत्पाद डिज़ाइन केंद्रों के गठन को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है ताकि उत्पादों को भारतीय पर्यावरण और उपभोक्ताओं के अनुरूप बनाया जा सके।
- **सरकारी सहायता की आवश्यकता:** छोटे शहरों में वितरित विनिर्माण के लिये प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु सरकारी सहायता की आवश्यकता है और आईटी उद्योग को ऐसे प्लेटफॉर्म और मार्केटप्लेस बनाने पर काम करने की आवश्यकता है जो उपभोक्ता मांगों, उत्पाद डिज़ाइनरों और निर्माताओं को एक सहज तरीके से जोड़ते हैं।

निष्कर्ष

इस प्रकार की तकनीक, यदि उपभोक्ताओं के लिये लाई जाती है तो उपभोक्ताओं के साथ–साथ व्यवसाय, दोनों को, उल्लेखनीय लाभ प्रदान करती है। नवोन्मेषी तकनीक से एक पूरा उद्योग बदल जाता है और वह भी सकारात्मक तरीके से। इस प्रकार यदि प्रौद्योगिकी को अपनाया जाता है और इंटरनेट के रूप में ठीक से उपयोग किया जाता है तो यह उपभोक्ताओं के साथ–साथ उत्पादकों दोनों को अत्यधिक नवीन लाभ प्रदान कर सकता है।

मुद्रास्फीतिः अवधारणाएं

– अमित प्रकाश,
उप प्रबंधक

मुद्रास्फीति क्या है?

मुद्रास्फीति वह दर है जिस पर माल और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होती है, जिसे समय के साथ क्रय शक्ति में गिरावट के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। हालांकि समय के साथ अलग–अलग उत्पादों के मूल्य परिवर्तन को मापना आसान है, मानव की आवश्यकताएं सिर्फ एक या दो उत्पादों से अधिक होती हैं। सुविधापूर्ण जिंदगी जीने हेतु व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार के उत्पादों के अतिरिक्त कई सेवाओं की आवश्यकता होती है। इनमें खाद्यान्न, धातु, ईंधन, बिजली और परिवहन जैसी उपयोगिताओं एवं स्वास्थ्य देखभाल, मनोरंजन और श्रम जैसी सेवाएं शामिल हैं। मुद्रास्फीति का उद्देश्य माल और सेवाओं के विविध सेट हेतु मूल्य परिवर्तन के समग्र प्रभाव को मापना है। यह किसी निर्धारित समयावधि के दौरान माल एवं सेवाओं के मूल्य स्तर में हुई वृद्धि को दर्शाने हेतु एक सिंगल वैल्यू की सुविधा प्रदान करती है।

मुद्रास्फीति के कारण

मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि मुद्रास्फीति का कारण है, हालांकि यह अर्थव्यवस्था में विभिन्न तंत्रों के माध्यम से कार्य कर सकता है। किसी देश की मुद्रा आपूर्ति को निम्नलिखित मौद्रिक प्राधिकरणों द्वारा बढ़ाया जा सकता है:

- मुद्रण एवं नागरिकों को अधिक धन प्रदान करना
- कानूनी मुद्रा का कानूनी रूप से अवमूल्यन (मूल्य को कम करना)

- द्वितीयक बाजार में बैंकों से सरकारी बॉण्ड खरीदकर बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से नई मुद्रा को आरक्षित निधि खाते के रूप में प्रचलन में लाना।

इन सभी मामलों में, मुद्रा अपनी क्रय शक्ति खो देती है। यह कैसे मुद्रास्फीति को प्रेरित करता है इसके तंत्र को तीन प्रकारों, मांग–जन्य मुद्रास्फीति, लागत–प्रेरित मुद्रास्फीति एवं अंतर्निहित मुद्रास्फीति में वर्गीकृत किया जा सकता है।

मुद्रास्फीति मापने का तरीका

सबसे अधिक प्रयोग किये जाने वाला मुद्रास्फीति सूचकांक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक एवं थोक मूल्य सूचकांक हैं।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई)

सीपीआई एक ऐसा उपाय है जो प्राथमिक उपभोक्ता आवश्यकताएं वाले माल और सेवाओं के एक समूह की कीमतों के भारित औसत की गणना करता है। सीपीआई की गणना माल के पूर्व निर्धारित समूह में प्रत्येक वस्तु के हुए मूल्य परिवर्तन को लेकर और पूरे समूह में उसके सापेक्ष भार के आधार पर औसत करके की जाती है। विचाराधीन मूल्य प्रत्येक वस्तु के खुदरा मूल्य हैं जो वैयक्तिक नागरिकों द्वारा खरीद हेतु उपलब्ध है।

थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई)

थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति का एक अन्य प्रचलित उपाय है। यह खुदरा स्तर से पहले के चरणों में माल की कीमत में परिवर्तन को मापता है एवं ट्रैक करता है। जबकि थोक मूल्य सूचकांक वस्तुएं एक देश से दूसरे देश में भिन्न होती हैं, उनमें अधिकतर निर्माता या थोक स्तर पर वस्तुएं शामिल होती हैं।

हालांकि कई देश और संगठन थोक मूल्य सूचकांक का उपयोग करते हैं, कई अन्य देश एक समान संस्करण का उपयोग करते हैं जिसे निर्माता मूल्य सूचकांक (पीपीआई) कहा जाता है।

निर्माता मूल्य सूचकांक (पीपीआई)

पीपीआई सूचकांक का एक समूह है जो समय के साथ मध्यवर्ती माल और सेवाओं के घरेलू निर्माता द्वारा प्राप्त बिक्री मूल्य में औसत परिवर्तन को मापता है। पीपीआई विक्रेता के दृष्टिकोण से मूल्य परिवर्तन को मापता है एवं

सीपीआई से भिन्न होता है जो कि खरीदार के दृष्टिकोण से मूल्य परिवर्तन को मापता है।

मुद्रास्फीति के लाभ एवं हानि

मुद्रास्फीति को एक उचित या हानिकारक सृजन के रूप में माना जा सकता

है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि मुद्रास्फीति कौन सा पक्ष लेता है, और इसमें कितनी तेजी से परिवर्तन होता है।

लाभ

मूर्त आस्तियों वाले वैयक्तिक (जैसे संपत्ति या स्टॉक की गई वस्तुएं) जिनकी घरेलू मुद्रा में कीमत होती है, वे कुछ मुद्रास्फीति पसंद कर सकते हैं क्योंकि इससे उनकी आस्ति की कीमत बढ़ जाती है, जिसे वे उच्च दर पर बेच सकते हैं।

मुद्रास्फीति अक्सर जोखिम भरी परियोजनाओं में व्यवसायों द्वारा एवं कंपनी के शेयरों में निवेश करने वाले वैयक्तिकों द्वारा अनुमान की ओर ले जाती है क्योंकि वे मुद्रास्फीति से बेहतर रिटर्न की उम्मीद करते हैं।

बचत के बजाय एक निश्चित सीमा तक खर्च को प्रोत्साहित करने हेतु मुद्रास्फीति के एक इष्टतम स्तर को अक्सर बढ़ावा दिया जाता है। यदि पैसे की क्रय शक्ति समय के साथ कम होती है, तो बाद में बचत करने और खर्च करने के बजाय अभी खर्च करने के लिए अधिक प्रोत्साहन हो सकता है। यह खर्च बढ़ा सकता है जो किसी देश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दे सकता है। मुद्रास्फीति के मूल्य को इष्टतम और वांछनीय सीमा में रखने हेतु एक संतुलित दृष्टिकोण के बारे में सोचा गया है।

हानि

उपर्युक्त आस्ति के खरीदार मुद्रास्फीति से खुश नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें अधिक पैसा खर्च करने की आवश्यकता होगी। जो लोग घरेलू मुद्रा में मूल्यवान आस्ति जैसे कि नकद या बांड रखते हैं, वे मुद्रास्फीति को पसंद नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह उनकी शेयरधारिता के वास्तविक मूल्य को कम करता है। इस प्रकार, मुद्रास्फीति से अपने पोर्टफोलियो को बचाने के लिए निवेशकों को मुद्रास्फीति से बचाव वाले आस्ति वर्गों, जैसे सोना, वस्तुओं और भूसंपदा निवेश न्यास (आरईआईटी) पर विचार करना चाहिए। मुद्रास्फीति से लाभ के लिए मुद्रास्फीति–सूचकांकित बॉण्ड निवेशकों हेतु एक और लोकप्रिय विकल्प हैं।

मुद्रास्फीति पहले कुछ कीमतों को बढ़ाती है एवं बाद में अन्य कीमतों को बढ़ा देती है। क्रय शक्ति और मूल्य में इस क्रमिक परिवर्तन (कैंटिलॉन प्रभाव के रूप में जाना जाता है) का अर्थ है कि मुद्रास्फीति की प्रक्रिया न केवल समय के साथ सामान्य मूल्य स्तर को बढ़ाती है। लेकिन यह इस प्रकार से में सापेक्ष कीमतों, मजदूरी और विवरणी की दरों को भी विकृत करता है। अर्थशास्त्री, सामान्य तौर पर, यह समझते हैं कि उनके आर्थिक संतुलन से दूर सापेक्ष कीमतों की विकृतियां अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी नहीं हैं, और ऑस्ट्रियाई अर्थशास्त्री भी इस प्रक्रिया को अर्थव्यवस्था में मंदी के चक्र का एक प्रमुख संचालक मानते हैं।

मुद्रास्फीति पर नियंत्रण

मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी किसी देश के वित्तीय विनियामक पर होती है। यह मौद्रिक नीति के माध्यम से उपायों को लागू करके किया जाता है, जो कि एक केंद्रीय बैंक या अन्य समितियों के कार्यों को संदर्भित करता है कि वह मुद्रा आपूर्ति के आकार एवं वृद्धि की दर निर्धारित करें।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 12 जुलाई 2022 को जारी आंकड़ों से पता चलता है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) द्वारा मापी गई भारत की प्रमुख खुदरा मुद्रास्फीति दर मई 2022 में 7.04% से जून 2022 में 7.01% थी।

बैंकों में आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य का महत्व

– शिखर बीर,
सहायक प्रबंधक

एक मजबूत आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, जिसमें एक स्वतंत्र और प्रभावी आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य शामिल है, सुदृढ़ कॉर्पोरेट प्रशासन का हिस्सा है। बैंकिंग पर्यवेक्षकों को बैंक के आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य की प्रभावशीलता के बारे में संतुष्ट होना चाहिए, कि उनकी संस्था द्वारा नीतियों और प्रथाओं का पालन किया जाता है और आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा पहचानी गई आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों के जवाब में प्रबंधन उचित और समय पर सुधारात्मक कार्रवाई करता है। एक आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली बैंक के निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन (और बैंक पर्यवेक्षकों) को बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की गुणवत्ता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। ऐसा करने पर यह कार्यप्रणाली बैंक के हानि के जोखिम को कम करने में मदद करती है।

एक प्रभावी आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन को बैंक के आंतरिक नियंत्रण, जोखिम प्रबंधन और शासन प्रणालियों और प्रक्रियाओं की गुणवत्ता और प्रभावशीलता पर विश्वसनीयता प्रदान करती है, जिससे बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंधन को उनके संगठन और इसकी प्रतिष्ठा की रक्षा करने में मदद मिलती है।

आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य बैंक के आंतरिक नियंत्रण, जोखिम प्रबंधन और

शासन प्रणालियों और प्रक्रियाओं के चल रहे रखरखाव और मूल्यांकन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है – जिन क्षेत्रों में पर्यवेक्षी अधिकारियों की गहरी रुचि है। इसके अलावा, आंतरिक लेखा परीक्षक और पर्यवेक्षक दोनों अपनी संबंधित कार्य योजनाओं और कार्यों को निर्धारित करने के लिए जोखिम आधारित दृष्टिकोण का उपयोग करते हैं। जबकि आंतरिक लेखा परीक्षकों और पर्यवेक्षकों में से प्रत्येक का एक अलग अधिदेश होता है और वे अपने स्वयं के निर्णय और आकलन के लिए जिम्मेदार होते हैं, वे समान/संबंधित जोखिमों की पहचान कर सकते हैं।

आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य को सभी बैंक रिकॉर्ड और डेटा तक उनकी पहुंच, उनकी सघन जाँच और उनकी पेशेवर क्षमता के आधार पर बैंक द्वारा सामना किए जाने वाले जोखिमों के बारे में एक स्वतंत्र और सूचित दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए। आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली लेखापरीक्षा समिति और निदेशक मंडल के साथ सीधे उनके विचारों, निष्कर्षों और परिणामों पर विचार–विमर्श करने में सक्षम होनी चाहिए, जिससे बोर्ड को वरिष्ठ प्रबंधन की निगरानी करने में मदद मिल सके।

बैंक का आंतरिक लेखा परीक्षा कार्यप्रणाली लेखापरीक्षित गतिविधियों से स्वतंत्र होनी चाहिए, जिसके लिए आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य के लिए बैंक के भीतर पर्याप्त स्थिति और अधिकार की आवश्यकता होती है, जो कि आंतरिक लेखा परीक्षकों को अपने कार्य को निष्पक्षता के साथ करने में सक्षम बनाता है।

बैंक के आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य की प्रभावशीलता के लिए प्रत्येक आंतरिक लेखा परीक्षक और सामूहिक रूप से आंतरिक लेखा परीक्षकों के ज्ञान और अनुभव सहित व्यावसायिक क्षमता आवश्यक है।

आंतरिक लेखा परीक्षकों को ईमानदारी के साथ कार्य करना चाहिए। ईमानदारी विश्वास स्थापित करती है क्योंकि इसके लिए आंतरिक लेखा परीक्षक को हाजिरजवाब, ईमानदार और विश्वसनीय होना आवश्यक है। यह आंतरिक लेखा परीक्षक के पेशेवर निर्णय पर निर्भरता का आधार प्रदान करता है। आंतरिक लेखा परीक्षकों को अपने कर्तव्यों के दौरान प्राप्त जानकारी की गोपनीयता का सम्मान करना चाहिए। उन्हें व्यक्तिगत लाभ या दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई के लिए उस जानकारी का उपयोग नहीं करना चाहिए और प्राप्त जानकारी की सुरक्षा हेतु ज़िम्मेदार होना चाहिए।

आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य के प्रमुख और सभी आंतरिक लेखा परीक्षकों को

हितों के टकराव से बचना चाहिए। इसके अलावा, मुआवजे की व्यवस्था को आंतरिक लेखा परीक्षकों को आंतरिक लेखा परीक्षा कार्यप्रणाली की विशेषताओं और उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान नहीं करना चाहिए।

आंतरिक लेखा परीक्षकों को बैंक की आचार संहिता (जब कोई हो) लागू करनी चाहिए या आंतरिक लेखा परीक्षकों के लिए एक स्थापित अंतरराष्ट्रीय आचार संहिता का पालन करना चाहिए, जैसे कि आंतरिक लेखा परीक्षकों का संस्थान द्वारा स्थापित है। आचार संहिता में कम से कम निष्पक्षता, क्षमता, गोपनीयता और अखंडता के सिद्धांतों को शामिल करना चाहिए।

प्रत्येक बैंक के पास एक आंतरिक ऑडिट चार्टर होना चाहिए जो बैंक के भीतर आंतरिक ऑडिट फ़ंक्शन के उद्देश्य, स्थिति और अधिकार को इस तरह से व्यक्त करता है जो एक प्रभावी आंतरिक ऑडिट फ़ंक्शन को बढ़ावा देता है।

प्रत्येक गतिविधि (आउटसोर्स गतिविधियों सहित) और बैंक की प्रत्येक इकाई को आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य के समग्र दायरे में आना चाहिए। आंतरिक लेखा परीक्षा गतिविधियों के दायरे में संगठन की आउटसोर्स गतिविधियों और इसकी सहायक कंपनियों और शाखाओं सहित पूरे बैंक की आंतरिक नियंत्रण, जोखिम प्रबंधन और शासन प्रणाली और प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता की जांच और मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य को स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करना चाहिए:

- वर्तमान और संभावित भविष्य दोनों जोखिमों के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रण, जोखिम प्रबंधन और शासन प्रणाली की प्रभावशीलता और दक्षता;
- प्रबंधन सूचना प्रणाली और प्रक्रियाओं की विश्वसनीयता, प्रभावशीलता और अखंडता (प्रासंगिकता, सटीकता, पूर्णता, उपलब्धता, गोपनीयता और डेटा की व्यापकता सहित);
- पर्यवेक्षकों की किसी भी आवश्यकता सहित कानूनों और विनियमों के अनुपालन की निगरानी (अधिक विवरण के लिए निम्नलिखित उप–अनुभाग देखें); तथा
- संपत्ति की सुरक्षा।

आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य की गतिविधियों का दायरा लेखापरीक्षा योजना के भीतर विनियामक हित के मामलों की पर्याप्त कवरेज सुनिश्चित करना चाहिए। आंतरिक लेखापरीक्षकों को विनियामक हित के मामलों के संबंध में उपयुक्त ज्ञान होना चाहिए और जोखिम मूल्यांकन के परिणामों के आधार पर ऐसे क्षेत्रों की नियमित समीक्षा करनी चाहिए। इनमें संबंधित अधिकारियों द्वारा स्थापित विभिन्न विनियामक सिद्धांतों, नियमों और मार्गदर्शन के जवाब में स्थापित नीतियां, प्रक्रियाएं और शासन उपाय शामिल हैं। विशेष रूप से, बैंक के आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य में प्रमुख जोखिम प्रबंधन कार्यों, नियामक पूंजी पर्याप्तता और तरलता नियंत्रण कार्यों, नियामक और आंतरिक रिपोर्टिंग कार्यों, नियामक अनुपालन कार्य और वित्त कार्य की समीक्षा करने की क्षमता होनी चाहिए।

प्रत्येक बैंक का एक स्थायी आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य होना चाहिए। आंतरिक लेखापरीक्षा गतिविधियां सामान्य रूप से बैंक के अपने आंतरिक लेखापरीक्षा कर्मचारियों द्वारा संचालित की जानी चाहिए। जब आंतरिक लेखापरीक्षा गतिविधियां आंशिक रूप से या पूरी तरह से आउटसोर्स की जाती हैं, तो निदेशक मंडल अंततः इन गतिविधियों के लिए और बैंक के भीतर एक आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है।

एक बैंकिंग संगठन के भीतर सभी बैंकों में आंतरिक लेखा परीक्षा के लिए एक सुसंगत दृष्टिकोण की सुविधा के लिए, एक बैंकिंग समूह या होल्डिंग कंपनी संरचना के भीतर प्रत्येक बैंक के निदेशक मंडल को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि या तो बैंक का अपना आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य है, जो निदेशक मंडल प्रति के जवाबदेह होना चाहिए एवं बैंक के बोर्ड और बैंकिंग समूह या होल्डिंग कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षा के प्रमुख को रिपोर्ट करना चाहिए; या बैंकिंग समूह या होल्डिंग कंपनी का आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य बैंक के सभी परिचालानों की आंतरिक लेखा परीक्षा गतिविधियां करता है ताकि बोर्ड अपनी प्रत्ययी और कानूनी जिम्मेदारियों को निर्बाध रूप से पूरा कर सके।

शक्ति व समृद्धि

– संजीव कुमार सिंह,
प्रबंधक

ऊपर गगन विशाल परम, चरणों में सागर लहराता है
भाल हिमालय की हिम दमके, वह देश यह भारत माता है।

पुरातन काल से भारत को विभिन्न नामों से पुकारा गया है और भिन्न–भिन्न प्रकार के उसकी भौगोलिक स्थिति के साथ–साथ प्राकृतिक सौंदर्य का भी वर्णन किया गया है। भारत का अस्तित्व और उसकी संस्कृति का वर्णन वेद एवं पुराणकाल से भी प्राचीन एवं महान रहा है। वेदों में नभ (सूर्य) अग्नि, वायु, जल एवं पृथ्वी को न केवल विशप एवं विविध रूपों में वर्णन किया है बल्कि इनकी उपासना करने का मार्ग भी बताया है। वेदों ने इन पांच तत्वों को ही ब्रह्मा बताया है और आज विज्ञान भी मानता है कि सृष्टि की सभी चीजें इन्हीं पांच तत्वों से बनी है।

भारत की समुद्री विरासत प्राचीन काल में निहित है जो सिंधु घाटी (हड़प्पा) सभ्यता से भी पूर्व से शुरू होती है। ऐसा माना जाता है कि दुनिया की पहली ज्वार गोदी (डॉक) लोथल में बनी थी (आज के गुजरात के मैंगरोल बंदरगाह के नजदीक)। आज भी उस वक्त के समुद्री ढांचे के सबूत उपलब्ध है। ऋग्वेद (लगभग 2000 ईसा पूर्व) में वरुण को महासागर के मार्गों के ज्ञान के साथ आकाश, जल और समंदर का देवता कहा गया है। भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य संस्कृत में है 'शं नो वरुणः'। इसका अर्थ है 'हे समंदर के देवता आप हमारे लिए शुभ हो'।

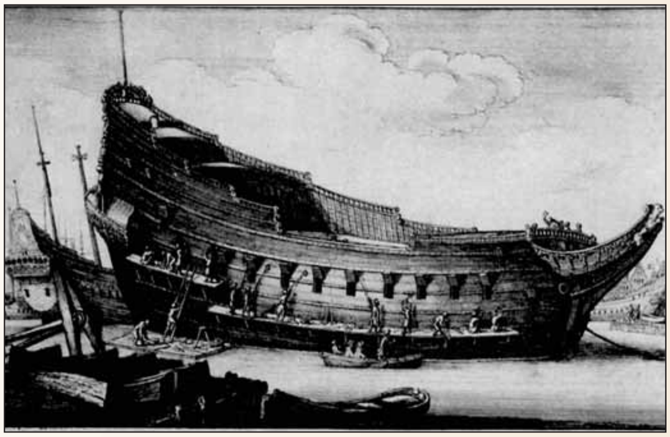

यदि हम पुराणों एवं आख्यानों में दिए गए वर्णनों की गहनता से पड़ताल करें तो यह स्पष्ट पता चलता है कि ईसापूर्व भारत का विस्तार वर्तमान इराक–ईरान तक था। जहां तब शैव एवं शाक्त अनुयायी रहते थे। कहने का अर्थ है कि समुद्री मार्ग से भारत का व्यापार काफी मात्रा में होता था। इसी मार्ग से पूर्व एवं पश्चिम के देश जुड़े हुए थे।

भारत के महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य (320–298 ईसा पूर्व) अपने 'नव परिषद' के लिए भी जाने जाते हैं। यह एक नौसेना विभाग था, जिसे समंदर, सागर, झीलों और नदियों में जहाजरानी कि जिम्मेदारी दी गई थी। ईसा पूर्व 323 में सिकंदर की सेना जिन 800 नावों में ग्रीस वापस लौटी थी, वे भी मौर्य के सिंध वाले शिपयार्ड में ही बनीं थी। वहीं पहली सदी में 'पेरिप्लस–फ द इरिर्थियन सी' से भी इस बात की जानकारी मिलती है कि उस वक्त अरब और मुजरिज जो वर्तमान में कोच्चि के निकट है के बीच समुद्र से व्यापार होता था। कहते है इसी व्यापार के लेन–देन के माध्यम से भारत से न सिर्फ मसाले, माणिक्य एवं अन्नादि जाता था, बल्कि यहां से ज्ञान एवं शिक्षा का प्रसार हुआ। इसी रास्ते से भारत की गणना पद्धति एवं अंक पद्धति पहुंची जो बाद में यूरोपीय देश पहुंचे जिन्हें वहां अरेबिक नंबर्स का नाम दिया गया।

पांचवी और 10वीं शताब्दी के दौरान दक्षिण में विजयनगरम और पूर्व में कलिंग के व्यापार की पहुंच आज के मलेशिया, सुमात्रा और जावा तक थी। वहीं सम्राट अशोक के पास मजबूत समुद्री बेड़ा था जिसका उपयोग सीरिया, इजिप्ट, मेसीडोनिया और इपिरस के साथ व्यापार के लिए किया जाता था। बाद के 10वीं और 11वीं शताब्दी के चोल, पांड्य और चेर राजवंशों का भी समंदर पर काफी बोलबाला था। 13वीं सदी में मार्कोपोलो के यात्रा वृतांत के अवलोकन से भी भारतीय जहाज निर्माण कौशल के बारे में काफी जानकारी मिलती है। एस्ट्रोनेविगेशन के प्राचीन प्रारूप को विकसित करने का श्रेय भी दो भारतीय खगोलविदों आर्यभट्ट और वराहमिहिर को है।

हमारी पुराणों में वर्णित समुद्र मंथन की कथा केवल कल्पना मात्र नहीं है। जिसकों सुरो और असुर ने मिलकर किया था। यह इस बात का प्रतीक है कि समुद्र अकूत संपदाओं का भंडार था और इसका ज्ञान आर्य एवं अनार्यों का बखूबी था, जिसे उन्होंने मिलकर खोजा और अकेले भी खोजा। प्राचीन काल

में प्राप्त समुद्री प्रभुत्व को भारत मध्यकाल में बरकरार नहीं रख पाया। इस दौर में अधिक ध्यान महाद्विपीय शक्ति को विकसित करने पर ही दिया गया था। समुद्र की शक्ति पर ध्यान कम कर दिया गया और यह नदी व समुद्र के किनारों तक ही सीमित थी। एक पथ प्रदर्शक के रूप में वास्को–डी–गामा जो एक पूर्तगाली नाविक और अन्वेषक था। 1498 ई0 में कालिकट के नजदीक उतरा। इसका अनुसरण करते हुए अपनी सामुद्रिक क्षमताओं के उपयोग से कई यूरोपीय व्यापारियों ने हिंद महासागर के लिए कई व्यापारिक अभियानों को अंजाम दिया। इनमें डच, ब्रिटिश और फ्रेंच थे। हालांकि इन्हें कुछ भारतीय तटीय नौसेनाओं द्वारा चुनौती दी गई थी, खासकर पश्चिमी तट पर। 1500 ई. और 1509 ई. के बीच कालिकट के जमोरिन ने पूर्तगालियों के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ी थी। वहीं कोंकण तट पर छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा गठित मराठा नौसेना ने पहले पूर्तगालियों को और बाद में ब्रिटिश को भयानक चुनौती दी थी। टीपू सुल्तान ने भी ब्रिटिश की समुद्री बादशाहत को चुनौती देने के लिए फ्रांस की मदद से नेवी का गठन किया था। गौर से देखें तो समंदर के किनारों पर भूरे पानी में भारतीयों द्वारा यूरोपिन के खिलाफ कड़ी चुनौती पेश की गई थी, पर नीले (गहरे) पानी की क्षमताओं और बेहतर नौसैनिक हथियारों की वजह से वे भारतीय प्रबल रहे थे।

आज भारतीय नौसेना के साथ–साथ समुद्री तट रक्षक दल (कोस्टगार्ड) भी विभिन्न तरह के अस्त–शस्त्र से न सिर्फ लैस हैं, बल्कि समुद्री तट एवं विरासतों की रक्षा करने की जिम्मेदारी भी निभाते है हाल ही में पाक से भारतीय सीमा में घुसने वाली विशाल नौका को घेर लेने की घटना काफी चर्चा का विषय रही।

औपनिवेशिक काल के दौरान भारतीयों ने धीमी गति से पुनरुद्धार का अनुभव किया जब इन्हें वाणिज्यिक और नौसेना में कार्य करने का मौका मिला। वहीं जहाज निर्माण उद्योग ने भी मामूली पुनरुद्धार करना तब शुरू किया था, जब सूरत में जहाज निर्माण उद्योग की स्थापना हुई थी। और बाद में इसे मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया था। आज की आधुनिक भारतीय नौसेना अपने पूर्ववर्ती सेवाओं से ही विकसित हुई है, इनमें ईस्ट इंडिया कंपनी मरीन (1612–1686), बॉम्बे मरीन (1686–1830), बॉम्बे एंड बंगाल मरीन्स और 'इंडियन नेवी' (1830–1877), इंडियन मरीन (1877–1892) और रॉयल इंडियन नेवी (1934–1947) शामिल हैं। भारतीय अधिकारी और लोगों ने द्वितीय विश्व युद्ध में काफी अहम भूमिका निभाई थी और उन्हें अपने बेहतरीन कार्य के लिए प्रशंसा भी मिली थी। हालांकि, आज़ादी के बाद भारतीय नौसेना ने छह फ्रिगेट और 14 अन्य छोटे जहाजों के साथ मामूली शुरुआत की थी। पर इन बीते वर्षों में भारतीय नौसेना की क्षमता में काफी वृद्धि हुई है। इसने अपनी भूमिका युद्ध और शांति दोनों ही समय में साबित किया है। आज भारतीय नौसेना अपनी बहुआयामी क्षमताओं के साथ संमदर की सक्षम और सशक्त ताकत के रूप में उभरी है।

भारत की नियति व्यापक रूप से समंदर से जुड़ी है। इसे हम 'स्वर्गीय सरदार के एम पणिक्कर' द्वारा दिए गए वक्तत्यों में देख सकते हैं: उन्होंने कहा था कि जहां तक भारत की बात है तो यह याद रखना चाहिए कि देश का प्रायद्वीपीय स्वरूप और समुद्री यातायत पर व्यापार की आवश्यक निर्भरता, समुद्र इसकी नियति पर प्रबल प्रभाव डालता है। अगर भारत एक नौसैनिक शक्ति बनना चाहता है तो मात्र कुशल और बेहतर प्रबंधन के साथ नौसेना का गठन ही पर्याप्त नहीं है। इसके लिए लोगों में नौसैनिक परंपरा को विकसित करना होगा। समुद्री समस्याओं में निरंतर रुचि और भारत का भविष्य समंदर पर ही निर्भर करता है। इसका दृढ़ विश्वास भी दिलाना होगा।

हाल ही में भारत सरकार ने इस दिशा में व्यापक कदम उठाए हैं। 'मेक इन इंडिया' के नारे के तहत कई परमाणु चालित पनडुब्बियों, जहाजों एवं विशाल जलपोतों को स्वदेशी तकनीकी एवं विदेशी तकनीक के सहयोग से बनाने के करारों को नया रूप दिया। भारत सरकार तेजी के साथ कई विशाल बंदरगाहों को विकसित करने की दिशा में कदम उठा रही है तथा इन सबको तीव्रफ्रेट कोरीडोर से जोड़ रही है ताकि आवागमन की सुविधा सहज, सरल एवं सुगम हो। यही नहीं भारत सरकार ने कई विशाल नदियों में भी अंतर राज्यीय जल परिवहन को तेजी से विकसित करने की दिशा में कई नई परियोजनाओं को कार्यरूप दिया ताकि दो राज्यों/शहरों के बीच माल के आवागमन के सस्ते एवं प्रदूषण रहित विकल्प विकसित हों। पर्यटन जैसे उद्यमों को बढ़ावा मिले और व्यापक स्तर पर रोजगार के सुअवसर पैदा हों। हमारे देश में एक ओर जहां अडंमान–और–निकोबार एवं लक्षद्वीप जैसे हजारों द्वीप है वहीं गोवा, दमन–दीव, केरल, पुडुचेरी के साथ गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक के विशाल समुद्री तट, सुंदर वन जैसे रमणीय इलाके हैं, वही हमारे पास ब्रहमपुत्र, गंगा, नर्मदा, कावेरी, कृष्णा जैसी विशाल नदियां हैं। जहां सागर से लेकर विशाल नदियों तक मत्स्यपालन से लेकर पर्यटन एवं नौकायन उद्योग की असीम संभावनाएं एवं संपदाएं तथा विरासतें बांहे फैलाकर हमारा स्वागत करने के लिए तैयार बैठी हैं, बस हमें आगे हाथ बढ़ाकर थामने की जरूरत है और हमें अपनी विरासत को पहचान कर अपनाने एवं गले लगाने की जरूरत है।

मंकीपॉक्स

– अनुपम सैनी,
उप प्रबंधक

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने मंकीपॉक्स के लिए अपने उच्चतम स्तर के अलर्ट की आवाज उठाई है और वायरस को अंतरराष्ट्रीय चिंता (पीएचईआईसी) के सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में घोषित किया है। मंकीपॉक्स, मंकीपॉक्स वायरस के कारण होने वाला एक जूनोटिक रोग है, जो वायरस के एक ही परिवार से संबंधित है जो चेचक का कारण बनता है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार, यह रोग पश्चिम और मध्य अफ्रीका जैसे क्षेत्रों में स्थानिक है, लेकिन हाल ही में गैर–स्थानिक देशों से भी मामले सामने आए हैं। भारत में, दिल्ली के एक 34 वर्षीय व्यक्ति, जिसका विदेश यात्रा का कोई इतिहास नहीं है, ने रविवार को मंकीपॉक्स के लिए सकारात्मक परीक्षण किया, जिससे देश के मामलों की संख्या चार हो गई। पहले केरल में मंकीपॉक्स के तीन मामले सामने आए थे। दुर्लभ मंकीपॉक्स वायरस, आमतौर पर ज्यादातर मध्य और पश्चिम अफ्रीका तक ही सीमित है, इस साल असामान्य तरीके से फैल गया है ज्यादतर उन आबादी के बीच जो अतीत में कमजोर नहीं हुई हैं।

यहां जानिए मंकीपॉक्स और इससे होने वाले जोखिमों के बारे में हमे क्या जानना चाहिये –

मंकीपॉक्स क्या है?

मंकीपॉक्स एक वायरस है जो मध्य और पश्चिम अफ्रीका के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्रों के अनुसार, यह चेचक के समान लेकिन कम गंभीर है, जो संबंधित वायरस के कारण होता है। यह अनुसंधान के लिए रखे गए बंदरों में प्रकोप होने के बाद, 1958 में खोजा गया था, जबकि वैज्ञानिकों के बीच इस बात पर बहस बनी हुई है कि मंकीपॉक्स की यौन संप्रेषणीयता का वर्णन कैसे किया जाए, यौन संपर्क वायरस के वर्तमान प्रसार का एक चालक प्रतीत होता है।

मंकीपॉक्स के लक्षण क्या हैं?

मंकीपॉक्स एक दाने बनाता है जो सपाट लाल निशान से शुरू होता है जो ऊपर उठकर मवाद से भर जाता है। संक्रमित लोगों को बुखार और शरीर में दर्द भी होगा।लक्षण आमतौर पर छह से 13 दिनों में दिखाई देते हैं, लेकिन एक्सपोजर के बाद तीन सप्ताह तक का समय लग सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, वे दो से चार सप्ताह तक रह सकते हैं, गंभीर मामले बच्चों में अधिक होते हैं।

मंकीपॉक्स के लिए "कोई सिद्ध, सुरक्षित उपचार" नहीं है, लेकिन खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए चेचक के टीके और एंटीवायरल उपचार के उपयोग को मंजूरी दे दी है।

यह कितना संक्रामक है?

आमतौर पर यह बड़े प्रकोप का कारण नहीं बनता है, अधिकांश वर्षों में अफ्रीका के बाहर कुछ ही मामले हैं. संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे गंभीर प्रकोप 2003 में आया था, जब दर्जनों मामले संक्रमित कुत्तों और अन्य पालतू जानवरों के संपर्क से जुड़े थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, यह पहली बार था जब अफ्रीका के बाहर मंकीपॉक्स का प्रकोप हुआ था।

अफ्रीका में, 11 देशों ने 1970 के बाद से मामले दर्ज किए हैं, जब कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में 9 वर्षीय लड़के में पहला मानव मामला पहचाना गया था। 2017 के बाद से नाइजीरिया ने 500 से अधिक संदिग्ध मामलों और 200 पुष्ट मामलों के साथ एक बड़े प्रकोप का अनुभव किया है। वायरस शरीर के तरल पदार्थ, त्वचा के संपर्क और श्वसन बूंदों के माध्यम से फैल सकता है। इस वर्ष अधिकांश मामले युवा पुरुषों में हुए हैं। यूरोपियन सेंटर फॉर डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ने मई में कहा, "ज्यादातर मामले पेरी–जेनिटल क्षेत्र पर

घावों के साथ प्रस्तुत किए जाते हैं, जो दर्शाता है कि यौन गतिविधियों के दौरान निकट शारीरिक संपर्क के दौरान संचरण की संभावना होती है।"

वर्तमान प्रकोप अलग कैसे है?

यह पहली बार है कि यूरोप में पश्चिम या मध्य अफ्रीका के लिंक के बिना संचरण की श्रृंखला की सूचना मिली थी। एजेंसी ने यह भी कहा कि इस साल

के मामलों में पहले मामले शामिल हैं जो पुरुषों के साथ यौन संबंध रखने वाले पुरुषों में सामने आए हैं।

क्या मुझे चिंतित होना चाहिए?

यूरोपियन सेंटर फॉर डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के अनुसार यौन संपर्क के दौरान वायरस फैलने की संभावना अधिक है, लेकिन निकट संपर्क के अन्य रूपों से संचरण का जोखिम कम है, लक्षण आम तौर पर हल्के होते हैं, और अधिकांश लोग हफ्तों के भीतर ठीक हो जाते हैं, लेकिन नाइजीरिया में वायरस की मृत्यु दर लगभग 3.3 प्रतिशत है, बच्चों, युवा वयस्कों और प्रतिरक्षात्मक लोगों के साथ सबसे अधिक अतिसंवेदनशील होते हैं।

2003 में अमेरिका में मंकीपॉक्स का पिछला प्रकोप केवल 71 अमेरिकियों को संक्रमित करने के बाद समाप्त हुआ। लेकिन विशेषज्ञों को डर है कि मंकीपॉक्स अब सिफलिस और एच.आई.वी जैसे यौन संचारित संक्रमण का रूप ले सकता है।

एहतियात

- मंकीपॉक्स वायरस के संचरण को रोकने के लिए, अपर्याप्त रूप से पका हुआ मांस और अन्य पशु उत्पादों को खाने से बचना चाहिए।
- संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने से बचें।
- वायरस से संक्रमित लोगों से शारीरिक दूरी बनाकर रखनी चाहिए।
- संक्रमित व्यक्ति के बिस्तर का उपयोग न करें जो वायरस से दूषित हो सकता है

डब्ल्यूएचओ के अनुसार, मंकीपॉक्स चेचक की तरह संक्रामक नहीं है और इससे गंभीर बीमारी नहीं होती है। वायरस की ऊष्मायन अवधि या संक्रमण से लक्षणों की शुरुआत तक की अवधि 6 से 13 दिनों तक होती है। हालांकि, यह कभी–कभी 5 से 21 दिनों के बीच हो सकता है। वायरस से संक्रमित व्यक्ति को बुखार, तेज सिरदर्द, पीठ दर्द, मायलगिया (मांसपेशियों में दर्द), तीव्र अस्टेनिया (ऊर्जा की कमी) और लिम्फैडेनोपैथी या लिम्फ नोड्स की सूजन का अनुभव हो सकता है। ये लक्षण पांच दिनों तक रह सकते हैं।

त्वचा का फटना आमतौर पर बुखार आने के एक से तीन दिनों के बाद होता है। चेहरे और शरीर के अंगों पर चकत्ते अधिक दिखाई देते हैं। मंकीपॉक्स के 95 प्रतिशत मामलों में, चकत्ते चेहरे को प्रभावित करते हैं जबकि 75 प्रतिशत मामलों में यह हाथ की हथेलियों और पैरों के तलवों को प्रभावित करते हैं।

दाने मैक्यूल्स या घावों से एक सपाट आधार के साथ पपल्स या थोड़े उभरे

हुए फर्म घावों तक विकसित हो सकते हैं। यह तब स्पष्ट तरल पदार्थ के साथ पुटिकाओं या घावों में विकसित होता है और बाद में पीले रंग के तरल पदार्थ से भरे पस्ट्यूल या घावों में विकसित होता है। दाने अंततः सूख जाते हैं और गिर जाते हैं।

हिंदी की सार्वभौमिकता

– धीरज कुमार,
प्रबंधक

धार्मिक, दार्शनिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से भारत एक पुरातन देश है, किंतु राजनीतिक दृष्टि से यह एक आधुनिक राष्ट्र है जो इंडिया के रूप में विकास एक नए स्वरूप में 17वीं शती में ब्रिटेन के शासनकाल में खड़ा हुआ। ब्रितानिया शासन की ज्यादतियों और अपने वजूद के लिए हुए संघर्ष के रूप में स्वतंत्रता–संग्राम के संदर्भ में हिंदी भाषा एवं अन्य प्रादेशिक भारतीय भाषाओं ने राष्ट्रीय स्वाभिमान और आज़ादी के बिगुल का शंखनाद घर–घर तक पहुँचाया भारतीय भाषाओं के द्वारा स्वदेश प्रेम और स्वराज के भाव की मानसिकता को सांस्कृतिक और राजनीतिक आयाम दिया। इन सभी भारतीय भाषाओं में हिंदी भाषा सर्वोपरि थी। वर्तमान परिवेश में राष्ट्रीय अस्मिता, राष्ट्रीय अभिव्यक्ति और राष्ट्रीय स्वशासन के साथ अंतरंग और अविच्छिन्न रूप से जोड़ दिया।

हिंदी विश्व भर में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। भारत में बमुश्किल पाँच प्रतिशत लोग अंग्रेजी समझते हैं। कुछ लोगों का मानना है यह प्रतिशत दो से ज्यादा नहीं है। सवा सौ करोड़ की आबादी वाले देश में दो प्रतिशत जानने वालों की संख्या 25 करोड़ होती है और अंग्रेजी प्रकाशकों के लिए यही बहुत है। यही दो प्रतिशत बाकी भाषाओं पर अपना प्रभुत्व जमाए

हुए हैं। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं पर अंग्रेजी के इस दबदबे का कारण जहां भारतीयों की गुलाम मानसिकता है वहीं उससे भी ज्यादा भारतीय विचारों को लगातार दबाना और चंद कुलीनों के आधिपत्य को बरकरार रखना है।

आंकड़ों के हिसाब से हिंदी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी भाषा मानी जाती है जबकि हकीकत यह है कि अंग्रेजी के बाद हिंदी ही विश्व की दूसरे नंबर पर सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। चीनी भाषा को दूसरे स्थान पर माना गया है पर शुद्ध चीनी भाषा जानने वालों की संख्या हिंदी जानने वालों से काफी कम हैं। एक ओर जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेशियों में हिंदी भाषा सीखने और जानने वालों की संख्या में गुणात्मक वृद्धि हो रही हैं। वहीं दूसरी ओर आश्चर्य जनक बात यह है कि इसके ठीक विपरीत हमारे अपने देश में बच्चों को पहली कक्षा से ही अंग्रेजी एवं हिंदी का क ख ग एवं अंग्रेजी का एबीसी सिखाया जाता है। अधिकतर अभिभावक हिंदी के नाम पर नाक–भौंह सिकोड़ना शुरू कर देते हैं।

भारत में अपनी भाषा की दुर्दशा के लिए सबसे पहले तो हमारा भाषाई दृष्टिकोण जिम्मेदार है जिसके तहत हमने अंग्रेजी को एक संभ्रांत वर्ग की भाषा बना रखा है। हम अंग्रेजी के प्रति दुर्भावना न रखें, पर अपनी राष्ट्रभाषा को उसका उचित सम्मान तो दें जिसकी वह हकदार हैं। जवाहरलाल नेहरू ने साठ साल पहले यह बात कही थी कि मैं अंग्रेजी का इसलिए विरोधी हूँ क्योंकि अंग्रेजी जानने वाला व्यक्ति अपने को दूसरों से बड़ा समझने लगता है और उसकी दूसरी क्लास–सी बन जाती है। यही इलीट क्लास होती है। 'बहुत से परिवारों में बच्चे अपने माँ बाप से अंग्रेजी में बात करते हैं और नौकर या आया से हिंदी में क्योंकि उन्हें यह लगता है कि यह उसी कामगार तबके की भाषा है। इसका एक दूसरा अहम कारण यह भी है कि बच्चों को नर्सरी स्कूल में भेजने से पहले भी यह जरूरी हो जाता है कि इंटरव्यू में पूछे गए अंग्रेजी सवालों का वे सही उत्तर दे सकें, एकाध नर्सरी राइम्स सुना सकें। माता–पिता उन्हें इस इंटरव्यू के लिए तैयार करने में अपनी सारी ऊर्जा समाप्त कर डालते हैं।

यहाँ सबसे बड़ी बाधा हिंदी के प्रति तथाकथित कुलीनों की नफरत है। आप बंगाली, तमिल या गुजराती जैसी भाषाओं पर नाज कर सकते हैं पर हिंदी पर नहीं। क्योंकि कुलीनों की प्यारी अंग्रेजी को सबसे ज्यादा खतरा हिंदी से है। भारत में अंग्रेजी की मौजूदा स्थिति के बदौलत ही उन्हें इतनी ताकत मिली है और वे इसे इतनी आसानी से नहीं खोना चाहते। भारत के साहित्य में विशाल लेखकों के उपन्यास, कहानी, गद्य एवं पद्य आदि यह प्रमाणित करता है। हिंदी

अत्यंत समृद्ध भाषा है। आज भी अनेक विद्वान एवं लेखकगण हिंदी के उत्थान हेतु इस दिशा में प्रयत्नशील हैं।

जब संविधान पारित हुआ तब यह आशा और प्रत्याशा जागृत थी कि भारतीय भाषाओं का विस्तार होगा, राजभाषा हिंदी के प्रयोग में द्रुत गति से प्रगति होगी और संपर्क भाषा के रूप में हिंदी राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित होगी।

संविधान के अनुच्छेद 350 में निर्दिष्ट है कि किसी शिकायत के निवारण के लिए प्रत्येक व्यक्ति संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में प्रतिवेदन देने का अधिकार होगा। 1956 में अनुच्छेद 350 क संविधान में अंतः स्थापित हुआ और यह निर्दिष्ट हुआ कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास किया जाए। अनुच्छेद 344 में राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति गठित करने का निर्देश दिया गया। प्रयोजन यह था कि संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग हो, संघ और राज्यों के बीच राजभाषा का प्रयोग बढ़े, संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को सीमित या समाप्त किया जाए। हिंदी भाषा के विकास के लिए यह विशेष निर्देश अनुच्छेद 351 में दिया गया कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, जिससे वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके एवं उसका शब्द भंडार समृद्ध और संवर्धित हो।

साहित्य की प्रासंगिकता

साहित्य का बोध दृष्टि, एक जुझारू आत्मविश्वास देता है। आज जब हर विषय में विविधताएँ बढ़ रही हैं, तो हिंदी साहित्य में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र–छात्राओं के पास साहित्य में भी भिन्नतापूर्ण चुनाव की गुंजाइश भी होनी चाहिए – यथाः पत्रकारिता, अनुवाद, पटकथा लेखन, विज्ञापन कॉपीराइटिंग, सामान्य ज्ञान, रचनात्मक लेखन आदि इन सब को भी साहित्य की शाखाओं में शामिल किया जाना चाहिये। कबीर, निराला, प्रेमचंद, यशपाल, मुक्तिबोध, धूमिल आदि की रचनाओं को एक नए दृष्टिकोण से पढ़ाए जाने चाहिये जिससे भाव–सौंदर्य या भाषागत सौंदर्य के साथ–साथ इनके कथ्य के माध्यम से जीवन की सच्चाइयों से छात्रों का साक्षात्कार हो सके और उन्हें स्वयं को अभिव्यक्त करने के गुर सिखाने की कार्यशालाएँ आयोजित की जानी चाहिये।

हिंदी के पाठ्यक्रमों में और पढ़ाने के तरीकों में अगर कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं किए गए तो हिंदी की एकेडेमिक डिग्री धारक भी किसी भी दूसरे व्यवसाय की तरह केवल प्राध्यापकी को ही रोजी–रोटी कमाने का जरिया समझते रहेंगे। इस प्रकार से उनकी अपनी भाषा के प्रति प्रतिबद्धता और संलग्नता सिरे से गायब दिखाई देगी और हम हर साल केवल 14 सितंबर को साल में एक बार हिंदी को लेकर सामूहिक विलाप करते दिखाई देंगे केवल सहस्त्राब्दी उत्सवों के आयोजन में सरकारी अनुदान पर सम्मानों के मैडल बाँटते रह जाएगें।

उपसंहार

अब समय आ गया है कि भारत सरकार द्वारा हिंदी के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को सुधारने के लिए प्रासंगिक एवं प्रभावी कदम उठाये। देश के सभी सरकारी एवं निजी विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रमों के पठन–पाठन की व्यवस्था हिंदी माध्यम में भी की जाये जिससे विद्यार्थियों को अपने शैक्षिक कैरियर के बाद व्यावसायिक संभावनाओं की तलाश में केवल विदेशों में ना जाना पढ़े। आंकड़े बताते हैं कि आज भी भारतीय प्रशासनिक सेवा में परीक्षा देने वालों की संख्या अंग्रेजी के बाद में हिंदी भाषियों की है।

यदि आज शिक्षा के सभी स्तरों पर हिंदी को मजबूत नहीं किया गया तो आने वाले समय में हमारे विद्यार्थी दुनिया में कमजोर साबित होंगे क्योंकि भारत में अंग्रेजी बोलने वालों के आंकड़े अत्यल्प है एवं जिस भाषा पर आपका अधिकार होता है उस भाषा के माध्यम से अर्जित शिक्षा एवं उसका उपयोग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आपको कामयाबी प्रदान करता है।

> “हिंदी हमारे राष्ट्र की अभिव्यक्ति का सरलतम स्रोत है।”
>
> – सुमित्रानंदन पंत

भारत के टाइगर रिजर्व (बाघ अभयारण्य)

– डॉ. जी.एन. सोमदेव (पूर्व उप महाप्रबंधक)
राष्ट्रीय आवास बैंक

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा 2018 में प्रकाशित विवरण के अनुसार देश में 2,967 बाघ हैं जिसमें से सबसे अधिक मध्य प्रदेश में है। मध्यप्रदेश में 526 बाघों की गिनती की गई। कर्नाटक 524, उत्तराखंड 442, महाराष्ट्र 312 तथा तमिलनाडु में 264 बाघों की गिनती की गई। वर्तमान में भारत में 53 टाइगर रिजर्व है। मध्यप्रदेश में कान्हा, बांधवगढ़, इंदिराप्रियदर्शनी पेंच, संजय दुबरी, पन्ना, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र में मेलघाट, बोर, टाडोबा, नेवेगांव, सह्याद्री तथा पेंच टाइगर रिजर्व। दरअसल पेंच टाइगर रिजर्व दो भागों में दो राज्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में विभक्त है। कर्नाटक में नागराहोल, बिलिगिरी, भद्रा, डांडेली, बांदीपुर, असम में मानस, नोमरी, ओरान, काजिरंगा, तामिलनाडु में अन्नामलाई, मुदुसलाई सत्मगलम, कलाकड मुदनशरई टाइगर रिजर्व, अरूणाचल में पक्के, मनामदाफा, कमलांग, छत्तीसगढ़ में अंचन्मार, इंद्रावती, उदनती गुरू घासीदास टाइगर रिजर्व, राजस्थान में मुकदरा, रणथंभौर, सरिस्का, रामगढ़ विषधारी, उत्तर प्रदेश में दुधवा, पीलीभील, अमानगढ़, केरल में पेरियार, पेरम्बीकुल्म, उड़ीसा में सिमलीपाल, सत्कोसिया, उत्तराखंड में जिम कार्बेट, राजाजी, तेलंगाना में कावल, अमराबाद, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, बक्सा, आंध्र प्रदेश में नागार्जुना सागर, मिजोरम में इम्पा बिहार में वाल्मिकी, झारखंड में पलामू टाइगर रिजर्व है। भारत का पहला टाइगर रिजर्व जिम कार्बेट है। इसे 01 अप्रैल, 1973 को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था।

पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के सिवनी तथा छिंदवाड़ा एवं महाराष्ट्र के नागपुर जिले में स्थित है। इसके क्षेत्रफल में 299 वर्ग किलोमीटर प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क और मौगली पेंच अभयारण्य द्वारा सम्मिलित है। इस टाइगर रिजर्व में 464 वर्ग किलोमीटर बफर क्षेत्र है। यह टाइगर रिजर्व भारत में राष्ट्रीय जानवरों का निवास स्थान है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान को मोगली लैंड कहा जाता है। रूडयार्ड किपलिंग की भारत के जंगलों पर आधारित जंगल कथाएं यहीं से प्रेरित मानी जाती है। "द जंगल बुक" जिसका प्रमुख पात्र मोगली है का इस जंगल से संबंध है। पेंच नदी के नाम पर ही इस टाइगर रिजर्व का नाम पेंच टाइगर रिजर्व हुआ। देश का सर्वश्रेष्ठ टाइगर रिजर्व होने का गौरव इसे प्राप्त है। इसे 1993 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र सीमा पर स्थित इस अभयारण्य में लगभग 210 प्रजातियों के पक्षी भी है। इसी कारण यह टाइगर रिजर्व देशी–विदेशी पर्यटकों को सबसे ज्यादा आकर्षित करता है। नागपुर से 82 किलोमीटर जबलपुर मार्ग पर स्थित टुरीया गेट व सिवनी से 20 किलोमीटर पर स्थित कर्माझीरी सिवनी जिले के प्रमुख प्रवेश द्वार है। मध्यप्रदेश छिंदवाड़ा जिले में स्थित प्रवेश द्वार का नाम जमतारा है। सबसे ज्यादा पर्यटक टुरीया गेट से प्रवेश लेते है। कुल 6 गेट है जोकि मध्य प्रदेश साइड कोर झोन में रूखंड, खवासा और तेलिया गेट है। महाराष्ट्र साइड 6 गेट है। जिसमें सिल्लारी एवं खुरसापुर प्रमुख है। पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश साइड का ऑफिस सिवनी में जहां 076925–223794 पर डायल कर अधिक जानकारी ली जा सकती है। यहां फील्ड डायरेक्टर का कार्यालय है।

वन्यजीव अभयारण्य

सरकार द्वारा पशु विहार तथा पशु वन विहार क्षेत्र जो संरक्षित है, को वन्यजीव अभयारण्य कहा जाता है। उसका उद्देश्य विभिन्न प्रकार के पशुदृपक्षी और वन संपदा को सुरक्षित रखना तथा जानवरों को सुखद जीवन देना है। भारत सरकार तथा राज्य सरकारों ने मिलकर पशु पक्षियों को सुरक्षित रखने हेतु अनेक वन्यजीव अभयारण्यों की स्थापना की। वर्तमान में कुल 566 वन्यजीव अभयारण्य है। इनमें से अनेक को यूनेस्कों द्वारा राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया गया है। भारत के 25 महत्वपूर्ण अभयारण्यों में काराकोरम वन्यजीव अभयारण्य (जम्मू कश्मीर), भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य (गोवा), चिनार व वन्यजीव अभयारण्य (केरल) दांदेली (कर्नाटक), भद्रा (कर्नाटक) रोल्पाडु (आंध्र प्रदेश) कोयना (महाराष्ट्र), लमोर पिंगला (छत्तीसगढ़), सेचल (पश्चिम बंगाल), मानस (असम), चिल्का (उड़ीसा), इंदिरा गांधी (तामिलनाडु) एतुर्नगरम

(तेलंगाना), गोविंद (उत्तराखंड), नौरादेही (मध्यप्रदेश), लैंडफॉल द्वीप (अंडमान निकोबार), ताडोबा (महाराष्ट्र), कच्छ रेगिस्तान (गुजरात), चक्रशिला (असम), गिर (गुजरात), नागरहोल राजीव गांधी (कर्नाटक), भारतीय गधा वन्यजीव अभयारण्य (गुजरात) तथा पेरियार वन्यजीव अभयारण्य (केरल) आदि।

पेंच नेशनल पार्क में जिन प्रजातियों को जाना जाता है उनमें पीफोल, रेड जंगल फोल, कोपीजेंट क्रीमसन, बेस्ट डबारबेट, रेड वेंटेड बुलबुल, रॉकेट टेल डोंगो, मेंगपाई राबिन, विह्स्टल टील, विनेरल सोवेला तथा ब्राहमनी हक प्रमुख है। देशभर में विलुप्त होते जा रहे गिद्ध भी यहां पाये जाते है। यहां प्रदेश का राजपक्षी दूधराज भी दिख जाता है। इस राष्ट्रीय उद्यान के बीचोबीच टोटलाडोह नामक गहरी झील है जो वन्यजीवों को जलापूर्ति करती है यह झील बिजली उत्पादन तथा सिंचाई के लिए भी काम आती है जिसका उपयोग मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र मिलकर करते है। विख्यात विशेषज्ञों का मानना है कि प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से पेंच टाइगर उद्यान बेहतर स्थिति में है। इस उद्यान में बाघ, तेंदुएं, भेड़िये, जंगली भैसे, हिरन, बारहसिंगा, मोर, काले हिरन आदि पाए जाते हैं। प्रसिद्ध 'द जंगल बुक' रूडयार्ड किपलिंग के किरदार 'मोगली' और ग़ुसैन 'शेरखान' इस साहसिक स्थान के अभिन्न अंग रहे है। पेंच बाघ अभ्यारण अकेला नहीं तो साथ में इंदिरा प्रिय-दर्शिनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान तथा पेंच मोगली अभ्यारण शामिल है। पेंच वानिकी कन्हान नदी पार्क के बीचोबीच बहती है।

प्रशासनिक रूप से इस टाइगर रिजर्व को तीन वन रेंज में विभक्त किया गया है– कर्माझिरी, गुमतारा और कुरई, नौ वन मंडल– अलीकट्टा, दूधगांव, गुमतारा, कामरीत, करमझिरी, कुरई, मुरेर, रूखंड और पुलपुलडोह, 42 फॉरेस्ट बिट्स और 162 फॉरेस्ट कम्पार्टमेंट। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 (पुराना 7) रिजर्व की सीमा के साथ–साथ नागपुर जबलपुर के बीच लगभग 10 किलोमीटर चलता है। 1989 से उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार यह क्षेत्र विविधता से परिपूर्ण रहा है। इस पर अनेक पुस्तकें, शोधग्रंथ, लेखक तथा प्रलेख उपलब्ध है जिस पर और अधिक शोध करने की जरूरत है।

सम्पूर्ण पेंच क्षेत्र में सागौन (टीक) के जंगलों की भरमार है। इनके बिच ही अनेक वन्यजीव निवास करते है तथा सम्पूर्ण पेंच क्षेत्र में विचरण करते है। परन्तु इन सभी टाइगर रिजर्व पर अवैध शिकारियों की बुरी नजर रहती है। यह एक कानूनी तथा मानवीय मुद्दा है। वन विभाग का अमला अपनी पुरी मुस्तैदी के साथ इस की रक्षा करता है मगर धोखेबाज अपनी कुचाल से बाज नहीं आते। पेंच टाइगर रिजर्व के आसपास भी संगठित शिकार गिरोह सक्रिय है और दुर्घटनाएं होती रहती है। निरीह प्राणी मारे जाते है।

पेंच क्षेत्र तुरिया गेट के पास अनेक गेस्ट हाउस है जिसमें सरकारी वन्य अमले के रेस्ट हाउस भी है। सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध है तथा सफारी की व्यवस्था है जिसे इंटरनेट से बुक कराया जा सकता है।

हाल ही में कुछ इस तरह का विचार चल रहा है कि जंगल भ्रमण तथा बाघ सफारी का आनंद लेने आए पर्यटकों के लिए कुछ नई सुविधायें एवं स्थल विकसित किए जाए। जैसे सफारी का आनंद लेने के लिए एक दिन काफी है। यदि सफारी के साथ–साथ आयुर्वेदिक जड़ीबूटियों से युक्त उद्यान, स्थानीय जिंसो का बाजार विकसित किया जाए तो पर्यटक एक दिन की जगह एक–दो दिन और रूक सकता है। प्राइवेट वन विकसित करने, नए प्रवेश द्वार (गेट) खोलने आदि पर विचार चल रहा है। सबसे बड़ी बात स्थानीय निवासियों को उचित मुआवजा और रोजगार या नौकरी देकर बफर ओन से अन्यत्र बसाना। इस दिशा में भी राज्य सरकार ने अच्छा काम किया है।

केंद्र सरकार के दिशा निर्देशानुसार सारे बाघ रिजर्व या उद्यान वन विभाग द्वारा शासित एवं संचालित किये जाते है। चूंकि वन विभाग के अंतर्गत अब कई प्रकार के शोध, सुरक्षा एवं चौकसी तंत्र विकसित हुए है तो जंगलों के रखरखाव में उनकी भूमिका रहती है। वन विभाग की अपनी फौज वानिकी सुरक्षा अमला भी है जहाँ फॉरेस्ट गार्ड से लेकर रेंजर फॉरेस्टर से सब वर्दीधारी बल है। उनका प्रमुख कार्य वनसंपदा की रक्षा करना है।

राज्य सरकार को प्राप्त निर्देशों के तहत प्रत्येक वनजीव अभ्यारण एवं टाइगर रिजर्व हेतु एक प्रशासनिक निगरानी समिति नामंकित करने की आवश्यकता होती है। यह समिति वन विभाग से परे होती है। स्थानीय संभागीय आयुक्त (कमिश्नर) इस समिति के अध्यक्ष होते है। कलेक्टर तथा पर्यावरण एवं गैर सरकारी संस्था (एनजीओ) के प्रतिनिधि भी इस समिति के सदस्य होते है जिसमें सभी जिम्मेदार अधिकारी उपस्थित होते है। इसमें जन–प्रतिनिधि नहीं होते क्योंकि यह एक प्रशासनिक समिति होती है। यह एक हाईपावर समिति है जिसे टाइगर रिजर्व क्षेत्र में सतत निगरानी रखने के अधिकार होते है। यह निगरानी समिति एक मार्गदर्शक, निरीक्षक, विनियामक एवं नियंत्रक का कार्य करती है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक टाइगर रिजर्व में एक स्थानीय सलाहकार समिति भी होती है जिसमें वन विभाग, प्रशासनिक विभाग एवं स्थानीय जन–प्रतिनिधी नामांकित होते है। इस समिति की बैठक भी निगरानी समिति के साथ होती है तथापि दोनों समितियों का आस्तित्व पृथक–पृथक होता है। यह समितियाँ 3 वर्ष के लिए गठित की जाती है।

(लेखक पेंच टाइगर रिजर्व हेतु म.प्र. राज्य सरकार द्वारा नामित निगरानी समिति के सदस्य है)

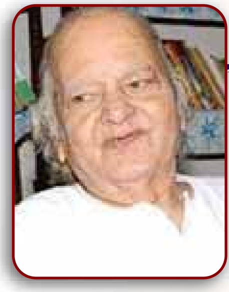

बहादुर

– स्वर्गीय श्री अमरकांत
जन्मतिथि 01 जुलाई, 1925

सहसा मैं काफी गंभीर था, जैसा कि उस व्यक्ति को हो जाना चाहिए, जिस पर एक भारी दायित्व आ गया हो। वह सामने खड़ा था और आँखों को बुरी तरह मटका रहा था। बारह–तेरह वर्ष की उम्र। ठिगना शरीर, गोरा रंग और चपटा मुँह। वह सफेद नेकर, आधी बाँह की ही सफेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहने था। उसके गले में स्काउटों की तरह एक रूमाल बँधा था। उसको घेरकर परिवार के अन्य लोग खड़े थे। निर्मला चमकती दृष्टि से कभी लड़के को देखती और कभी मुझको और अपने भाई को। निश्चय ही वह पंच बराबर हो गई थी।

उसको लेकर मेरे साले साहब आए थे। नौकर रखना कई कारणों से बहुत जरूरी हो गया था। मेरे सभी भाई और रिश्तेदार अच्छे ओहदों पर थे और उन सभी के यहाँ नौकर थे। मैं जब बहन की शादी में घर गया तो वहाँ नौकरों का सुख देखा। मेरी दोनों भाभियाँ रानी की तरह बैठकर चारपाइयाँ तोड़ती थीं, जबकि निर्मला को सबेरे से लेकर रात तक खटना पड़ता था। मैं ईर्ष्या से जल गया। इसके बाद नौकरी पर वापस आया तो निर्मला दोनों जून 'नौकर–चाकर' की माला जपने लगी। उसकी तरह अभागिन और दुखिया स्त्री और भी कोई इस दुनिया में होगी? वे लोग दूसरे होते हैं, जिनके भाग्य में नौकर का सुख होता है...

पहले साले साहब से असाधारण विस्तार से उसका किस्सा सुनना पड़ा। वह एक नेपाली था, जिसका गाँव नेपाल और बिहार की सीमा पर था। उसका बाप युद्ध में मारा गया था और उसकी माँ सारे परिवार का भरण–पोषण करती थी। माँ उसकी बड़ी गुस्सैल थी और उसको बहुत मारती थी। माँ चाहती थी कि लड़का घर के काम–धाम में हाथ बटाए, जब कि वह पहाड़ या जंगलों में निकल जाता और पेड़ों पर चढ़कर चिड़ियों के घोंसलों में हाथ डालकर उनके बच्चे पकड़ता या फल तोड़–तोड़कर खाता। कभी–कभी वह पशुओं को चराने के लिए ले जाता था। उसने एक बार उस भैंस को बहुत मारा, जिसको उसकी माँ बहुत प्यार करती थी, और इसीलिए उससे वह बहुत चिढ़ता था। मार खाकर भैंस भागी–भागी उसकी माँ के पास चली गई, जो कुछ दूरी पर एक खेत में काम कर रही थी। माँ का माथा ठनका। बेचारा बेजबान जानवर चरना छोड़कर यहाँ क्यों आएगा? जरूर लौंडे ने उसको काफी मारा है। वह गुस्से–से पागल हो गई। जब लड़का आया तो माँ ने भैंस की मार का काल्पनिक अनुमान करके एक डंडे से उसकी दुगुनी पिटाई की और उसको वहीं कराहता हुआ छोड़कर घर लौट आई। लड़के का मन माँ से फट गया और वह रात भर जंगल में छिपा रहा। जब सबेरा होने को आया तो वह घर पहुँचा और किसी तरह अंदर चोरी–चुपके घुस गया। फिर उसने घी की हंडिया में हाथ डाल कर माँ के रखे रुपयों में से दो रुपये निकाल लिए। अंत में नौ–दो ग्यारह हो गया। वहाँ से छह मील की दूरी पर बस स्टेशन था, जहाँ गोरखपुर जाने वाली बस मिलती थी।

'तुम्हारा नाम क्या है, जी?' मैंने पूछा।

'दिल बहादुर, साहब।'

उसके स्वर में एक मीठी झनझनाहट थी। मुझे ठीक–ठीक याद नहीं कि मैंने उसको क्या हिदायतें दी थीं। शायद यह कि शरारतें छोड़कर ढंग से काम करे और उस घर को अपना घर समझे। इस घर में नौकर–चाकर को बहुत प्यार और इज्जत से रखा जाता है। अगर वह वहाँ रह गया तो ढंग–शऊर सीख जाएगा, घर के और लड़कों की तरह पढ़–लिख जाएगा और उसकी जिंदगी सुधर जाएगी। निर्मला ने उसी समय कुछ व्यावहारिक उपदेश दे डाले थे। इस मुहल्ले में बहुत तुच्छ लोग रहते हैं, वह न किसी के यहाँ जाए और न किसी का काम करे। कोई बाजार से कुछ लाने को कहे तो वह 'अभी आता हूँ', कहकर अंदर खिसक जाए। उसको घर के सभी लोगों से सम्मान और तमीज से बोलना चाहिए। और भी बहुत–सी बातें। अंत में निर्मला ने बहुत ही उदारतापूर्वक लड़के के नाम में से 'दिल' शब्द उड़ा दिया।

परंतु बहादुर बहुत ही हँसमुख और मेहनती निकला। उसकी वजह से कुछ दिनों तक हमारे घर में वैसा ही उत्साहपूर्ण वातावरण छाया रहा, जैसा कि प्रथम बार तोता–मैना या पिल्ला पालने पर होता है। सबेरे–सबेरे ही मुहल्ले के छोटे–छोटे लड़के घर के अंदर आकर खड़े हो जाते और उसको देखकर हँसते या तरह–तरह के प्रश्न करते। 'ऐ, तुम लोग छिपकली को क्या कहते हो?' 'ऐ, तुमने शेर देखा है?' ऐसी ही बातें। उससे पहाड़ी गाने की फरमाइशें की जातीं। घर के लोग भी उससे इसी प्रकार की छेड़खानियाँ करते थे। वह जितना उत्तर देता था उससे अधिक हँसता था। सबको उसके खाने और नाश्ते की बड़ी फिक्र रहती।

निर्मला आँगन में खड़ी होकर पड़ोसियों को सुनाते हुए कहती थी दृ 'बहादुर

आकर नाश्ता क्यों नहीं कर लेते? मैं दूसरी औरतों की तरह नहीं हूँ, जो नौकर–चाकर को तलती–भूनती हैं। मैं तो नौकर–चाकर को अपने बच्चे की तरह रखती हूँ। उन्होंने तो साफ–साफ कह दिया है कि सौ–डेढ़ सौ महीनाबारी उस पर भले ही खर्च हो जाय, पर तकलीफ, उसको जरा भी नहीं होनी चाहिए। एक नेकर–कमीज तो उसी रोज लाए थे... और भी कपड़े बन रहे हैं...'

धीरे–धीरे वह घर के सारे काम करने लगा। सबेरे ही उठकर वह बाहर नीम के पेड़ से दातून तोड़ लाता था। वह हाथ का सहारा लिए बिना कुछ दूर तक तने पर दौड़ते हुए चढ़ जाता। मिनट भर में वह पेड़ की पुलई पर नजर आता। निर्मला छाती पीटकर कहती थी दृ अरे रीछ–बंदर की जात, कहीं गिर गया तो बड़ा बुरा होगा। वह घर की सफाई करता, कमरों में पोंछा लगाता, अँगीठी जलाता, चाय बनाता और पिलाता। दोपहर में कपड़े धोता और बर्तन मलता। वह रसोई बनाने की भी ज़िद्द करता, पर निर्मला स्वयं सब्जी और रोटी बनाती। निर्मला की उसको बहुत फिक्र रहती थी। उसकी उन दिनों तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसलिए वह कुछ दवा ले रही थी। बहादुर उसको कोई काम करते देखकर कहता था – 'माता जी, मेहनत न करो, तकलीफ बड़ जाएगा।' वह कोई भी काम करता होता, समय होने पर हाथ धोकर भालू की तरह दौड़ता हुआ कमरे में जाता और दवाई का डिब्बा निर्मला के सामने–लाकर रख देता।

जब मैं शाम को दफ़्तर से आता तो घर के सभी लोग मेरे पास आकर दिन भर के अपने अनुभव सुनाते थे। बाद में वह भी आता था। वह एक बार मेरी ओर देखकर सिर झुका लेता और धीरे–धीरे मुस्कराने लगता। वह कोई बहुत ही मामूली घटना की रिपोर्ट देता – 'बाबू जी, बहिन जी का एक सहेली आया था।' या 'बाबू जी, भैया सिनेमा गया था।' इसके बाद वह इस तरह हँसने लगता था, गोया बहुत ही मजेदार बात कह दी हो। उसकी हँसी बड़ी कोमल और मीठी थी, जैसे फूल की पंखुड़ियाँ बिखर गई हों। मैं उससे बातचीत करना चाहता था, पर ऐसी इच्छा रहते हुए भी मैं जान–बूझकर बहुत गंभीर हो जाता था और दूसरी ओर देखने लगता था।

निर्मला कभी–कभी उससे पूछती थी – बहादुर, तुमको अपनी माँ की याद आती है?

'नहीं।'

'क्यों?'

'वह मारता क्यों था?' इतना कहकर वह खूब हँसता था, जैसे मार खाना खुशी की बात हो।

'तब तुम अपना पैसा माँ के पास कैसे भेजने को कहते हो?'

'माँ–बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है' वह और भी हँसता था।

निर्मला ने उसको एक फटी–पुरानी दरी दे दी थी। घर से वह एक चादर भी ले आया था। रात को काम–धाम करने के बाद वह भीतर के बरामदे में एक टूटी हुई बँसखट पर अपना बिस्तर बिछाता था। वह बिस्तरे पर बैठ जाता और अपनी जेब में से कपड़े की एक गोल–सी नेपाली टोपी निकालकर पहन लेता, जो बाईं ओर काफी झुकी रहती थी। फिर वह एक छोटा–सा आईना निकालकर बंदर की तरह उसमें अपना मुँह देखता था। वह बहुत ही प्रसन्न नजर आता था। इसके बाद कुछ और भी चीजें उसकी जेब से निकलकर उसके बिस्तरे पर सज जाती थीं – कुछ गोलियाँ, पुराने ताश की एक गड्डी, कुछ खूबसूरत पत्थर के टुकड़े, ब्लेड, कागज की नावें। वह कुछ देर तक उनसे खेलता था। उसके बाद वह धीमे–धीमे स्वर में गुनगुनाने लगता था। उन पहाड़ी गानों का अर्थ हम समझ नहीं पाते थे, पर उनकी मीठी उदासी सारे घर में फैल जाती, जैसे कोई पहाड़ की निर्जनता में अपने किसी बिछुड़े हुए साथी को बुला रहा हो।

दिन मजे में बीतने लगे। बरसात आ गई थी। पानी रुकता था और बरसता था। मैं अपने को बहुत ऊँचा महसूस करने लगा था। अपने परिवार और संबंधियों के बड़प्पन तथा शान–बान पर मुझे सदा गर्व रहा है। अब मैं मुहल्ले के लोगों को पहले से भी तुच्छ समझने लगा। मैं किसी से सीधे मुँह बात नहीं करता। किसी की ओर ठीक से देखता भी नहीं था। दूसरे के बच्चों को मामूली–सी शरारत पर डाँट–डपट देता। कई बार पड़ोसियों को सुना चुका था दृ जिसके पास कलेजा है, वही आजकल नौकर रख सकता है। घर के सवांग की तरह रहता है। निर्मला भी सारे मुहल्ले में शुभ सूचना दे आई थी दृ आधी तनखाह तो नौकर पर ही खर्च हो रही है, पर रुपया–पैसा कमाया किसलिए जाता है? ये तो कई बार कह ही चुके थे कि तुम्हारे लिए दुनिया के किसी कोने से नौकर जरूर लाऊँगा... वही हुआ।

निस्संदेह बहादुर की वजह से सबको खूब आराम मिल रहा था। घर खूब साफ और चिकना रहता। कपड़े चमाचम सफेद। निर्मला की तबीयत भी काफी सुधर गई। अब कोई एक खर भी न टकसाता था। किसी को मामूली–से–मामूली काम करना होता तो वह बहादुर को आवाज देता। 'बहादुर, एक गिलास पानी।' 'बहादुर पेन्सिल नीचे गिरी है, उठाना।' इसी तरह की फरमाइशें! बहादुर घर में फिरकी की तरह नाचता रहता। सभी रात में पहले ही सो जाते थे और सबेरे आठ बजे के पहले न उठते थे।

मेरा बड़ा लड़का किशोर काफी शान–शौकत और रोब–दाब से रहने का

कायल था और उसने बहादुर को अपने कड़े अनुशासन में रखने की आवश्यकता महसूस कर ली थी। फलतः उसने अपने सभी काम बहादुर को सौंप दिए। सबेरे उसके जूते में पालिश लगनी चाहिए। कालेज जाने के ठीक पहले साइकिल की सफाई जरूरी थी। रोज ही उसके कपड़ों की धुलाई और इत्री होनी चाहिए। और रात में सोते समय वह नित्य बहादुर से अपने शरीर की मालिश कराता और मुक्की भी लगवाता। पर इतनी सारी फरमाइशों की पूर्ति में कभी–कभी कोई गड़बड़ी भी हो जाती। जब ऐसा होता, किशोर गर्जन–तर्जन करने लगता, उसको बुरी–बुरी गालियाँ देता और उस पर हाथ छोड़ देता। मार खाकर बहादुर एक कोने में खड़ा हो जाता – चुपचाप।

'देख बे', किशोर चेतावनी देता – 'मेरा काम सबसे पहले होना चाहिए। अगर एक काम भी छूटा तो मारते–मारते हुलिया टाइट कर दूँगा। साला, कामचोर, करता क्या है तू? बैठा–बैठा खाता है।'

रोज ही कोई–कोई ऐसी बात होने लगी, जिसकी रिपोर्ट पत्नी मुझे देती थी। मैंने किशोर को मना किया, पर वह नहीं माना तो मैंने यह सोचकर छोड़ दिया कि थोड़ा–बहुत तो यह चलता ही रहता है। फिर एक हाथ से ताली कहाँ बजती है? बहादुर भी बदमाशी करता होगा। पर एक दिन जब मैं दफ्तर से आया तो मैंने किशोर को एक डंडे से बहादुर की पिटाई करते हुए देखा। निर्मला कुछ दूरी पर खड़ी होकर 'हाँ–हाँ' कहती हुई मना कर रही थी।

मैंने किशोर को डाँट कर अलग किया। कारण यह था कि शाम को साइकिल की सफाई करना बहादुर भूल गया था। किशोर ने उसको मारा तथा गालियाँ दीं तो उसने उसका काम करने से ही इनकार कर दिया।

'तुम साइकिल साफ क्यों नहीं करते?' मैंने उससे कड़ाई से पूछा।

'बाबूजी, भैया ने मेरे बाप को क्यों लाकर खड़ा किया?' वह रोते हुए बोला।

मैं जानता था कि किशोर उसको और भी भद्दी गालियाँ देता था, लेकिन आज उसने 'सूअर का बच्चा' कहा था, जो उसे बरदाश्त न हुआ। निस्संदेह वह गाली उसके बाप पर पड़ती थी। मुझे कुछ हँसी आ गई। खैर, किशोर के व्यवहार को अच्छा नहीं कहा जा सकता, पर गृहस्वामी होने के कारण मुझ पर कुछ और गंभीर दायित्व भी थे।

मैंने उसे समझाया – 'बहादुर, ये आदतें ठीक नहीं। तुम ठीक से काम करोगे तो तुमको कोई कुछ भी नहीं कहेगा। मेहनत बहुत अच्छी चीज है, जो उससे बचने की कोशिश करता है, वह कुछ भी नहीं कर सकता। रूठना–फूलना मुझे सख्त नापसंद है। तुम तो घर के लड़के की तरह हो। घर के लड़के मार नहीं खाते? हम तुमको जिस सुख–आराम से रखते हैं, वह कोई क्या रखेगा? जाकर दूसरे घरों में देखो तो पता लगे। नौकर–चाकर भर पेट भोजन के लिए तरसते रहते हैं। चलो, सब खत्म हुआ, अब काम–धाम करो३'

वह चुपचाप सुनता रहा। फिर हाथ–मुँह धोकर काम करने लगा। जल्दी वह प्रसन्न भी हो गया। रात में सोते समय वह अपनी टोपी पहन कर देर तक गाता रहा।

लेकिन कुछ दिनों बाद एक और भी गड़बड़ी शुरू हुई। निर्मला बहुत पतली–पतली रोटियाँ सेंकती थी, इसलिए वह रोटी बनाने का काम कभी बहादुर से नहीं लेती थी, लेकिन मुहल्ले की किसी औरत ने उसे यह सिखा दिया कि परिवार के लिए रोटियाँ बनाने के बाद वह बहादुर से कहे कि वह अपनी रोटी खुद बना लिया करे, नहीं तो नौकर–चाकर की आदत खराब हो जाती है, महीन खाने से उनकी आदत बिगड़ जाती है।

यह बात निर्मला को जँच गई थी और रात में उसने ऐसा ही प्रयोग किया। वह अपनी रोटियाँ बनाकर चौके में से उठ गई। बहादुर का मुँह उतर गया। वह चूल्हे के पास सिर झुकाकर चुपचाप खड़ा रहा।

'क्या हो गया, रे?' निर्मला ने पूछा।

वह कुछ नहीं बोला।

'चल, चुपचाप बना अपनी रोटियाँ। तू सोचता है कि मैं तुझे पतली–पतली, नरम–नरम रोटियाँ सेंककर खिलाऊँगी? तू कोई घर का लड़का है? नौकर–चाकर तो अपना बनाकर खाते ही रहते हैं। तीता तो इनको इसलिए लग रहा है कि सारे घर के लिए मैंने रोटियाँ बनाईं, इनको अलग करके इनके साथ भेद क्यों किया? वाह रे, इसके पेट में तो लंबी दाढ़ी है! समझ जा, रोटियाँ नहीं सेंकेगा तो भूखा रहेगा।'

पर बहादुर उसी तरह खड़ा रहा तो निर्मला का गुस्से से बुरा हाल हो गया। उसने लपककर उसके गाल पर दो–तीन थप्पड़ जड़ दिए – 'सूअर कहीं के! इसीलिए तुझे किशोर मारता है। इसी वजह से तेरी माँ भी मारती होगी। चल, बना रोटी...'

'मैं नहीं बनाऊँगा... मेरी माँ भी सारे घर की रोटियाँ बनाकर मुझसे रोटी सेंकवाती थी।' वह रोने लगा था।

'तो क्या मैं तेरी माँ हूँ कि तू मुझसे जिद कर रहा है? घर के लड़कों के बराबर बन रहा है? मारते–मारते मुँह रँग दूँगी।'

पर उसने अपने लिए रोटी नहीं बनाई। मुझे भी बड़ा गुस्सा आया। मैंने उसको डाँटा और समझाया। पर वह नहीं माना। रात भर वह भूखा ही रहा।

पर सबेरे उठकर वह पहले की तरह ही हँसने लगा। उसने अँगीठी जला कर अपने लिए रोटियाँ सेंकी। अपनी बनाई मोटी और भद्दी रोटियों को देखकर वह खिलखिलाने लगा। फिर रात की बची हुई सब्जी से उसने खाना खा लिया।

लेकिन निर्मला का भी हाथ खुल गया था। वह उससे कुछ चिढ़ भी गई थी। अब बहादुर से कोई भी गलती होती तो वह उस पर हाथ चला देती। उसको मारने वाले अब घर में दो व्यक्ति हो गए थे और कभी–कभी एक गलती के लिए उसको दोनों मारते।

बरसात बीत गई थी। आकाश दर्पण की तरह स्वच्छ दिखाई देता। मैंने बहादुर की माँ के पास चिट्ठी लिखी थी कि उसका लड़का मेरे पास मजे में है और मैं उसकी तनख्वाह के पैसे उसके पास भेज दिया करूँगा, लेकिन कई महीने के बाद भी उधर से कोई जवाब नहीं आया था। मैंने बहादुर से कह दिया था कि उसका पैसा यहाँ जमा रहेगा, जब वह घर जाएगा तो लेता जाएगा।

पर अब बहादुर से भूल–गलतियाँ अधिक होने लगी थीं। शायद इसका कारण मारपीट और गाली–गलौज हो। मैं कभी–कभी इसको रोकना चाहता, फिर यह सोचकर चुप लगा जाता कि नौकर–चाकर तो मार–पीट खाते ही रहते हैं।

एक दिन रविवार को मेरी पत्नी के एक रिश्तेदार आए। वह बीवी–बच्चों के साथ थे। वह अपने किसी खास संबंधी के यहाँ आए थे तो यहाँ भी भेंट–मुलाकात करने के लिए चले आए थे। घर में बड़ी चहल–पहल मच गई। मैं बाजार से रोहू मछली और देहरादूनी चावल ले आया। नाश्ता–पानी के बाद बातों की जलेबी छनने लगी। पर इसी समय एक घटना हो गई।

अचानक उस रिश्तेदार की पत्नी नीचे फर्श पर झुककर देखने लगी। फिर उन्होंने चारपाई के अंदर झाँककर देखा। अंत में कमरे के अंदर गईं और फर्श पर पड़े हुए कागजों को उठाकर जाँच–पड़ताल करने लगीं।

'क्या बात है?' मैंने पूछा।

रिश्तेदार की पत्नी जबरदस्ती मुस्कराकर मजबूरी में सिर हिलाते हुए बोली – 'क्या बताए... ग्यारह रुपये साड़ी के खूँट से निकालकर यहीं चारपाई पर रखे. .. पर वे मिल नहीं रहे हैं...'

'आपको ठीक याद है न...'

'हाँ–हाँ खूब अच्छी तरह याद है। ये रुपये मैंने खूँट में बाँधकर रखे थे... रिक्शेवाले को देने के लिए खूँट खोला ही था, फिर वे रुपये चारपाई पर रख दिए थे कि चार रुपये की मिठाई मँगा लूँगी और कुछ बच्चों के हाथ पर रख दूँगी। रास्ते में कोई ढंग की दुकान नहीं मिली थी, नहीं तो उधर से ही लाती। किसी के यहाँ खाली–हाथ जाने में अच्छा भी नहीं लगता। बताइए, अब तो मैं कहीं की न रही – फिर मेरी ओर झुककर धीमे स्वर में कहा था दृ जरा उससे पूछिए न! वह इधर आया था। कुछ देर तक वह यहाँ खड़ा रहा, फिर तेजी से बाहर चला गया था।

'अरे नहीं, वो ऐसा नहीं है', मैंने कहा।

'यू डू नाट नो दीज पीपुल आर एक्सपर्ट इन दिस आर्ट' रिश्तेदार ने कहा। मैंने बहादुर की ओर तिरछी दृष्टि से देखा। वह सिर झुका कर आटा गूँथ रहा था। उसके चेहरे पर संतुष्टि एवं प्रफुल्लता थी। उसने ऐसा काम तो कभी नहीं किया, बल्कि जब कभी उसने दो–चार आने इधर–उधर पड़े देखे तो उठाकर निर्मला के हाथ में दे दिए थे। पर किसी के दिल की बात कोई कैसे जान सकता है? न मालूम अचानक मुझे क्या हो गया और मैं गुस्से में आ गया।

'बहादुर!' – मैंने कड़े स्वर में कहा।

'जी, बाबू जी।'

'इधर आओ।'

वह आकर खड़ा हो गया।

'तुमने यहाँ से रुपये उठाए थे?'

'जी नहीं, बाबूजी', उसने निर्भय उत्तर दिया।

'ठीक बताओ... मैं बुरा नहीं मानूँगा।'

'नहीं बाबूजी। मैं लेता तो बता देता।'

'तुम यहाँ खड़े नहीं थे?' – रिश्तेदार की पत्नी ने कहा 'फिर तेजी से बाहर चले गए थे। देखो भैया, सच–सच बता दो। मिठाई खरीदने और बच्चों को देने के लिए ये रुपये रखे थे। मैं तो बुरी फँसी। अब वापस जाने के लिए रिक्शे के भी पैसे नहीं।'

'मैं तो बाहर नमक लेने गया था।'

'सच–सच बता बहादुर! अगर नहीं बताएगा तो बहुत पीटूँगा और पुलिस के सुपुर्द कर दूँगा।' मैं चिल्ला पड़ा।

'मैंने नहीं लिया, बाबूजी।' – बहादुर का मुँह काला पड़ गया था।

पता नहीं मुझे क्या हो गया। मैंने सहसा उछलकर उसके गाल पर एक तमाचा

जड़ दिया। मैं आशा कर रहा था कि ऐसा करने से वह बता देगा। तमाचा खाकर वह गिरते–गिरते बचा। उसकी आँखों से आँसू गिरने लगा।

'मैंने नहीं लिया...'

इसी समय रिश्तेदार साहब ने एक अजीब हरकत की – 'अच्छा छोड़िए, इसको पुलिस के पास ले जाता हूँ।' इतना कहकर उन्होंने बहादुर का हाथ पकड़ लिया और उसको दरवाजे की ओर घसीटकर ले गए। पर दरवाजे के पास उससे धीरे–से बोले – 'देखो, तुम मुझे बता दो... मैं कुछ नहीं करूँगा, बल्कि तुमको इनाम में दो रुपये दे दूँगा।'

पर बहादुर ने इनकार कर दिया। इसके बाद रिश्तेदार साहब दो–तीन बार उसको दरवाजे की ओर खींचकर ले गए, जैसे पुलिस को देने ही जा रहे हैं। लेकिन आगे बढ़कर वह रुक जाते और उससे धीमे–धीमे शब्दों में पूछ–ताछ करने लगते।

अंत में हारकर उन्होंने उसको छोड़ दिया और वापस आकर चारपाई पर बैठते हुए हँसकर बोले – 'जाने दीजिए... ये सब बड़े घाघ होते हैं। किसी झाड़ी–वाड़ी में छिपा आया होगा या जमीन में गाड़ आया होगा। मैं तो इन सबों को खूब जानता हूँ। भालू–बंदर से कम थोड़े होते हैं ये। चलिए, इतना नुकसान लिखा था।'

इसके बाद निर्मला ने भी उसको डराया–धमकाया और दो–चार तमाचे जड़ दिए, पर वह 'नहीं–नहीं' करता रहा।

इस घटना के बाद बहादुर काफी डाँट–मार खाने लगा। घर के सभी लोग उसको कुत्ते की तरह दुरदुराया करते। किशोर तो जैसे उसकी जान के पीछे पड़ गया था। वह उदास रहने लगा और काम में लापरवाही करने लगा।

एक दिन मैं दफ्तर से विलंब से आया। निर्मला आँगन में चुपचाप सिर पर हाथ रखकर बैठी थी। अन्य लड़कों का पता नहीं था, लेकिन लड़की अपनी माँ के पास खड़ी थी। अँगीठी अभी नहीं जली थी। आँगन गंदा पड़ा था। बर्तन बिना मले हुए रखे थे। सारा घर जैसे काट रहा था।

'क्या बात है?' मैंने पूछा।

'बहादुर भाग गया।'

'भाग गया। क्यों?'

'पता नहीं। आज तो कुछ हुआ भी नहीं था। सबेरे से ही बड़ा प्रसन्न था। हमेशा माताजी माताजी, किए रहा। दोपहर में खाना खाया। उसके बाद आँगन से सिल–बट्टा लेकर बरामदे में रखने जा रहा था कि सिल हाथ से छूटकर गिर गई और दो टुकड़े हो गई। शायद इसी डर से वह भाग गया कि लोग मारेंगे। पर मैं इसके लिए उसको थोड़े कुछ कहती? क्या बताऊँ, मेरी किस्मत में आराम ही नहीं...'

'कुछ ले गया?'

'यही तो अफसोस है। कोई भी सामान नहीं ले गया है। उसके कपड़े, उसका बिस्तर, उसके जूते दृ सभी छोड़ गया है। पता नहीं उसने हमें क्या समझा? अगर वह कहता तो मैं उसे रोकती थोड़े? बल्कि उसको खूब अच्छी तरह पहना–ओढ़ाकर भेजती, हाथ में उसकी तनख्वाह के रुपये रख देती। दो–चार रुपये और अधिक दे देती। पर वह तो कुछ ले ही नहीं गया...'

'और वे ग्यारह रुपये?'

'अरे वह सब झूठ है। मैं तो पहले ही जानती थी कि वे लोग बच्चों को कुछ देना नहीं चाहते, इसलिए अपनी गलती और लाज छिपाने के लिए यह प्रपंच रच रहे हैं। उन लोगों को क्या मैं जानती नहीं? कभी उनके रुपये रास्ते में गुम हो जाते हैं... कभी वे गलती से घर ही छोड़ आते हैं। मेरे कलेजे में तो जैसे कुछ हौड़ रहा है। किशोर को भी बड़ा अफसोस है। उसने सारा शहर छान मारा, पर बहादुर नहीं मिला। किशोर आकर कहने लगा – 'अम्माँ, एक बार भी अगर बहादुर आ जाता तो मैं उसको पकड़ लेता और कभी जाने न देता। उससे माफी माँग लेता और कभी नहीं मारता। सच, अब ऐसा नौकर कभी नहीं मिलेगा। कितना आराम दे गया है वह। अगर वह कुछ चुराकर ले गया होता तो संतोष हो जाता...'

निर्मला आँखों पर आँचल रखकर रोने लगी। मुझे बड़ा क्रोध आया। मैं चिल्लाना चाहता था पर भीतर–ही–भीतर मेरा कलेजा जैसे बैठ रहा हो। मैं वहीं चारपाई पर सिर झुका कर बैठ गया। मुझे एक अजीब–सी लघुता का अनुभव हो रहा था। यदि मैं न मारता तो शायद वह न जाता।

मैंने आँगन में नजर दौड़ाई। एक ओर स्टूल पर उसका बिस्तर रखा था। अलगनी पर उसके कुछ कपड़े टँगे थे। स्टूल के नीचे वह भूरा जूता था, जो मेरे साले साहब के लड़के का था। मैं उठकर अलगनी के पास गया और उसके नेकर की जेब में हाथ डालकर उसके सामान निकालने लगा – वही गोलियाँ, पुराने ताश की गड्डी, खूबसूरत पत्थर, ब्लेड, कागज की नावें...

काव्य सुधा

जगमग करता लघु सितारा

— अतिथि लेखक :
यश वर्धन, सहायक प्रबन्धक (राजभाषा) दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड,
प्रधान कार्यालय, नई दिल्ली

जगमग करता लघु सितारा
विस्मित करता मुझ को प्यारा
दुनिया से ऊपर उच्च शिखर पर,
नभ में जडित हीरा न्यारा
जगमग करता लघु सितारा
विस्मित करता मुझ को प्यारा

तपता सूरज जब ढलता है,
उसकी किरणें जब मद्दिम पड़ती है
तब तुम अपने लघु प्रकाश से
करते जगमग सारी रात
जगमग करता लघु सितारा,
विस्मित करता मुझ को प्यारा

जबकि तुम्हारा स्वच्छ और लघु प्रकाश..
रात्रि के पथिक को कराता दिशा–ज्ञान,
भटका पथिक लेकर तुम्हारा संज्ञान
प्रकट करता तुम को आभार

हालांकि, अज्ञात है मुझे तुम्हारा प्रकार
जगमग करता लघु सितारा
विस्मित करता मुझ को प्यारा

सघन नीले आसमान में तुम विचरण करते हो,
और अक्सर मेरे पर्दों में पदार्पण करते हो,
तब तक चक्षु खुले रहते तुम्हारे,
जब नभ में सूर्य देव पधारे
जगमग करता लघु सितारा,
विस्मित करता मुझ को प्यारा....

क्या आप जानते हैं?

संस्कृति मंत्रालय
भारत सरकार
हर घर तिरंगा
आइये आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएं
13 से 15 अगस्त हर घर तिरंगा फहरायें

संस्कृति मंत्रालय
भारत सरकार
क्या आप जानते हैं?
FLAG CODE OF INDIA 2002
भारतीय राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित नियम और कानून फ्लैग कोड के तहत आते हैं।
amritmahotsav.nic.in

संस्कृति मंत्रालय
भारत सरकार
राष्ट्रीय ध्वज को सूती, पॉलिएस्टर, ऊनी, रेशम अथवा खादी के कपड़े से बनाया जा सकता है।
KNOW YOUR TIRANGA
amritmahotsav.nic.in

पंजी. सं. दिल्ली इन/2001/6138

आज़ादी का अमृत महोत्सव

राष्ट्रीय आवास बैंक
NATIONAL HOUSING BANK
भारत सरकार के अन्तर्गत एक सांविधिक निकाय

30 जून, 2022 को समाप्त तिमाही एवं वर्ष हेतु वित्तीय परिणाम

(₹ लाख में)

विवरण	समाप्त तिमाही			समाप्त वित्त वर्ष	
	30.06.2022	31.03.2022	30.06.2021	30.06.2022	30.06.2021
	लेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित
1. अर्जित ब्याज (क) + (ख) + (ग) + (घ)	**1,00,970.11**	**1,00,821.63**	**1,10,772.77**	**4,21,916.69**	**4,82,735.24**
(क) अग्रिमों पर ब्याज	94,770.08	94,457.25	1,06,741.80	3,98,449.23	4,58,633.62
(ख) निवेशों पर आय	5,694.27	5,250.32	3,306.16	19,978.43	14,343.04
(ग) बैंक जमाओं पर ब्याज	505.76	1,114.06	724.81	3,489.03	9,758.58
(घ) अन्य	-	-	-	-	-
2. अन्य आय	**547.13**	**784.70**	**2,419.27**	**47,971.95**	**5,084.40**
3. कुल आय (1+2)	**1,01,517.24**	**1,01,606.33**	**1,13,192.04**	**4,69,888.64**	**4,87,819.64**
4. ब्याज व्यय	**69,982.81**	**73,357.99**	**87,345.32**	**3,06,581.34**	**3,57,380.91**
5. परिचालन व्यय (i)+(ii)	**2,853.77**	**1,706.70**	**2,600.24**	**11,890.88**	**8,111.50**
(i) कर्मियों के लिए भुगतान एवं प्रावधान	1,416.01	417.85	1,467.90	3,571.09	3,750.15
(ii) अन्य परिचालन व्यय (क) + (ख) + (ग)	1,437.76	1,288.85	1,132.34	8,319.79	4,361.35
(क) ब्रोकरेज, गांरटी शुल्क एवं अन्य वित्त प्रभार	60.97	81.36	69.17	299.42	346.98
(ख) उधारों पर स्टांप शुल्क	12.54	-	26.47	22.91	54.17
(ग) अन्य व्यय	1,364.25	1,207.49	1,036.70	7,997.46	3,960.20
6. विनिमय उतार–चढ़ाव के कारण (लाभ)/हानि	**(2,235.31)**	**(728.59)**	**2,732.78**	**(3,914.99)**	**6,078.12**
7. प्रावधान एवं आकस्मिक व्ययों को छोड़कर कुल व्यय (4+5+6)	**70,601.27**	**74,336.10**	**92,678.34**	**3,14,557.23**	**3,71,570.53**
8. प्रावधान एंव आकस्मिक व्ययों से पूर्व परिचालन लाभ (3–7)	**30,915.97**	**27,270.23**	**20,513.70**	**1,55,331.41**	**1,16,249.11**
9. प्रावधान (कर के अलावा) एवं आकस्मिक व्यय	6,359.87	(5,024.44)	6,155.84	(95,760.35)	70,252.38
10. असाधारण मदें#	-	(2,000.34)	-	(2,000.34)	-
11. कर पूर्व सामान्य गतिविधियों से लाभ (+) / हानि (–) (8–9–10)	**24,556.10**	**34,295.01**	**14,357.86**	**2,53,092.10**	**45,996.73**
12. कर व्यय (डीटीए/डीटीएल का निवल)	5,100.00	7,125.00	5,600.00	61,125.00	(20,315.75)
13. कर के पश्चात सामान्य गतिविधियों से निवल लाभ (+) / हानि (–) (11–12)	**19,456.10**	**27,170.01**	**8,757.86**	**1,91,967.10**	**66,312.48**
14. असाधारण मदें (कर व्यय घटाकर)	-	-	-	-	-
15. अवधि हेतु निवल लाभ (+) / हानि (–) (13–14)	**19,456.10**	**27,170.01**	**8,757.86**	**1,91,967.10**	**66,312.48**
16. चुकता पूंजी (भारत सरकार के संपूर्ण स्वामित्व में)	1,45,000.00	1,45,000.00	1,45,000.00	1,45,000.00	1,45,000.00
17. पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर आरक्षित निधि (पिछले लेखा वर्ष के तुलन पत्र के अनुसार)	10,26,648.81	8,34,501.57	8,34,501.57	10,26,648.81	8,34,501.57
18. विश्लेषणात्मक अनुपात:					
(i) भारत सरकार द्वारा धारित शेयरों का प्रतिशत	100%	100%	100%	100%	100%
(ii) पूंजीगत पर्याप्तता अनुपात	16.02%	15.91%	12.14%	16.02%	12.14%
(iii) प्रति शेयर आय (ईपीएस)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(iv) एनपीए अनुपात					
क) सकल एनपीए की राशि	1,53,510.24	1,53,510.38	2,50,284.59	1,53,510.24	2,50,284.59
ख) निवल एनपीए की राशि	-	-	-	-	-
ग) सकल एनपीए का %	2.07%	2.12%	2.91%	2.07%	2.91%
घ) निवल एनपीए का %	-	-	-	-	-
v) आस्तियों पर लाभ (कर पश्चात) (वार्षिक)	0.97%	1.38%	0.38%	2.33%	0.75%
vi) नेटवर्थ (₹ करोड़ में)	10,670	10,609	8,742	10,670	8,742
vii) बकाया प्रतिदेय वरीयता शेयर	-	-	-	-	-
viii) पूंजी मोचन आरक्षित	-	-	-	-	-
ix) डिबेंचर मोचन आरक्षित	-	-	-	-	-
x) ऋण – इक्विटी अनुपात*	5.60	5.58	7.96	5.60	7.96
xi) कुल आस्तियों के सापेक्ष कुल ऋण (%)*	82.41%	83.97%	86.12%	82.41%	86.12%

*ऋण कुल उधार को और इक्विटी पूंजी सहित रिजर्व को इंगित करती है
अनुपातों की गणना के लिए अन्य आय में असाधारण आय पर विचार किया गया है

टिप्पणियां:
1. उपरोक्त परिणामों की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई है और निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 12 अगस्त , 2022 को नई दिल्ली में आयोजित बैठक में अनुमोदित किया गया है।
2. डीएचएफएल खाते के समाधान के तहत, बैंक को पीरामल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड से ₹ 1,05,487.67 लाख की राशि प्राप्त हुई। राशि को ₹ 8,713.45 लाख के ब्याज और शेष ₹ 96,774.22 लाख के मूल बकाया के बीच प्रभाजित किया गया है जिसके परिणामस्वरूप किये गए एनपीए प्रावधान को वापस ले लिया गया है।
3. 1991–92 घोटाले के मामले में बैंक को अभिरक्षक से ₹ 52,318 लाख (ब्याज के साथ दावा राशि) भी प्राप्त हुए। इसमें से बैंक ने ₹ 42,898 लाख की ब्याज राशि अन्य आय (एकमुश्त असाधारण मद) के रूप में बुक की थी। चूंकि बैंक ने अभिरक्षक को वचनपत्र दिया है, अतः राशि को आकस्मिक देयता के रुप में चिन्हित किया गया है।
4. भारतीय रिजर्व बैंक के 04 अगस्त, 2016 के परिपत्र के अनुसार, बैंक निरंतर प्रोफार्मा आईएनडी एएस विवरणी तैयार कर रहा है और नियमित रूप से विनियामक को प्रस्तुत कर रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 15 मई, 2019 के अपने पत्र के माध्यम से यह सलाह दी है कि अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (एआईएफआई) द्वारा भारतीय लेखांकन मानकों के कार्यान्वयन को अगली सूचना तक स्थगित कर दिया गया है।
5. बैंक के पास नवरोज पाली हिल परिसर कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, पाली हिल, बांद्रा मुंबई में एक संपत्ति / फ्लैट है। बिल्डर के साथ करार कर पूरी संपत्ति को पुनर्विकास हेतु ले लिया गया था। बिल्डर ने रा.आ.बैंक के फ्लैट सहित पूरी संपत्ति पुनर्विकास हेतु ली थी एवं पुनर्विकसित संपत्ति का कब्जा बैंक ने दिसंबर 2021 में लिया था। चूंकि पुरानी एवं पुनर्विकसित संपत्ति के एरिया में भिन्नता है तथा पूर्व वर्षों में नकदी का प्रवाह होता था जिसे उन वर्षों में आय के रूप में लिया जाता था। वर्ष के दौरान, बैंक की बहीयों में पुरानी संपत्ति को अन्य आय में जमा करके बट्टे खाते में डाल दिया गया है और पुनर्विकसित फ्लैट के उचित बाजार मूल्य को भूमि और भवन घटकों में पूंजीकृत किया गया है एवं फ्लैट के पुनर्विकास पर आनुमानिक लाभ को अन्य आय में जमा किया गया है जिसे असाधारण मद के रूप में माना गया है।
6. जहां आवश्यक था वहां पिछले वर्षों के आंकड़ों को पुनः वर्गीकृत/पुनः व्यवस्थित किया गया है।

सम तारीख की हमारी मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार,
कृते **एस.के. मित्तल एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार, फर्म पंजी. सं. 001135एन
ह/–
(सी ए गौरव मित्तल), भागीदार, सदस्यता सं. 099387

ह/–
एस. के. होता
प्रबंध निदेशक

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 12.08.2022

पृष्ठ सज्जा एवं प्रिंटिंग: जे.के. ऑफसेट ग्राफिक्स प्रा.लि., नई दिल्ली–110020

प्रधान कार्यालय

राष्ट्रीय आवास बैंक, कोर 5–ए, भारत पर्यावास केंद्र, 3–5 तल, लोधी रोड नई दिल्ली– 110003
टेली : 011–3918 7000 वेबसाइट : **http://www.nhb.org.in**

राष्ट्रीय आवास बैंक
NATIONAL HOUSING BANK

क्षेत्रीय एवं क्षेत्रीय प्रतिनिधि कार्यालय

नई दिल्ली, मुम्बई, अहमदाबाद, बैंगलूरू, हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल, चेन्नई, लखनऊ, गुवाहाटी